C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. V Third Session, 2014/1936 (Saka)
No. 2, Tuesday, November 25, 2014/Agrahayana 4, 1936 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
MEMBER SWORN	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 21 and 22	5-23
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 23 to 40	24-142
Unstarred Question Nos. 231 to 460	143-733

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

FELICITATIONS BY THE SPEAKER
(i) India's Mars Orbiter Mission
(ii) Nobel Peace Prize to Shri Kailash Satyarthi along with Malaya Yousafzai of Pakistan
(iii) Congratulations to India's Sportsmen and Sportswomen on winning various sports tournaments 734-735

PAPERS LAID ON THE TABLE 738-742

ASSENT TO BILLS AND BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA 743

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
1st to 6th Reports 744

DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL, 2014 .....Introduced 745
Dr. Jitindra Singh

MATTERS UNDER RULE 377 768-781

(i) Need to ban the unscrupulous practice of putting extra price stickers on consumer goods in the country

Shri Ramen Deka 768

(ii) Need to declare sites of religious importance in Hardoi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh as tourist places and provide suitable financial package for the purpose

Shri Anshul Verma 769

(iii) Need to provide Piped Natural Gas connections to all the households in North East Mumbai

Shri Kirit Somaiya 770

(iv)	Need to launch skill development programmes in Uttarakhand to enable people to earn their livelihood and prevent large scale migration of people from the State	
	Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'	771
(v)	Need to facilitate the movement of civilians in Cantonment area in Ranchi Parliamentary Constituency, Jharkhand	
	Shri Ram Tahal Choudhary	772
(vi)	Need to ensure safe return of fishermen from Tamil Nadu languishing in jails in Sri Lanka	
	Dr. J. Jayavardhan	773
(vii)	Need to provide technical education to the youth of the Paradip region to facilitate their employment in Skilled and Semi-skilled jobs in Indian Oil Corporation Limited in Paradip	
	Dr. Kulamani Samal	774-775
(viii)	Need to return unutilized land to the original owners in Haryana as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013	
	Shri Dushyant Chautala	776
(ix)	Need to make provision for constructing a sub-way on NH-47 at Mullakkara Centre-Mulayam Road in Kerala	
	Shri C.N. Jayadevan	777

(x)	Need to establish a Kendriya Vidyalaya and a Navodaya Vidyalaya in Valmiki Nagar Parliamentary Constituency, Bihar	
	Shri Satish Chandra Dubey	778
(xi)	Need to provide adequate irrigation facilities in Sangli district of Maharashtra	
	Shri Sanjay Kaka Patil	779
(xii)	Need to establish District Disability Rehabilitation Centre for persons with disabilities in Chamarajanagar District, Karnataka	
	Shri R. Dhruvanarayana	780
(xiii)	Need to disburse wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Rajasthan through cooperative banks.	
	Shri Chand Nath	781

DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL, 2014 787-811

Motion to Consider	787
Shri Arjun Ram Meghwal	788-789 790
Shri Thota Narasimham	791
Shri Tathagata Satpathy	793-795
Shri B. Vinod Kumar	798
Shri Rakesh Singh	799-800
Shri Dushyant Chautala	801
Shri Harish Meena	802
Dr. Boora Narsaiah Goud	803-805
Dr. Sanjay Jaiswal	806-807

Shri Arvind Sawant 808-809

Shri Jitindra Singh 810-811

INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY BILL, 2014 812-855

Motion to Consider 812-813

Shrimati Smriti Zubin Irani 812-813

Shri Jagdambika Pal 814-818

Dr. Boora Narsaiah Goud 819-822

Shri Rabindra Kumar Jena 823-824

Shri S.S. Ahluwalia 825-828

Shri K.N. Ramachandran 829

Shri Rattan Lal Kataria 830-831

Shrimati Kavitha Kalvakuntla 832-835

Shrimati Rama Devi 836-837

Shrimati Butta Renuka 838-839

Shri Ajay Misra Teni 840-841

Shri Dushyant Chautala 842-843

Shri Prem Das Rai 844-845

Shri Sher Singh Ghubaya 846-847

Dr. Manoj Rajoria 848-849

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 850-852

Shri H.D. Devegowda 854-855

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2014 856-876

Motion to Consider 856-857

Dr. Sanjay Jaiswal 858-860

Shri Nagendra Kumar Pradhan 861-862

Shri Radha Mohan Singh 863-864

Shri Balka Suman	865
Shri S.S. Ahluwalia	866-867
Shri Balbhadra Majhi	868
Dr. K. Kamaraj	869
Shri Rajendra Agrawal	870
Shri Ram Prasad Sarmah	871
Shri Ashwini Kumar Choubey	872-873
Shri Sushil Kumar Singh	874
Shri Virendra Singh	875-876

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	877
Member-wise Index to Unstarred Questions	878-881

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	882
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	883

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Prof. K.V. Thomas

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P. K. Grover

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, November 25, 2014/Agrahayana 4, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

MEMBER SWORN

HON. SPEAKER: Now, the Secretary General to call the name of the Member to be sworn in.

SECRETARY GENERAL : Shri Kotha Prabhakar Reddy

1. Shri Kotha Prabhakar Reddy (Medak) .... Oath .... English

HON. SPEAKER: Now, Question Hour.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Respected Madam, I would like to request you to kindly suspend the Question Hour … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kharge ji, just a minute. You know that according to rules, there will be no suspension of the Question Hour. Please listen. About the subject of black money, I am ready to allow a discussion..

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): No issue will be allowed unless the black money issue is discussed. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : पहले छाता बंद कीजिए।

… (*Interruptions*)

11.04 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way. पहले छाता बंद कीजिए। I will not allow this. I am sorry.

Shri Sudip ji, this is not the way. I will not allow this. I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You give a notice. I am ready to allow a discussion on this subject under Rule 193.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Q. No. 21 – Shri Ram Kishore Singh.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not allowed. यह तरीका सही नहीं है। छाता बंद करके अपनी-अपनी सीट पर जाएं।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am sorry. No; do not do this.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, Shri Rama Kishore Singh – Q. 21.

… (*Interruptions*)

11.05 hrs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Yes, Shri Rama Kishore Singh-Q.No.21

(Q.21)

श्री रामा किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न के दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि देश में उर्वरक की मांग, आपूर्ति, उपलब्धता, वितरण, खपत और उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में काफी गैप एव विसंगतियां व्याप्त हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार बिहार सहित देश में राज्य सरकारों की मांगों के अनुरूप उर्वरकों की शत-प्रतिशत उपलब्धता एक यूनिफार्म पॉलिसी के अंतर्गत सुनिश्चित कराना चाहती है और देश के किसानों के घर तक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु पंचायत स्तर तक डीलरों की नियुक्ति करना चाहती है? ...(व्यवधान)

11.06 hrs

At this stage, Shri Rajeev Satav, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (*Interruptions*)

श्री अनन्तकुमार: माननीय सभाध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में देश भर में रासायनिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। जितना प्रदेश सरकारें मांग रही हैं, उतने उर्वरक की आपूर्ति हम कर रहे हैं। हर प्रदेश का कृषि विभाग हमें जो मांग देता है, उसके हिसाब से हम उर्वरक की पूरी सप्लाई कर रहे हैंद्व उर्वरक की उपलब्धता बरकरार है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please ask the Supplementary.

... (*Interruptions*)

श्री रामा किशोर सिंह : महोदया, क्या सरकार देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने एवं उर्वरकों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार के बंद उर्वरक कारखानों को चालू कराने के बारे में विचार कर रही है?...(व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: माननीय सभाध्यक्षा जी, पिछले 15-16 वर्षों से कोई नया उर्वरक प्लांट शुरू करने की सोच नहीं थी, लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, हमने नए-नए प्लांट्स शुरू करने और जो प्लांट्स बंद पड़े हैं, उनको भी शुरू करने के बारे में सोचा है। बिहार के बरौनी में जो बंद पड़ा एक उर्वरक प्लांट है, उसको भी शुरू करने का इरादा भारत सरकार का है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लीडर्स से निवेदन है कि यह जो छाता लेकर आप आए हैं, वह अच्छी बात नहीं है। यह एलाउड नहीं है। प्लीज, नए-नए तरीके मत अपनाइए। इसे तुरंत बंद करके रख दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदया, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने स्पष्ट रूप से सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं, लेकिन मैं दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं। पिछले वर्षों का हमारा अनुभव है कि जब किसानों को डीएपी की आवश्यकता होती थी, तो वहां यूरिया की सप्लाई की जाती थी। तथा जब यूरिया की आवश्यकता होती है तो उन्हें डीएपी की सप्लाई की जाती थी। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से विश्वास के साथ जानना चाहता हूं कि क्या आप अपने स्तर से जब किसानों को जिस खाद की आवश्यकता हो, जैसे रोपनी के समय या बीज लगाने के समय किसानों को डीएपी, एमओपी और एनपीके की आवश्यकता होती है, ये खादें उनको उस अनुपात में सप्लाई करेंगे...(व्यवधान) और जब उनको पटवन की आवश्यकता होगी, तो उस अनुपात में उनको यूरिया की सप्लाई की जाएगी? बिहार के बारे में पिछले वर्षों का अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां डिमाण्ड और उपलब्धता में सामंजस्य नहीं रहा है। इसलिए खाद की हमेशा से कमी रही है और ब्लैक-मार्किटिंग से पिछले वर्षों में लोगों को खाद खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसलिए जिस भी तरह की खाद की किसान को आवश्यकता होगी, डीएपी के समय डीएपी और यूरिया के समय यूरिया को क्या सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगी?

श्री अनन्तकुमार : माननीया अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य सीग्रीवाल जी को आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि चाहे यूरिया हो, डीएपी हो या एमओपी हो, उन्हें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। हम यहां से उनकी मांग लेकर सप्लाई प्लान बनाते हैं लेकिन सप्लाई करने के बाद किसानों को उसकी उपलब्धता कराने का काम, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम बिहार सरकार का है। इसलिए मैं माननीय सांसद से निवेदन करुंगा कि भारत सरकार अपना पूरा फर्ज निभा रही है तो बिहार सरकार भी अपना फर्ज निभाए और आबंटित यूरिया, डीएपी और एमओपी का वितरण सुचारू रूप से करे तथा वहां के सांसद और विधायक भी इसे सुनिश्चित करें।

DR. J. JAYAVARDHAN : Hon. Speaker Madam, the Government of India had decided to shift from naphthol based plants to gas based fertilizer plants and because of it, two major naphtha based urea fertilizer plants, namely, SPIC in Tuticorin and Madras Fertilizer Limited in Manali, Chennai have became non-

operational and due to that, the livelihood of hundreds of workers were affected. Our hon. People's Chief Minister, Puratchi Thalaivi Amma has written many letters to the hon. Prime Minister in this regard. If the Government wants to meet the fertilizer demand of the farmers, it should revive these fertilizer plants and should not stop providing subsidy to the fertilizer plants. It should provide necessary time and assistance for conversion of the naphtha based fertilizer plants into gas based fertilizer plants.

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, in 2010, the then UPA Government took a decision that all the three naphtha based fertilizer companies, namely, Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited of Mangalore, Madras Fertilizers of Chennai, and SPIC Limited of Tuticorin, should be converted into gas based fertilizers plants. But in their last two and half years, the UPA Government did not take any decision.

Now, after the new Government under Shri Narendra Modi, has come in, as Minister of Fertilizers, I had a meeting with all these three companies. Not only that, I also had a meeting with the Minister of Petroleum and Natural Gas and the GAIL Authority. We have a Petronet terminal in Cochin. For the Petronet terminal, we need to take the gas line to Mangalore; and then, we also need the same type of infrastructure for both Madras Fertilizers in Chennai as well as SPIC in Tuticorin.

But after having this meeting, now we have decided that we will be exploring the alternative routs and lay the pipeline, which is going to require one and half years more. But we had given exemption for naphtha to continue for three months. Again, we have prepared a Cabinet Note for the perusal of the Cabinet that with RLND rate of subsidy and if both the Governments – Government of Karnataka and Government of Tamil Nadu – are going to waive the VAT on naphtha, then it will be easy for us to take a decision in this regard and start both the companies.

डॉ. संजय जायसवाल : मैडम जी, सारे फर्टीलाइजर्स मिल जाते हैं यह जवाब तो सही है लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब सीज़न खत्म हो जाता है तब रैक पहुंचना शुरु होता है, उस समय किसानों को इसकी जरुरत नहीं होती है। अभी मेरे चम्पारण में कोई रैक नहीं आया है और दिसम्बर में जब जरूरत होगी, उस समय यूरिया का हाहाकार मचेगा। इसलिए मेरा स्पैसिफिक प्रश्न है कि दिसम्बर में खाद की जरुरत पड़ने वाली है उससे पहले नवम्बर के अंत तक एक रैक और दिसम्बर में दो रैक क्या माननीय मंत्री जी प्रबंध कराने की व्यवस्था करेंगे?।

श्री अनन्तकुमार : अध्यक्ष जी, बिहार में आज के दिन उपलब्धता 1 लाख 19 हजार मीट्रिक टन यूरिया की है। लेकिन वहां की वितरण प्रणाली के कारण से वहां केवल 1 लाख 3 हजार मीट्रिक टन ही वितरण किया गया है। इसलिए हमारे तरफ से बिहार के लिए जो सप्लायी होनी चाहिए, वह सप्लायी हो चुकी है। लेकिन प्रदेश सरकार वहां की वितरण प्रणाली को अगर ठीक करेगी तो सभी किसानों को मिल जाएगा। यहां से भेजना, सप्लायी करना हमारा फर्ज है, लेकिन वहां की वितरण प्रणाली को ठीक रखना प्रदेश सरकार का काम है। उसके लिए वहां की सरकार से आग्रह करें, उन पर दबाव डालें कि वह उसको सुचारू रूप से करे।

(Q.22)

SHRI SHIVKUMAR UDASI : Madam Speaker, we all know that the Public Distribution System is a network of 4.78 lakh fair price shops, which is perhaps the largest retail system in the world. Since it started in 1951, it has social value added to it. It started to provide food grains and other essential items to the vulnerable sections of society at reasonable prices and to put an indirect check on the open market prices of various items. Till now many reforms have been done in this aspect. … (*Interruptions*) But, of late, there have been complaints of a lot of leakages. On the one hand, there is a large number of families living below poverty line, which have not been enrolled and, therefore, do not have access to the ration cards and on the other, there is a large number of bogus ration cards, which do not correspond to the real families. … (*Interruptions*)

On this aspect, I would like to ask the hon. Minister, through you, Madam, to elaborate as to whether the new Government can evolve a mechanism to foolproof the system and have reforms in the system. … (*Interruptions*)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस प्रणाली में शिकायतें तो आ रही हैं, लेकिन नयी सरकार ने उसके लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले शिकायतों को निबटाने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रभाग आर्थिक अनुसंधान परिषद की तरफ से इसकी समीक्षा की जा रही है। ब्लॉक, जिला और स्टेट लेवल पर इसकी सतर्कता समितियां बनायी गयी हैं। इसके अलावा आवंटन की सूचना वेबसाइट पर डाली जाती है। इस नयी प्रणाली को हम लेकर आए हैं। इसके बाद बीपीएल और एपीएल में जो धांधली होती है, उसको रोकने के लिए हमने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं और अब तक 4 करोड़ 94 लाख कार्डों को राज्य सरकार ने निरस्त किया है।...(व्यवधान)

SHRI SHIVKUMAR UDASI : There is a significant difference in the manner in which the States and the Centre arrive at the number of BPL families. This mismatch usually means lower allotment to each family as States arrive at the higher number of BPL families. Who is going to decide on this BPL criteria? The Central Government says that there is this particular number of BPL families in

this country where the allotment will be done. Based on this, they have to distribute food grains in the Public Distribution System. But, the States say that the number of BPL families is much higher than what the Centre says. So, there is a mismatch in it and the individual, who has to get the ration, is not getting it. I want to know from the hon. Minister as to what measures the Government of India is taking in this regard. … (*Interruptions*)

श्री रावसाहेब पाटील दानवे : अध्यक्ष जी, बीपीएल और एपीएल के दायरे में कौन आएगा, इसे तय करने का सारा अधिकार राज्य सरकार का है। हमने राज्य सरकारों को निर्णय करने के अधिकार दिए हैं। देश में जितने भी राज्य हैं, उनमें अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग मानक तय किए हैं, इसलिए इस बारे में राज्य सरकार ही तय करती है।

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO : As per the Minister's statement, there have been complaints about irregularities in the functioning of the Targeted Public Distribution System in some States and regions in the country. As per the National Food Security Act, vigilance committees have to be set up at all levels, including district and block levels as well as fair price shops. I want to know the status of it at this point of time. … (*Interruptions*)

श्री रावसाहेब पाटील दानवे : माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार राज्य सरकार से हर तीन माह में एक रिपोर्ट लेती है। उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में 3044 व्यक्तियों और 15,230 राशन की दुकानों के खिलाफ कार्यवाई की गयी है। वर्ष 2014 में राज्य सरकारों ने अब तक 290 लोगों और 2408 दुकानों के खिलाफ आज तक कार्रवाई की है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं हिदायत देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, वह उचित नहीं है।

The House stands adjourned to meet again at 1200 noon.

<u>11.22 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled at One Minute past Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

(i) India's Mars Orbiter Mission
(ii) Nobel Peace Prize to Shri Kailash Satyarthi along with Malaya Yousafzai of Pakistan
(iii) Congratulations to India's Sportsmen and Sportswomen of winning various sports tournaments

HON. SPEAKER: Hon. Members, as you are aware, on 24th September, 2014, our space scientists successfully placed Mangalyaan in Mars' orbit. India has the unique distinction of being the first country to be successful on its maiden Mars Mission.

The Mars Orbiter Mission is India's first inter-planetary mission which was launched on 5th November, 2013 from Sriharikota in Andhra Pradesh by Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) and after a journey of nearly nine months, it was successfully inserted in Mars' orbit.

With this, India has entered into a select and exclusive league of nations having the potential to launch inter-planetary probes. We are extremely proud of this accomplishment by our space scientists.

The House conveys its congratulations to the Indian Space Research Organisation's dedicated team of scientists and technologists for making this mission a success and making every Indian proud.

Hon. Members, it gives me immense pride to refer to Shri Kailash Satyarthi, the renowned children's rights activist for winning the Nobel Peace Prize for the year 2014 along with Malala Yousafzai of Pakistan.

Shri Satyarthi has devoted his life to campaign against child labour and has been responsible for various forms of peaceful protests and demonstrations, focusing on the exploitation of children for financial gain.

I am sure the House would join me in commending Shri Kailash Satyarthi on his stupendous achievement and wish him all the success in his future endeavours.

Hon. Members, I am sure the House would join me in applauding the Indian contingent for their splendid performance at the Seventeenth Asian Games, 2014 held in Incheon, South Korea from 19th September to 4th October, 2014. I, on behalf of the House, congratulate all the sportsmen and sportswomen who have won medals for our country.

India won 11 gold, 10 silver and 36 bronze medal in these Games.

Let us convey our best wishes to the Indian sportspersons for all their future endeavours.

Hon. Members, I am sure that the House will join me in extending our felicitations to Tennis star Sania Mirza for winning the WTA Women's Doubles Title in Singapore on 26 October 2014; Badminton stars Saina Nehwal and Kidambi Srikanth for winning the Women's and Men's Singles Titles respectively at China Open Super Series on 16 November 2014 in Fuzhou, China; and Golfer Rashid Khan for winning the Chiangmai Golf Classic Tournament in Chiangmai, Thailand on the same day.

The House conveys its best wishes to Sania Mirza, Saina Nehwal, Kidambi Srikant and Rashid Khan for their upcoming tournaments. Thank you very much.

… (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैडम, काला धन वापस लाने का क्या हुआ? ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will allow a discussion.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am ready to allow it at any time that you say.

… (*Interruptions*)

<u>12.06 hrs</u>

At this stage, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप जब कहेंगे, तब उस पर डिस्कशन करवा दिया जाएगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है कि जब आप बोलेंगे, तब डिस्कशन करवा देंगे।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: You tell me, and the Government is ready for it.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Speaker, I have just learned about the notice given by some of the friends from the Opposition that they want to discuss about black money. … (*Interruptions*) If they want a discussion, then the Government is ready to discuss it under whatever rule you allow it. … (*Interruptions*)

<u>12.07 hrs</u>

At this stage, Shri Deepender Singh Hooda, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : The Government is ready, and there is nothing to hide. … (*Interruptions*) We have taken a lot of initiatives, and we will be happy to take the House into confidence about the steps that have been taken by this Government. … (*Interruptions*)

I urge upon the Opposition Parties that please cooperate in running the House properly, and to have a proper debate on such an important issue. …

(*Interruptions*) If you really want to have a debate, then the Government is ready. … (*Interruptions*) What is your problem? I am not able to understand it. … (*Interruptions*) The Government is ready to discuss it any time. … (*Interruptions*) काला धन वापस लाने के विषय में आपने इश्यू उठाया है, उसके लिए हम तैयार हैं। ...(व्यवधान) चर्चा के लिए तैयार हैं, बहस के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) दस साल बीत गए, पुरानी सरकार के जमाने में कुछ नहीं हुआ। ...(व्यवधान) हमें आए हुए छह महीने हो गए हैं। ...(व्यवधान) हमने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ...(व्यवधान) हम बहस करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान) स्पीकर महोदया जब अनुमति दें, उस हिसाब से हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको चर्चा नहीं चाहिए? खाली चिल्लाना है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, आप वापस जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको चर्चा का मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब आप कहेंगे, हम चर्चा करवा लेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी लीडर्स के साथ चर्चा कर के टाइम तय करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

12.09 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Item No. 3, Shri Kiren Rijiju.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): On behalf of Shri Rajnath Singh, I beg to lay on the Table –

(1) A copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated 28th September, 2014 issued by the President under clause (1) of article 356 of the Constitution in relation to the State of Maharashtra published in Notification No. G.S.R. 698(E) in Gazette of India dated the 28th September, 2014 under article 356 (3) of the Constitution.

(2) A copy of the Order (Hindi and English versions) dated 28th September, 2014 made by the President in pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the above Proclamation published in Notification No. G.S.R. 699(E) in Gazette of India dated the 28th September, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 818/16/14]

(3) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Governor of Maharashtra dated the 27th September, 2014 to the President.

[Placed in Library, See No. LT 819/16/14]

(4) A copy of the Proclamation (Hindi and English versions) dated the 30th October, 2014 issued by the President under clause (2) of article 356 of the Constitution revoking the earlier proclamation issued by him on 28th September, 2014 in relation to the State of Maharashtra published in Notification No. G.S.R 763(E) in Gazette of India dated the 30th October, 2014 under article 356 (3) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 820/16/14]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123(2)(a) of the Constitution:-

1. The Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 (No. 5 of 2014) promulgated by the President on 21st October, 2014.

   [Placed in Library, See No. LT 821/16/14]

2. The Textile Undertakings (Nationalisation) Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 2014 (No. 6 of 2014) promulgated by the President on 24th October, 2014.

   [Placed in Library, See No. LT 822/16/14]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

1. S.O.1999(E) published in Gazette of India dated 6th August, 2014, authorising the Reliance Industries Limited to use its domestically produced Liquefied Petroleum Gas for their own Parallel Marketing System requirement of up to ten thousand metric Tonne per month, subject to certain conditions, mentioned therein.

   [Placed in Library, See No. LT 823/16/14]

2. The Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) (Amendment) Order, 2014 published in Notification No. G.S.R. 721(E) in Gazette of India dated 14th October, 2014.

   [Placed in Library, See No. LT 824/16/14]

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table a copy of the Chief Commissioner Gurdwara Elections Appointment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 716(E) in Gazette of India dated 10th October, 2014 under sub-section (3) of Section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925.

[Placed in Library, See No. LT 825/16/14]

… (*Interruptions*)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 826/16/14]

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 827/16/14]

(3) तट जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 24 के साथ पठित उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 667(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तट जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 828/16/14]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2014 जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2068(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 829/16/14]

(5) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2014, जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 2320(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2014, जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 2542(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 830/16/14]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कावारत्ती का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 831/16/14]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब पाटील दानवे) : महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन प्रतिबंधों) का निराकरण (संशोधन) आदेश, 2014 जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का0आ0 2559(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 832/16/14]

<u>12.10 hrs</u>

ASSENT TO BILLS
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I lay on the Table the following six Bills passed by the Houses of Parliament during the Second Session of Sixteenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 25th July 2014:-

1. The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 2014;
2. The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 2014;
3. The Appropriation (No. 2) Bill, 2014;
4. The Appropriation (No. 3) Bill, 2014;
5. The Finance (No. 2) Bill, 2014; and
6. The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2014

I also lay on the Table copies, duly authenticated by the Secretary-General, Rajya Sabha, of the following three Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:-

1. The Andhra Pradesh Reorganization (Amendment) Bill, 2014;
2. The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2014; and
3. The Securities Laws (Amendment) Bill, 2014

… (*Interruptions*)

12.10 ½ hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

1st to 6th Reports

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Madam Speaker, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2014-15):-

(1) First Report on 'Non-compliance by Ministries/Departments in timely submission of Action Taken Notes on the non-selected Audit Paragraphs of the C&AG of India'.

(2) Second Report on 'IT Applications in Income Tax Department' relating to Ministry of Finance.

(3) Third Report on 'Environment Management in Indian Railways – Stations, Trains and Tracks 'relating to the Ministry of Railways.

(4) Fourth Report on 'Rail Link to Kashmir' relating to the Ministry of Railways.

(5) Fifth Report on 'Civil Engineering Workshops in Indian Railways', 'Delay in building the new rail bridge over River Sone' and 'Signal and Telecommunication' relating to Ministry of Railways.

(6) Sixth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Seventy-Ninth Report (Fifteenth Lok Sabha) on 'Service Tax on Banking and Other Financial Services' relating to Ministry of Finance.

… (*Interruptions*)

12.11 hrs

DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL, 2014 .... Introduced*

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946."

The motion was adopted.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदया, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।...(व्यवधान)

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2 dated 25.11.2014

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप चर्चा नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप केवल हल्ला करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ब्लैक मनी पर न तो चर्चा चाहते हैं और न ही आप सरकार की बात सुनना चाहते हैं। इट्स ओ.के.। थैंक यू।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो अविलंबनीय भी है, लोक महत्व का है यहां उठाने का अवसर दिया है।...(व्यवधान) देश के ये माननीय सदस्य, जो आज सदन के वेल में हैं, जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो आंगनबाड़ी की बहनें इनसे पूछेंगी कि जिस समय हमारे से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय को उठाया जा रहा था।...(व्यवधान) जब देश के तमाम आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए स्वस्थ भारत व स्वच्छ भारत बनाने की परिकल्पना को हम साकार कर रहे हैं, उस समय देश की जनता आपसे इस बात की अपेक्षा कर रही है कि आप इसे ध्यान से सुनें।...(व्यवधान) निश्चित तौर से देश में 14 लाख केन्द्रों पर जो 28 लाख हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका हैं, आज उनके बारे में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उनको हर राज्य में अलग-अलग मानदेय मिल रहा है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में तीन हजार का मानदेय है, उत्तराखंड में पांच हजार का मानदेय है, साढ़े सात हजार मानदेय हरियाणा में है। ...(व्यवधान) आज देश में आंगनबाड़ी की बहनें पल्स पोलियो का काम करती हैं, जनगणना का काम करती हैं, पुष्टाहार बांटने का काम करती हैं।...(व्यवधान) जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वे किसी भी मौसम में आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए, महिलाओं को मैटरनिटी से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं।...(व्यवधान) पिछले दो दिनों से हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की देश की बहनें आकर बैठी हुई हैं।...(व्यवधान) उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना समिचीन है। आज देश में अन्य तमाम लोगों के लिए जो मानदेय दस हजार रूपये का है, वह भी उनको नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मैं समझता हूं कि देश के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को वे वास्तविकता के धरातल पर लागू करती हैं।...(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हमें मालूम है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, देश भर में हमारी 28 लाख बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के रूप में कार्य करती हैं।...(व्यवधान) उनको 20-20, 30-30 वर्षों से प्रमोशन नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान) उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है।...(व्यवधान)उनको सीडीपीओ नहीं बनाया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, मैं माँग करता हूँ कि देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती योग्य हैं।...(व्यवधान) उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाये और समय से उनको वेतनमान दिया जाये।...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ।...(व्यवधान)

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदया, मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूँ।

अनेक माननीय सदस्य : हम भी समर्थन करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब अपना समर्थन लिखकर दे दीजिएगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कविता कलवकुंतला, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री शिवकुमार उदासि, श्री ए.टी.नाना पाटील, डॉ. संजय जायसवाल, श्री निशिकान्त दुबे, श्री रमेश बिधूड़ी, श्री संजय धोत्रे, श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण, श्री विनोद कुमार सोनकर, डॉ. यशवंत सिंह, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री कमलेश पासवान, श्रीमती अंजू बाला, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, साध्वी सावित्री बाई फूले, श्रीमती नीलम सोनकर, श्रीमती रक्षाताई खाडसे,कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री राम प्रसाद सरमा और श्रीमती कृष्णा राज अपने आपको श्री जगदम्बिका पाल जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाह रहा हूँ।...(व्यवधान) मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में इस समय कृषि उपज मंडियों में मूँगफली की आवक बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार की योजना मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत खरीददारी की व्यवस्था में डिले होने के कारण मूँगफली की फसल के ढेर लग रहे हैं तथा मंडियों के आस-पास रहने वाले व्यवसायियों को भी ट्रैफिक जाम के कारण बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान ग्रामीण क्षेत्र से मूँगफली लेकर मंडी में आते हैं, उनको भी समुचित बोली की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक या दो दिन मंडी के आस-पास सड़क पर भी रुकना पड़ता है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। शहर के अन्य नागरिकों को भी ट्रैफिक जाम के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मूँगफली की आवक ज़्यादा होने के कारण मूँगफली की फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिक रही है जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री से मांग है कि बीकानेर की कृषि मंडियों में मूँगफली की फसल की

आवक को देखते हुए अतिशीघ्र मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत खरीददारी करने के निर्देश जारी करें तथा बजट की व्यवस्था भी उपलब्ध कराएँ जिससे राज्य सरकार सरकारी खरीद के लिए आवश्यक प्रबंध कर सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शिव कुमार उदासि, श्री ए.टी.नाना पाटील एवं श्रीमती ज्योति धुर्वे को श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बिष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदया, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुप्रीम कोर्ट के 5 जून, 2009 के आदेश के मुताबिक 325 होम गार्डज़ को एडमिस्ट्रेशन को एबज़ार्ब करने का आदेश दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर उनको जो अधिकार और बैनिफिट मिलना था, वह तुरंत दिया जाए। वे अधिकार क्या हैं - अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल, और ग्रेड पे छठे पे कमीशन के मुताबिक मिले। दूसरा, एसीपी और एमएसीपी जो दस साल का ड्यू है, छठे पे कमीशन के मुताबिक उनको दिया जाए। उनका एच.आर.ए. का एरियर्स इनीशियल डेट ऑफ अपाइंटमैंट से उनको दिया जाए। साथ-साथ एडहॉक बोनस भी डेट ऑफ अपाइंटमैंट से 2010 तक उनको दिया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में किया था, लेकिन आज पाँच साल बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ है। इस काम को करने के लिए मैंने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन तथा गृह मंत्रालय को पिछली लोक सभा से आज तक करीब पाँच बार पत्र लिखा है। मैं आग्रह करूँगा कि 325 होम गार्ड्ज़ के जो अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, अंडमान निकोबार प्रशासन तुरंत इस काम को पूरा करे और गृह मंत्रालय के नाम पर चिट्ठियों का आदान-प्रदान न करे। प्रशासन खुद यह काम कर सकता है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आदेश मुताबिक तुरंत कार्रवाई करके इन गरीबों को मदद पहुँचाए। इससे हर होम गार्ड को करीब 5 लाख रुपये का एरियर्स मिलेगा। जय हिन्द। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा आप सबसे निवदेन है कि जब आपकी मांग है और आप अगर ब्लैक मनी पर चर्चा भी चाहते हैं, उसको वापस चाहते हैं और गवर्नमैंट क्या कर रही है यह जानना चाहते हैं, अगर वास्तव में जानना चाहते हैं तो चर्चा करें। चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। मैं फिर से आपको निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप जब कहेंगे, और सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है तो इसका मतलब यह है कि आप सरकार से उत्तर नहीं चाहते हैं। Please go to your seats.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri E.Ahmed Ji. Do you want to raise your point?

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): No, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Thank you Speaker Madam for giving me an opportunity to raise an issue in which our twenty million farmers are depending on betel leaf which we call *Paana Patra* in our local language. Over Rs. 50 billion of revenue is being generated from this local produce. But 20 million farmers of the country including the farmers of Odisha Coastal belt, West Bengal, Andhra and Tamil Nadu are suffering. The pity is that this betel leaf has not been considered as a part of the agricultural produce in our country. There have been consistent demand for this betel leaf to be included as agriculture produce and the farmers have suffered from hud-hud cyclone and also suffering from continuous natural calamities in the coastal belt. So, my demand to the Agriculture Minister through you Madam is that let betel leaf or Paan patra be considered as a part of the agriculture produce and all the facilities including agriculture insurance be extended by which our twenty million farmer in our country get the benefit and cluster be developed in Balasore, Kendrapara and all the coastal areas of Odisha. Thank you Madam.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे गन्ना किसानों की दुर्दशा पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का मौका दिया है।...(व्यवधान) सदन में माननीय रामविलास पासवान जी मौजूद हैं, मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि सभी गन्ना किसानों का भुगतान होगा। मुझे खुशी है कि जो भी ईमानदार शुगर फैक्टरी थी, उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया और उससे गन्ना किसानों का भुगतान हुआ।...(व्यवधान) लेकिन मेरे यहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम की दो फैक्टरियां लोरिया और सुगौली में हैं और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत सरकार का उपक्रम है और लाखों करोड़ रुपया कमाता है।...(व्यवधान) उसके बावजूद भी लोरिया चीनी मिल के 17 करोड़ रुपए बाकी हैं और सुगौली चीनी मिल के 25 करोड़ रुपए हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर बाकी हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग उत्तर सुनने के लिए तो अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय रामविलास पासवान जी भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम को आज्ञा दें कि गन्ना किसानों के बकाया को एक हफ्ते के भीतर दिया

जाए।...(व्यवधान) आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ और डॉ. किरिट पी. सोलंकी अपने आपको डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह (बलिया) : महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने देश के विकास के लिए, देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के लिए की थी।...(व्यवधान) काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। उस शांतपूर्ण आंदोलन पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया। सैकड़ों छात्रों को जेल में डाला गया और लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है।...(व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीया जी की वह कृति है। इस विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने भी बर्बर अत्याचार किया है, उसकी जांच करके उन पर कार्रवाई की जाए और सभी निर्दोष छात्रों को जेल से बाहर किया जाए तथा छात्र संघ की बहाली की जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे समझ नहीं आता है कि जब आपको चर्चा देने के लिए सरकार तैयार है, तो आप वेल में क्यों आए हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप लोग चर्चा नहीं चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : महोदया, इंसान को अलग-अलग उम्र में अलग-अलग बीमारियां होती हैं, जिनके निवारण के लिए पेशेंट डाक्टर के पास जाता है। उसे लगता है कि हमारी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो लेकिन आज देश में देखा जा रहा है कि डाक्टर लोग कंटेंट न लिखते हुए, कम्पनियों का नाम लिख कर देते हैं। कम्पनी के नाम से दवाई काफी महंगी होती है। उदाहरण के तौर पर मैं एक दवाई का नाम बताना चाहता हूं जिसका कंटेंट एटेनोलोल है और अगर हम वही दवा हम अटेन कम्पनी की लेते हैं तो एक स्ट्रीप तीस रुपए दस पैसे की मिलती है और वही कंटेंट की दवा जिवलॉक कम्पनी की लेते हैं तो वह छह रुपए पच्चीस पैसे की मिलती है।...(व्यवधान) इसका मतलब एक कम्पनी उसी दवा का पांच सौ गुना ज्यादा लेती है।

मेरी आपके द्वारा सरकार से विनती है कि डाक्टर्स के लिए कम्पलशन करना चाहिए कि कम्पनी का नाम लिख कर देते हुए आरएक्स और कितने मिलीग्राम की दवाई लेनी है, यह लिखकर दें। धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल और श्री निशिकांत दुबे अपने आपको श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) : महोदया, बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने के लिए तीन साल पहले भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग का जमीन थी, वह हिंदू मिल का जमीन स्मारक के लिए देने के लिए घोषित किया था। अभी तक वहां स्मारक का काम नहीं हुआ है।...(व्यवधान) महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरनेशनल स्मारक मुम्बई में होना चाहिए। इसके लिए वह जमीन तुरंत दी जानी चाहिए और वहां स्मारक बनाने का काम तुरंत शुरू होना चाहिए।...(व्यवधान) दिसम्बर माह आने वाला है। बाबा साहब दलितों, पिछड़ों के महामानव हैं। बाबा साहब के स्मारक के लिए शासन तुरंत जमीन दे और स्मारक बनाने का काम शुरू करने का आदेश दे। धन्यवाद।...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको श्री सदाशिव लोखंडे द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।...(व्यवधान) ।

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Madam Speaker, as all of us are aware that Kumbh Mela is going to take place in July 2015 in my constituency Nashik of Maharashtra State. Kumbh Mela is our country's festival. Crores of pilgrims all over India are going to participate in this festival. To provide and needful amenities and facilities to the pilgrims is the duty of the Government. In the last Kumbh Mela of 2003 because of non-planning, about 29 deaths of pilgrims had taken place. Now also, seven to eight months are remaining to this mega event. The work of providing amenities for pilgrims is incomplete because of financial assistance. To provide good quality of amenities and facilities in stipulated time, the Central Government should release the financial assistance for the Kumbh Mela at the earliest. … (*Interruptions*)

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मस्थल

है।...(व्यवधान) बटेश्वर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र है।...(व्यवधान) वहां पर द्वापर में भगवान कृष्ण के बाबा सूर सिंह जी पैदा हुए थे और उस वजह से सौरीपुर नाम का गांव है।...(व्यवधान) वहां पर बलराम और कृष्ण जी का बंटवारा हुआ, उसकी वजह से बटेश्वर उस धाम का नाम पड़ा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि उस बटेश्वर धाम को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म भूमि होने के नाते एक पर्यटक स्थल के रूप में ऐतिहासिक बनाया जाए।...(व्यवधान) वहां पर एक सौ आठ मन्दिर बने हुए हैं, वे काशी से किसी भी सूरत में कम नहीं हैं।...(व्यवधान) वहां पर एक बहुत अदभूत् जगह है, जमुनाजी का बहाव पूर्व से पश्चिम की तरफ बहता है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इसे जरूर संज्ञान में लेते हुए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावनाओं की कद्र करते हुए उसको ऐतिहासिक रूप में, धरोहर के रूप में पर्यटक स्थल घोषित किया जाए।...(व्यवधान) तथा विकास किया जाए।

- आगरा से बटेश्वर जाने वाला बाह्य आगरा मार्ग की स्थिति बहुत ही जर्जर हालात में बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं इसको चार लेन का कराया जाए। आगरा से बटेश्वर के लिए रेलवे लाइन का काम चल रहा है परंतु बड़ी धीमी गति से उसको अविलम्ब पूरा कराया जाए।
- बटेश्वर धाम पर्यटन की स्थिति से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाए जिससे मा0 अटल जी का नाम हमेशा के लिए अमर रहे।
- बटेश्वर में दीनदयाल धाम फरह (मथुरा) की तरह साल में एक राष्ट्रीय प्रोग्राम अटल जी के जन्मदिन पर होना चाहिए।

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): I bow in the direction of Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma before beginning my speech.

Madam, this is a very important issue in my Pollachi Constituency. In my constituency, agriculture is a main source of income and occupation and around 60,000 acres of agricultural land totally depends on the Pampar River for irrigation. It merges with Chinnar River and Kottar River which is also known as Amaravathi in Tamil Nadu and enters into Udumalpet Taluka. Pampar is a tributary of River Amaravathi which in turn was a tributary of River Cauvery.

Recently the Chief Minister of Kerala Government has laid the foundation stone for construction of a new dam with a storage capacity of about 2 TMC

across the River Pampar at Pattisserry, Kandhalur Village in Kerala at an estimated cost of Rs. 26 crore. I would like to know whether the Union Government has given its consent for environmental clearance for the proposed project. If the Kerala Government goes ahead with the dam construction, cultivation in my constituency will be totally affected. Many farmers have also lost their cultivation and there is no income and no agricultural production. Further, whatever yield that comes from that place include rice, pulses, vegetables, fruits, milk etc., is exported to Kerala only. Pollachai is situated in the border of Tamil Nadu and Kerala.

Madam, we require only 12 TMC of water for irrigation and drinking purposes. Kerala Government has already created a lot of problems in the case of Mullaperiyar dam and now comes the Pambar river dam. … (*Interruptions*) Hence I urge upon the Union Government to take necessary steps to prevent Kerala Government from constructing the dam at Pattisserry in Kandalur in Idukki District on Pambar river to save hundreds of farmers in Tamil Nadu. Thank you.
… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: On this? This is not a discussion. You can raise it. It is okay.

… (*Interruptions*)

*SHRI P.R.SUNDARAM (NAMAKKAL): I express my salutations to Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma. In 2011, the Sri Lankan Government had filed a dubious case of drug trafficking against 5 fishermen of Ramanathapuram and all those fishermen were sentenced to death on 20 October 2014. Tamil Nadu Government, following the footsteps of Hon'ble Amma, provided Rs.20 lakh for making appeal in the case on behalf of Tamil fishermen. A letter was written to Hon'ble Prime Minister and the fishermen from Tamil Nadu on death row were released later. DMK President, through his statements, is merely involved in smear campaign in this matter. Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma is the savior who saved the lives of Tamil fishermen from death row. Tamil Nadu Government, under the able guidance of *Puratchithalaivi* Amma, is making all efforts to safeguard the interests of fishermen in Tamil Nadu. On 23rd November 2014, 14 Tamil fishermen, along with their 3 boats, were arrested by Sri Lankan Navy. Tamil Nadu Government, under guidance of Hon'ble *Puratchithalaivi* Amma has written a letter to Hon'ble Prime Minister for speedy release of arrested Tamil fishermen and securing their seized boats. I urge the Hon'ble Prime Minister to intervene in this matter and ensure immediate release of all 38 fishermen longing in Sri Lankan prisons. I also urge for securing all the 78 boats that were seized by Sri Lankan Navy. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, मैं कोल ब्लॉक के बारे में कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) यह जानकारी पूरे देश को है कि जो कोल ब्लॉक का कलाकारी से घोटाला हुआ, उससे कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए सरकार गिर गयी। ...(व्यवधान) अभी जो बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार चल रही है, उसने पिछली सरकार से कोई शिक्षा नहीं ली। ...(व्यवधान) देश का आम आदमी देख रहा है कि कोल ब्लॉक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ...(व्यवधान) बीजेपी सरकार ने जो सिद्धांत लिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने वायदा किया, निजीकरण को अमल करने के लिए बीजेपी सरकार ने एक आर्डिनेंस जारी किया। ...(व्यवधान) उस आर्डिनेंस को आइन बनाने के लिए, इसको एक्ट बनाने के लिए इस पार्लियामेंट सत्र में उन्होंने इंतजाम कर लिया। ...(व्यवधान) आज हमारे देश में कोल ब्लॉक की प्राब्लम है। ...(व्यवधान) पिछली सरकार के समय में 1 लाख 86 हजार करोड़ रूपए का घोटाला हुआ। ...(व्यवधान) उस घोटाले से यह प्राब्लम हमारे देश में आयी और खजाने में पैसा जमा नहीं हुआ। ...(व्यवधान) इसके बाद जो बीजेपी सरकार आयी, उसने इससे शिक्षा नहीं ली। ...(व्यवधान)

हमारी यह मांग है कि कोल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) कोल ब्लॉक को पी.एस.यू. के अंडर ही रहना चाहिए। श्रमिक कर्मचारियों को भविष्य में देखना चाहिए। ...(व्यवधान) यह हमारे देश का सामान है, संपत्ति है। ...(व्यवधान) उस संपत्ति को किसी दूसरे पूंजीपति के हाथ में नहीं देना चाहिए। ...(व्यवधान) यह संपत्ति किसी विदेशी के हाथों में नहीं देनी चाहिए। ...(व्यवधान) यह संपत्ति हमारे देश के भलाई के काम में लगनी चाहिए। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार से कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.बी.राजेश और श्री जितेन्द्र चौधरी को श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Prem Singh Chandumajra – not present; Shri Anto Antony – not present.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Arvind Sawant.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि मुम्बई शहर इस देश की आर्थिक राजधानी है और यह ज्वालामुखी के मुख पर खड़ी है। ...(व्यवधान) इसकी जनसंख्या आज के दिन डेढ़ करोड़ है, लेकिन रोजगार की वजह से करीब एक करोड़ लोग रोज मुम्बई शहर में आते रहते

हैं। ...(व्यवधान) आज इस अवस्था में मुम्बई शहर में जो पुरानी इमारतें हैं, उनको पुनर्विकसित करने की बात चल रही है, ...(व्यवधान) आज इन इमारतों की स्थिति बहुत गंभीर है, ...(व्यवधान) ये 100 साल पुरानी इमारतें हैं, ...(व्यवधान) हम उनके मरम्मत के लिए एमपी लैड से भी फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एन.डी.ए. सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी की बात की है।...(व्यवधान) एन.डी.ए. सरकार ने पक्के घरों की भी बात कही है। ...(व्यवधान) मैं उसका स्वागत करता हूं। ...(व्यवधान) इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई शहर के हालात की तरफ देखना भी आवश्यक है।...(व्यवधान) पुराने मकान, छोटी-छोटी गलियां, गंदगी और बीमारी, अनेक क्षेत्रों में घुटन जैसी महसूस हो रही है।...(व्यवधान) उनके पुनर्विकास का काम भी प्राथमिकता से करना होगा।...(व्यवधान) अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे आपने स्मार्ट सिटी की योजना बनाई है, वैसे ही मुम्बई शहर के पुनर्निर्माण की योजना बनाएं। ...(व्यवधान) झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कानून 300 स्कवेअर फुट मीटर की जगह दे दें, जिससे आगे चल कर एक भी झुग्गी-झोपड़ी मुंबई शहर में न रहे। ...(व्यवधान) उनके लिए केन्द्र सरकार अगले पांच वर्ष मुम्बई शहर के पुनर्निर्माण के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करे। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार के पास इनकम टैक्स के जरिए जो पैसे आते हैं उनमें एक-तिहाई पैसे मुम्बई शहर से आते हैं और मुम्बई शहर को कुछ भी नहीं मिलता है। ...(व्यवधान) यह सिर्फ पांच वर्ष के लिए मेरी मांग है, ताकि मुम्बई का पुनर्निर्माण हो सके।...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री चाँद नाथ (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदया, शून्य काल के दौरान लोक महत्व का मुद्दा उठाने की आपने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) मैं सदन का ध्यान डी.एम.आई.सी. में प्रस्तावित खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र को भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति-2011 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय विनिवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) इस प्रकरण में भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु पिछले साल प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं। ...(व्यवधान) भारत सरकार से स्वकृति अपेक्षित है।...(व्यवधान) इस हेतु डी.एम.आई.सी.डी.सी. लिमिटेड, जो कि भारत सरकार द्वारा डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु स्थापित एक निगम है, द्वारा भी औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग को स्मरण कराया जा चुका है...(व्यवधान) परन्तु भारत सरकार इन आवेदन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में तुरंत निर्णय ले कर उचित कार्रवाई की जाए। ...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ...(व्यवधान)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Hon. Speaker, Madam, I would like to bring to your notice that it has become a trend in Delhi to torture the North-Eastern people very regularly. … (*Interruptions*)

Killing of the North-Eastern people is going on unabated. Last week, within 48 hours, three people of the North-East have been killed. They have been murdered without any cause, without any rhyme or reason. … (*Interruptions*)

It is not only that, but molestation and rape has become a trend, targeting school-going girls and women who are working in the offices, those who have come from the North-East. They have become a regular prey in Delhi. … (*Interruptions*) It has become a pastime for these people. Moreover, obscene phone calls and threatening phone calls to these people have come regularly. According to the records of the Delhi Police, more than 600 phone calls are received by these unfortunate people belonging to North Eastern Region. People belonging to Manipur, people belonging to Mizoram, people belonging to Arunachal Pradesh – the people belonging to the North East in general – have become unfortunate pray to all these people.

Madam, through you, I simply request that proper steps may be taken. If the miscreants do this regularly without stopping it, then I feel that some untoward happening might take place in Delhi. So, it is better to curb it by giving stringent punishment to these people; they do not know that the North Eastern Region is a part of the country. I pray for urgent steps. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Jitendra Chaudhury, Shri M.B. Rajesh and Shri Ram Prasad Sarmah are allowed to associate with the issue raised by Shrimati Bijoya Chakravarty.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदया, सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार के सीवान जिले में भाजपा नेता और वहां के स्थानीय सांसद श्री ओमप्रकाश यादव के प्रवक्ता और भाजपा कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दिल दहलाने वाली घटना हुई है। आज पूरे बिहार में लगातार हत्याएं, अपराध, बलात्कार, छेड़खानी, लूटपाट की अनेकों घटनाएं दर्ज हैं किन्तु वहां की राज्य सरकार उसे पूरी

तरह संरक्षण दे रही है। इतना ही नहीं, बिहार के कई शहरों में लगातार बंद हो रहे हैं। भागलपुर से लेकर सम्पूर्ण बक्सर तक बिहार में अनेक घटनाएं घट रही हैं। राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार अविलंब हस्तक्षेप कर ऐसी निर्मम हत्याओं, अपराध पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार पर दबाव डाले। साथ ही सीवान में राजद के एक दुरनाम व्यक्ति जेल में बंद हैं। उनके द्वारा लगातार हत्याएं की जा रही हैं। उन्हें उसी सीवान की जेल में बंद रखा गया है। उन्हें सीवान जेल से अविलंब स्थानान्तरित किया जाए। भारत सरकार इस पर तुरंत हस्तक्षेप करके कार्यवाही करे।

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): Thank you madam for giving me the opportunity to speak on an important issue. I have been elected from the Malwa region of Punjab. Ferozepur Parliamentary constituency runs parallel to the border for 150 kms. It has the second highest category of SC population throughout India.

For a long time, cancer has plagued the people of this region. I have toured the villages of this region. There are several cancer patients in each village. Cancer is a deadly disease.

I urge upon the Government to establish a research center of cancer in Ferozepur for cancer patients of Malwa region. The Government should get treated the patients of cancer free of cost after identifying them. The poor people of the area cannot bear the high cost of the treatment. The hapless poverty-ridden SC population of the area must be helped by the Central Government in getting their treatment done free of cost.

So, I appeal to the Central Government to come to the aid of the poor people of the area. Government must establish a research and treatment centre for patients of the Malwa region.Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के विषय को उठाने की अनुमति दी है। मैं अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 गुजरता है। मेरे क्षेत्र में वह राजकोट और सौराष्ट्र की ओर गुजरता है। वहां विशाला सर्कल से जुहापुरा- सरखेज तक जाने के लिए बहुत यातायात होता है। इस कारण वहां कई जानलेवा एक्सीडैंट होते हैं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस राजमार्ग पर विशाला सर्कल से जुहापुरा-सरखेज और उसके आगे आउटर रिंग रोड, सरदार वल्लभभाई पटेल रिंग रोड तक एक बड़े फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए। ...(व्यवधान) इससे वहां यातायात में सुविधा रहेगी तथा जो जानलेवा घटनाएं अकस्मात होती हैं, उनका हम निवारण कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि आज की डेट में झारखंड बनाना रिपब्लिक हो गया है। एक तरफ बिहार के पटना में जब ब्लास्ट होता है, तो उसके तार झारखंड से जुड़ते हुए नजर आते हैं। ...(व्यवधान) अभी जब बंगाल में बर्धमान का ब्लास्ट हुआ, एनआईए जो जांच कर रही है, उस जांच में पता चला है कि संथाल परगना के साहबगंज, पाकुड़ और जमशेदपुर जिलों के आतंकवादियों से तार मिले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, आज ये ब्लैक मनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो चिटफंड कम्पनियां हैं, शारदा जैसी कम्पनियां हैं, उनके टेरर लिंक बंगलादेश के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए ने जो जांच की है, उससे पूरा झारखंड प्रभावित है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि चिटफंड कम्पनियों में जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जो टेरर लिंक को बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर बिहार और बंगाल सरकार जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं और बंगलादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, जिसके कारण झारखंड की आम जनता मर रही है, उस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए इन सारे पालिटिशियन्स को जेल में डालना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री ए.टी. नाना पाटील और श्री शिवकुमार उदासि को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, मैं किसान पुत्र होने के नाते यहां पूरे देश के किसानों की समस्या का प्रश्न उठा रहा हूं। हमारे देश में कॉटन का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। पूरे देश में कॉटन का जो उत्पादन होता है, उसमें से 33 परसेंट उत्पादन अकेला गुजरात ही करता है। गुजरात में सबसे ज्यादा मेरे डिस्ट्रिक्ट अमरेली में कॉटन उत्पादन का काम हो रहा है, लेकिन आज किसानों को कॉटन का पूरा भाव नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा कि किसानों को कॉटन का वाजिब भाव मिलना चाहिए और उसका हर एपीएमसी में स्टैंड खोलना चाहिए ताकि किसानों को अपने उत्पादन का पूरा भाव मिल सके, किसानों को सही मूल्य में फायदा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI): Thank you very much for giving me this opportunity to draw the attention of the House to the problem faced by the farmers of this country. There are around 12 crore farmers in this country. They are facing an acute problem of not having a fair price of their produce. … (*Interruptions*) Recently, when I was touring in my own constituency, Haveri and Gadag, I found that the prices of onion, maize and paddy had come down. Even the cotton prices have comedown. So, I would request the Government of India to intervene in the matter and ask the State Governments to procure the agricultural produce direct from the farmers.… (*Interruptions*)

Once again I would urge the hon. Prime Minister Narendra Modi Ji to give a scientific value, a fair price to the agricultural produce of the farmers of this country.

HON. SPEAKER: Shri A.T. Nana Patil is permitted to associate with the issue raised by Shri Shivkumar Udasi.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Madam, a bigger issue which is knocking at the door of India is Ebola Virus. I do not think it has warned both the Central Government and the State Governments about the severity of the problem. … (*Interruptions*) Everybody is of the opinion that it would not affect us. We have seen in Nigeria and other Central African countries a number of deaths due to this virus. We are not at all prepared to tackle it. This will create havoc

both in terms of human loss as well as economy…. (*Interruptions*) A single Ebola case can bring down the stock exchange index of a country.

I take this opportunity to wake up the Central Government from its slumber and would request it to issue a warning to the public. It should take special care at the airport as well as at the shores so that Ebola virus does not enter into India and we could be safe…. (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I stand here today to draw the attention of the House to the severe cyclone that had affected a large part of Odisha. At least, three districts which were 100 kilometres away from the coast had been affected by Hudhud in a severe manner. There were many casualties and a large number of houses were demolished and especially the tribal people were affected in the districts like Malkangiri, Koraput, Nabarangpur and Rayagada by Hudhud… (*Interruptions*)

I draw the attention of the Government that adequate support needs to be provided. A Central team had visited that area which have come back. I think the Ministry of Agriculture should take utmost steps to provide adequate support… (*Interruptions*)

The NDRF had done yeoman's service. The Odisha Government had also provided support to the Government of Andhra Pradesh in helping the affected people of Andhra Pradesh. I would expect the Central Government to provide adequate financial support for the upliftment of the tribal people of Odisha… (*Interruptions*)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूरे देश में सीजीएचएस की सुविधा प्रदान की जाती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उनके लिए और भी अधिक संवेदनशील है। मैं आपके माध्यम से पूर्व की विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं जबलपुर क्षेत्र से आता हूं, यहां सीजीएचएस कार्डधारियों की संख्या लगभग 80,000 है जबकि डिस्पेंसरी कुल चार हैं। हमारे पड़ोस में नागपुर में 87,000 लाभार्थी हैं और 15 डिस्पेंसरियां हैं। मेरा निवेदन है कि अनुपात के अंतर को ठीक किया जाना चाहिए। मौजूदा समय में सीजीएचएस की चारों डिस्पेसरियों में

ऑन लाइन सुविधा चालू है इसलिए लाभार्थियों के लिए किसी भी एक डिस्पेंसरी से दवा लेने की बाध्यता समाप्त करके अन्य किसी भी डिस्पेंसरी से इलाज और दवा लेने की सुविधा प्रारंभ करनी चाहिए। कार्डधारियों की संख्या के अनुपात में डॉक्टर और फार्मासिस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि मरीजों को ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। डिस्पेंसरियों के खुलने का समय साढ़े आठ से तीन बजे तक है। मेरा अनुरोध है कि डिस्पेंसरी 24 घंटे खुलनी चाहिए ताकि मरीजों के इमरजेंसी एडमिशन के लिए परेशान न होना पड़े और केंद्र सरकार इनको स्वास्थ्य की सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि इन विसंगतियों को दूर करने का काम जरूर होगा।

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): Madam Speaker, the situation in Assam is very dangerous. Now the fundamentalist organizations and jehadi organizations are spreading their network in Assam. After Burdhaman blast, we have seen that NIA has arrested so many people in Assam with grenade and bombs. Therefore, I would urge upon the Central Government that this matter should be taken up seriously so that people feel secured and the integrity and security of the country is not endangered.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Madam, this is with regard to Greenfield Airport in Hyderabad. Very recently the hon. Union Civil Aviation Minister, Shri Ashok Gajapathi Raju, who is from Telugu Desam Party and an ally of the Bharatiya Janata Party had named the domestic airport of Hyderabad in the name of N.T. Ramarao. This Airport was earlier named in the name of Rajiv Gandhiji after his demise. Every airport in this country has only one name.

Unnecessarily the Government had taken this decision wherein they have named the domestic terminal of the airport as N T Rama Rao domestic terminal. The consent of the State Government was not taken. Hyderabad has become a part and parcel of the Telengana State. They ought to have taken the consent of the State Government.

Moreover, I would like to suggest that the name of the airport of the new Capital of the Andhra Pradesh State can now name it in the name of N T Rama Rao. There is nothing wrong it. But unnecessarily Shri Chandrababu Naidu, the

hon. Chief Minister of Andhra Pradesh is influencing the Government of India and making a controversy in the capital of Telengana State. They are creating a problem in the State. I would like to urge upon the Government to withdraw the name of N T Rama Rao as the name of the domestic terminal.

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): The name of the airport in Begumpet in the combined State of Andhra Pradesh was N T Rama Rao but when the Congress Government came to power they removed the of N T Rama Rao. He was the Chairman of the National Front Government. He is a national leader and a pride of the Telugu people. He does not belong to one place. The present NDA Government has rectified the mistake. We appreciate the gesture. I would urge upon the Government to maintain the *status quo* in the matter.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद । यह मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान) हिमाचल प्रदेश में बंदरों की समस्या बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है। ...(व्यवधान) जहाँ एक ओर पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में बंदरों की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गयी है। ...(व्यवधान) आज किसान अपनी खेती-बाड़ी छोड़ने पर मज़बूर हो गये हैं। ...(व्यवधान) कई कारणों से उनसे मुक्ति नहीं पायी जा सकती है। ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर थी, तो प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किये। ...(व्यवधान) वहाँ पर उनके लिए नसबंदी केन्द्र भी खोले गये। उनको पकड़ने के लिए राशि भी दी गयी। ...(व्यवधान) लेकिन उसके बावजूद इस समस्या से निज़ात नहीं मिल पायी है। ...(व्यवधान) मैंने कई बार व्यक्तिगत तौर पर केन्द्र सरकार को लिखा है कि कानून में संशोधन करके वहाँ के किसानों को बंदरों से मुक्ति दिलायी जाए। ...(व्यवधान) जब वहाँ पर्यटक जाते हैं, तो सड़कों के किनारे उनके खाने के लिए ब्रेड फेंक देते हैं। ...(व्यवधान) बंदर जंगलों से निकलकर सड़कों और खेतों के क्षेत्रों में आ गये हैं। ...(व्यवधान) गांवों में महिलाएँ अपनी रसोई में भी नहीं जा सकती हैं। ...(व्यवधान) वे रसोई के अंदर आकर वहाँ से रोटी उठाकर चले जाते हैं। बच्चों के कपड़े फाड़ देते हैं। ...(व्यवधान) बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। यदि पूरे हिमाचल प्रदेश में बंदरों का आतंक फैला है, तो इसके लिए केन्द्र सरकार के कानूनों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से

आग्रह करता हूँ कि उसमें संशोधन करें और बंदरों के आतंक से हिमाचल प्रदेश को मुक्ति दिलाएँ। आपका बहुत-बहुत आभार। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.59 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.01 hrs

The Lok Sabha re-assembled One Minute past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Mr. Deputy-Speaker Sir, we have already given a notice for Adjournment Motion on bringing back black money.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister has said that they are ready to take it up for discussion.

… (*Interruptions*)

14.02 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

14.02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up Matters under Rule 377.

Shri Sanjay Kaka Patil – not present.
Shri Devji M. Patel – not present.
Shri Laxman Giluwa – not present.
Shri Satish Chandra Dubey – not present.

Dr. Anshul Verma.

… (*Interruptions*)

(i) Need to ban the unscrupulous practice of putting extra price stickers on consumer goods in the country

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDAI): It has been noticed that retailers/big malls/ company showroom put extra price sticker on salable goods throughout the country. I think this practice gives ample scope to increase the price of the goods thereby increasing the actual M.R.P. of product. In view of this, I urge upon the Government to frame rule to stop this malpractice by the unscrupulous businessmen. The Government should take strong action against this practice for the benefit of consumers. The M.R.P. should be in printed form on manufacturers' original sticker.

(ii) Need to declare sites of religious importance in Hardoi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh as tourist places and provide suitable financial package for the purpose

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र हरदोई के अति पिछड़े, जीर्ण-शीर्ण दशा में धार्मिक स्थलों के संबंध में ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय पर्यटन मंत्री जी से मांग करता हूं कि निम्नलिखित धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित कर जनपद हरदोई को विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराते हुए सौंदर्यीकरण कराने की कृपा करें :

1. नर्मदा ताल तीर्थ, शाहबाद, वि.ख. शाहबाद
2. विवियापुर आश्रम, ग्राम विवियापुर, वि.ख. भरखनी
3. दहरझील पक्षी विहार, साण्डी, वि.ख. साण्डी
4. श्रवण देवी मंदिर भक्त प्रह्लाद घाट, हरदोई नगर
5. धोबिया आश्रम, ग्राम धोबिया, जिला हरदोई।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Meenakashi Lekhi – not present.

(iii) Need to provide piped natural gas connections to all the households in North East Mumbai

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Though there are about five lakh households in Mumbai North East area, yet only 83,000 domestic Piped Natural Gas connections have been given by the Mahanagar Gas Limited, MGL, Mumbai in these areas since its inception. The performance is very poor in some areas such as Vidyanagar, Bhandup, Kanjur Margh. In spite of several representations and meetings, the officials of the MGL, ONGC and the Ministry of Petroleum and Natural Gas have not taken the issue seriously.

A rigorous action plan needs to be drawn to ensure that every household in Mumbai North East Lok Sabha constituency and also other parts of Mumbai be provided PNG connections in the next five years. A suggestion has also been received to constitute Vigilance and Monitoring Committee like other Ministries to coordinate, support and monitor the action plan.

I would urge upon the Ministry of Petroleum and Natural Gas to pay attention to this issue and extend PNG connections to all the domestic households in North East Mumbai.

(iv) Need to launch skill development programmes in Uttarakhand to enable people to earn their livelihood and prevent large scale migration of people from the State

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदय, संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र देश के लिए सामरिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दशकों से समूचा पर्वतीय क्षेत्र पलायन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। अनियंत्रित पलायन से जहां एक ओर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है वहीं दूसरी ओर हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को अप्रत्याशित क्षति हो रही है। पलायन का मूल कारण पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। मौसम परिवर्तन, मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव तथा समय-समय पर आने वाली भीषण प्राकृतिक आपदा ने क्षेत्र के लोगों की कमर तोड़ दी है। केदारनाथ की भयावह आपदा और हाल में कश्मीर में आई जल प्रलय इसका जीता-जागता प्रमाण है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हिमालय क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कौशल विकास कार्यक्रम चलाएं जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि, बागवानी, कुटीर उद्योग पर आधारित रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं ताकि इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chand Nath – not present.

(v) Need to facilitate the movement of civilians in cantonment area in Ranchi parliamentary constituency, Jharkhand

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रांची (झारखंड) में रक्षा मंत्रालय के लिए हजारों एकड़ जमीन सुगनू, खटंगा, गाडी होटवार एवं नामकोम रॉची में ली गई है जहां पर मिलिट्री छावनी बना है। लोगों का रास्ता पहले से है उसमें बिना रोक टोक के चलते थे। अभी वर्षों से मिनिट्री के जवान गांव वालों को बराबर परेशान कर रहे हैं। कभी रास्ता बंद करते हैं यहां तक कि तालाब एवं मंदिर में भी जाने से रोकते हैं। इसकी वजह से रिश्तेदार एवं अन्य लोग शादी विवाह में नहीं जा पाते हैं। सुगनू ग्राम का आधा किलोमीटर कच्चा रास्ता है, नक्शे में भी है उस रास्ते को भी नहीं बनाने देते जिससे गांव वालों को भारी परेशानी हो रही है। अभी हाल में नामकोन छावनी में ग्रामीणों का रास्ता रोकने का प्रयास किया गया तो गांव वालों के विरोध करने पर रास्ता खोला गया जबकि अनेकों जगह पर राज्य में कई छावनियां हैं, कहीं इस तरह से परेशान नहीं किया जाता है। चारों तरफ तार का घेरा है, रास्ता अलग है इसके बावजूद गांव वालों को बराबर परेशान किया जाता है। पहले जब मैं पूर्व में सांसद था तो इस मामले को मैंने कई बार सदन में उठाया था एवं रक्षा मंत्रालय को पत्र भी लिखा था। परन्तु आज तक इस ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

अतः आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच अविलम्ब कराई जाए। ग्रामीण जनता की आवागमन में हो रही परेशानी का समाधान कराया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri M.I. Shanavas – not present.

(vi) Need to ensure safe return of fishermen from Tamil Nadu languishing in jails in Sri Lanka

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): In November 2011, five innocent Tamil Nadu fishermen of Rameshwaram named Emerson, Augustin, Wilson, Prasad and Langlet were arrested by the Sri Lankan navy while fishing under the false charges of drug trafficking. Our Hon'ble Chief Minister Puratchithalaivi Amma on November 2011 had appointed advocate on behalf of the fishermen and Rs. 2 lakh was released and further to speed up the trial Rs 3 lakh was released in February 2013. Relief measure by way of monthly Rs 7500 per family and in 2012 Rs. 2 lakh per family was given and many letters addressed to Hon'ble PM were sent. On 30th October 2014, the Colombo High Court sentenced to death the five fishermen. Shocked by this news our Hon'ble Chief Minister Puratchithalaivi Amma, through Government of Tamil Nadu filed an appeal at the Supreme Court of Sri Lanka demanding cancellation of death sentence and Rs 20 lakh was released for the expenses and has also pressed the Centre in this regard. Because of the continuous and dedicated efforts made on war-footing by our leader, the innocent fishermen were released and upon their return relief measure of Rs.3 lakh per family was given.

In conclusion, the Government of India should take necessary steps to ensure immediate return of 38 fishermen lodged in Sri Lankan jail and release of 78 Tamil Nadu fishermen's boats and to retrieve Kachchatheevu Island a part of India and a firm, clear, unequivocal and unambiguous message be sent to the Sri Lankan side that these hostile acts against Indian fishermen would not be tolerated and should cease forthwith.

(vii) Need to provide technical education to the youth of Paradip region to facilitate their employment in Skilled and Semi-skilled jobs in Indian Oil corporation Limited in Paradip

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): At the outset, I would like to congratulate the Minister of Petroleum and Natural Gas for laying of the foundation stone of the Poly-Propylene (PP) Unit in the Indian Oil Corporation (IOC) Refinery Project at Paradip, Odisha. It is a welcome step as the same would definitely propel the development process of the State and would also make the region a Petrochemical hub.

However, I would like to state that IOCL for establishment of its Refinery Division at Paradip, has acquired about 3500 acres of land thereby displacing the people from their homeland as well as acquiring the agricultural land of the farmers and provided compensation for the same. But as per the MoU signed, a member of every land oustee and displaced family, if educationally eligible is supposed to get employment in its establishment. But till now no employment in respect of land oustees and displaced families, has taken place in original project of Refinery Division of IOCL at Paradip on the ground, as has been clarified by IOCL authority, that the educated youth from the land oustees and displaced families are not meeting the eligible criteria, especially the technical education, required for the establishment. If the reason cited by IOCL authority is genuine, then, how the grievances of the local people especially the land oustees and displaced families could be addressed? In this connection, I would like to suggest that before functioning of the Poly-Propylene (PP) Unit at Paradip starts, the IOCL authority should take initiative for providing training to the educated youth of the region, especially land oustees and displaced families by which they could be employed therein.

Hence, I urge upon the Minister of Petroleum and Natural Gas to evolve a special mechanism to provide technical education to the educated youth of the region including educated persons of land oustees and displaced families in order

to facilitate their employment in skilled and semi-skilled category in IOCL establishments in Paradip, Odisha, keeping in view backwardness and unemployment factor of the region as well as of State.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sanjay Haribhau Jadhav – not present.

(viii) Need to return unutilized land to the original owners in Haryana as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I would like to request the Government to return the land acquired for setting up of SEZs to the farmers which has remained unutilized for the five years after acquisition. According to Section 101 of 'the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013', "When any land acquired under the Act remains unutilized for a period of five years from the date of taking over the possession, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be or to the Land Bank of the appropriate Government by reversion in the manner as may be prescribed by the appropriate Government".

Therefore, I urge the Government to return this unutilized land which is a long pending demand of the farmers including those of Haryana. Otherwise, it would be injustice to those farmers who were compelled to sell their land in the name of *'Public Purpose'* at throwaway prices.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kumar Haribansh Singh – not present.

(ix) Need to make provision for constructing a sub-way on NH-47 at Mullakkara Centre-Mulayam Road in Kerala.

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Along the new Mannuthy-Vadakkanchery six-lane NH-47 currently under construction, there is no provision for a subway at Mullakkara Centre-Mulayam Road. This is an important centre serving as hub for several institutions and places of worship frequented by thousands of students and other common people every day. With the construction of this six lane highway, the area will be divided into two. Mullakkara centre-Mulayam Road turns fatal for those who attempts to cross the highway. Even when it was a four lane highway, hundreds of accidents have taken place and people died in this stretch of the highway. The State Human Rights Commission has ruled that a subway be built at Mullakkara centre- Mulayam Road in order to enable people to cross the highway safely.

I, therefore, urge upon the Government to make provision for constructing a sub way at Mullakkara Centre-Mulayam Road across this six-lane NH-47.

(x) Need to establish a Kendriya Vidyalaya and a Navodaya Vidyalaya in Valmiki Nagar Parliamentary Constituency, Bihar.

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर (बिहार) बापू की कर्मभूमि है जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत की थी परंतु अति दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज स्वतंत्रता के 67 साल बाद भी यहां एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हम नहीं कर सके। हमारा संसदीय क्षेत्र नेपाल तथा उत्तर प्रदेश से लगता है जहां दलित तथा जनजातियों की जनसंख्या काफी मात्रा में है।

अत: संसद के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर (बिहार) में एक केन्द्रीय विद्यालय तथा एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति अविलंब करने की कृपा प्रदान करें।

(xi) Need to provide adequate irrigation facilities in Sangli district of Maharashtra

*SHRI SANJAY KAKA PATIL (SANGLI): Irrigation is a burning issue in India. Lack of proper mechanism, lack of planning in irrigation and ignorance from the policy makers of the past led to man-made crises which created the unrest among the different societies. Therefore, it is the duty of all the parliamentarians to address all the important issues of irrigation.

Irrigation facilities in the state of Maharashtra are not sufficient to meet the growing present demands. Tembhu, Takari-Mhaisal, Arafal, the current irrigation projects in the Sangali Loksabha Constituency, have been stalled due to previous State and Central Government's non-intervention since last 20-25 years. Farmers in Sangli District will have to strive hard to increase their productivity to meet the growing demands of food. Therefore, to meet the growing demands of the food, irrigation facilities need to be developed. I, therefore, urge the Central Government to have a fresh look on the issue of irrigation.

To sort out the ongoing crises of the irrigation in District of Sangli, policy makers need to have in-depth, holistic approach to find out the pragmatic solution to deal with the problems of irrigation in Maharashtra on urgent basis.

---

* Speech was laid on the Table

(xii)Need to establish District Disability Rehabilitation Centre for persons with disabilities in Chamarajanagar District, Karnataka

*SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I would like to draw the kind attention of the Government towards sanction for the establishment of District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) for persons with Disabilities in my Constituency i.e., Chamarajanagar District (Karnataka State).

Under District Disability Rehabilitation Centre for persons with Disabilities Schemes, 107 Districts are covered in India, out of which 4 DDRCs are to be launched in Mysore, Gadag, Haveri and Raichur in Karnataka State. The Government of Karnataka provides Rs.30.00 lakhs for administration and another Rs.50.00 lakhs could be mobilized under ADIP Scheme for aids and appliances.

Chamarajanagar Lok Sabha Constituency is a "Reserved Constituency" and it is one of the most backward Districts in Karnataka, according to Dr. Nanjundappa's Committee report on redressal of "Regional Imbalance" and ranked 25th in the State Human Resource Development Index. Population of SC/ST category in this District is about 40%. In Chamarajanagar District, there are around 30,000 disabled and they need various rehabilitation services. For the reasons explained above, I humbly request the Union Government to sanction the establishment of District Disability Rehabilitation Centre for persons with Disabilities in Chamarajanagar District (Karnataka) so that various rehabilitation services could be provided to disabled persons of my Constituency.

* Speech was laid on the Table

(xiii) Need to disburse wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Rajasthan through cooperative banks

***श्री चाँद नाथ (अलवर):** राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाएं राज्य में मनरेगा श्रमिकों को बैंकों के माध्यम से भुगतान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । इन संस्थाओं द्वारा 34 लाख मनरेगा श्रमिकों को भुगतान का कार्य अब तक संतोषजनक हो रहा हैं । परंतु इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन हेतु होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है । परिणामस्वरूप इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन में हानि हो रही है जिससे इनकी लाभप्रदत्ता विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है । अतः यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं को इस कार्य निष्पादन में हो रहे खर्चों की पूर्ति स्वरूप अनुमानित रूप से राशि उपलब्ध करवाई जाए । राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी संस्थाओं का नेटवर्क काफी मजबूत है तथा उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सभी सहकारी योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि आदानों पर अनुदान का वितरण, छोटे तथा सीमांत कृषकों में लगभग 80 प्रतिशत को फसली ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल है । मनरेगा अधिनियम में प्रावधान होने के कारण मनरेगा राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखी जा रही है किंतु अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं की भूमिका को देखते हुए मनरेगा राशि राज्य के सहकारी बैंक में रखी जानी चाहिए ।

---

* Speech was laid on the Table.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I want to bring order in the House. Hence, I request you to go to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: I can understand the situation. You have expressed your views.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: You have already expressed your views to the effect that you want certain issues to be discussed. That is the point.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, you are raising some other issue.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to me.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: What do you want? Tell me.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to me.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Question Hour is already over.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I can understand the feelings of Members. I am also giving respect to the feelings of Members.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge wants to say something. Please hear him.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Deputy Speaker, Sir, since morning the business of the House is going on when Members are standing in the well. When the House is not in order, the hon. Speaker and the hon. Deputy Speaker are allowing Members to get their grievances highlighted here and continue the business. I am sorry for that.

In the morning itself I personally went and requested the Speaker to suspend the Question Hour and take up the Adjournment Motion so that we can discuss the issue thoroughly and then whatever reply the Government wants to give, let them give. If they do not want to give reply today, they can give reply tomorrow. So, I requested the hon. Speaker to suspend the Question Hour as per rule and take up the Adjournment Motion. I gave a letter to the Speaker for suspension of Question Hour only to take up that discussion. It is not a new thing. In 2011, hon. Advaniji and other important leaders expressed their views on this issue here. Today we wanted to highlight the issue because they told that within 100 days they would bring back black money. They stated that in their manifesto and also outside. Not only that; they defamed the UPA II Government on this issue. They went door to door, city to city, town to town and village to village and propagated about it. Therefore, they should apologize for this. That is why we want to have this discussion today. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Deputy Speaker, Sir, the people who have stashed black money in foreign banks, they should feel ashamed and they should offer apology to the country. As the Government, we have nothing to hide. They want to obstruct the truth. That is the problem. They do not want debate, they do not want discussion and they want to hide all their failures and crimes by creating this *hungama*. We are ready for the

discussion any time. Let us have a debate. There is no problem for us. … (*Interruptions*)

हमारे जमाने में कुछ नहीं हुआ, उनके जमाने में हुआ, यूपीए के टाइम में काला धन बाहर गया, समाधान उन्हें देना पड़ेगा, हमें क्या संकोच है, हम बहस करने के लिए तैयार हैं, हमने सुबह भी कहा, दोपहर में भी कह रहा हूं, चेयर कभी भी डिसाइड करे, हम बहस के लिए तैयार हैं। मेरी विपक्ष से प्रार्थना है कि आप कृपया सदन को चलने दीजिए। … (*Interruptions*)

Let the House function and let the people's problems be discussed here. The children of the country are watching how the Parliament is functioning. They should understand that and they should not undermine the prestige of the Parliament. The Prime Minister has gone to Nepal for the SAARC Conference. He is attending an international conference in the interest of the country. They should know that he is in a foreign country. But they are taking his name and unnecessarily blaming him by using even certain words which are not dignified for the Parliament.

Khargeji is a senior leader. There are rules, there are regulations and there are precedents which were set by previous Governments. I am ready to walk more than half the way. Let us discuss this Bill first and afterwards take up the discussion on black money even today itself. That is my appeal to the Opposition parties. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Mr. Deputy Speaker, Sir, I gave a notice also today demanding a discussion on black money stashed outside India and steps taken by the Government to bring black money back to India. It was the notice for suspending the Question Hour. It was the common intention that the hon. Speaker will understand the gravity of the situation and the Government will respond to that.… (*Interruptions*) Now Mr. Venkaiah Naidu *ji* is standing and doing very big talks. Why did he not at that moment stand and agree to the proposal of the opposition parties that let the suspension of the Question Hour be made and the discussion be initiated?. … (*Interruptions*) We feel, by not

allowing the discussion, the Government is betraying the nation. बहस बहुत हो चुकी, काला धन वापस चाहिए। ...(व्यवधान) काला धन वापस चाहिए। ...(व्यवधान) सरकार बताए कि काला धन कैसे वापस आएगा? ...(व्यवधान) How will that money come back? We want to know that from the Government… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I met the Speaker before the House started. … (*Interruptions*) We are ready for discussion. But there are rules. The Speaker is bound by rules.… (*Interruptions*) The House is bound by rules.… (*Interruptions*) They cannot have the discussion like this.… (*Interruptions*) Then they cannot upset the Business for a full day. The entire country is watching. They are aghast with this behaviour.… (*Interruptions*) I request them to please resume their seats, have meaningful discussion and take up the Bills. Then we can take up the discussion on black money also. Black money was accumulated in the last 50 years not in these 180 days. They should understand in whose period, black money was stashed outside. Let them answer this question. They should search their souls and then they must come forward. … (*Interruptions*) हमारे जमाने में कुछ नहीं हुआ। ...(व्यवधान) हमने कुछ नहीं किया। ...(व्यवधान) हमारे जमाने में कोई काला धन बाहर गया नहीं। ...(व्यवधान) उनके जमाने में गया गया है। ...(व्यवधान) ये लोग उस समय मंत्री थे। ...(व्यवधान) ये लोग उस समय जिम्मेदारी निभा रहे थे। ...(व्यवधान) इसलिए अब उनको जवाब देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) हमको कोई संकोच नहीं है। ...(व्यवधान) आज शाम को करें, कल सुबह करें, हम तैयार हैं। ...(व्यवधान) Evening or tomorrow morning, we are ready any time. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Listen to me first. Kharge *ji* spoke.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister replied. At 4 p.m. there is a meeting of the Business Advisory Committee. There we can decide. At that time we will take it up.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Therefore, we will continue with the Business.

… (*Interruptions*)

<u>14.27 hrs</u>

DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL, 2014

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Supplementary List of Business. We are taking up Item 12A.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, before we take up consideration of The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, we have to allot time for its discussion. If the House agrees, we can allot two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, be taken into consideration."

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, be taken into consideration."

Shri Arjun Ram Meghwal to speak.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने का अवसर दिया है। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, इस बिल के दो ही प्रावधान हैं। ...(व्यवधान) जो सन् 1946 का एक्ट था, उसका सैक्शन 4(ए) और क्लॉज़ बी ऑफ सब-सैक्शन (1) में सरकार अमेंडमेंट करने जा रही है। ...(व्यवधान) उसका उद्देश्य यह है कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होनी है और यह देश के इंट्रैस्ट में है। ...(व्यवधान) मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह कांग्रेस के भी इंट्रैस्ट में है। ...(व्यवधान) कांग्रेस के साथियों को भी इस चर्चा में भाग लेना चाहिए और उसमें सुनना चाहिए। ...(व्यवधान) क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यह अमेंडमेंट किया गया था कि सीबीआई के डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए जो पैनल बनेगा, उसमें लीडर ऑफ अपोज़िशन शब्द इन्होंने डाल दिया ...(व्यवधान) लेकिन इनको पता नहीं था कि सन् 2014 में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कांग्रेस लीडर ऑफ अपोज़िशन बनने के लायक भी नहीं रहेगी। ...(व्यवधान) तब जा कर इनको समझ में आया कि यह क्या हुआ। ...(व्यवधान) यह जो टैक्निकल दिक्कत आई है, हम तो उसको दूर करने के लिए यह बिल ले कर आए हैं। ...(व्यवधान) इस बिल में लीडर ऑफ अपोज़िशन शब्द की जगह सिंगल लारजेस्ट आपोज़िशन पार्टी शब्द जोड़ रहे हैं। यह बिल कांग्रेस के हित में है। यह बिल देश के हित में है। दूसरा जो अमेंडमेंट है, वह यह है कि जो कमेटी बनी हुई है, उसमें कई मैंबर उस समय एब्सेंट रह जाते हैं।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, this is a Supplementary agenda. If they want to take it in a hurry and tell that we are recognising the single largest party as Member of the Selection Committee, we are not here to beg for that post. We are here to uphold the democratic principles.… (*Interruptions*) Therefore, such kind of bills should not be taken up in a hurry. The Government has assured us that they will discuss it tomorrow or day after tomorrow.… (*Interruptions*) We will definitely cooperate in passing this Bill or other bills. The Minister has introduced the Bill and that is enough. If they put it for passing then we will oppose it.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: They are not passing it hurriedly.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Only discussion is taking place.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, अभी खड़गे साहब बता रहे थे, अगर ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पढ़ लेते तो इनको स्थिति क्लियर हो सकती थी।...(व्यवधान) सैक्शन 4 (ए) में जो दिल्ली पुलिस इस्टेबिलिशमेंट 1946 का हवाला दिया हुआ है, उसमें लोकपाल और लोकायुक्त का बिल भी इसी हाउस में पास हुआ था। वह इन्होंने ही पास किया था, उस समय यूपीए सेकेंड थी। उसमें भी इन्होंने लीडर ऑफ अपोजीशन शब्द डाल दिया था।...(व्यवधान) लोकायुक्त और लोकपाल के अधिनियम में आगे प्रक्रिया में हर्डल आ रही है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और सीबीआई के डॉयरेक्टर के एप्वाइंटमेंट में जो हर्डल आ रही है, हम उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।...(व्यवधान) हम देश हित में काम कर रहे हैं। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश हित में काम करने का जो संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)

महोदय, जो इसमें दूसरे अमेंडमेंट की बात है, उसमें सिलेक्शन का एक पैनल है।...(व्यवधान) उस सिलेक्शन पैनल में कई बार कोई मेंबर नहीं आता है।...(व्यवधान) केवल उसी रीजन के कारण वह सिलेक्शन इनवैलिड नहीं हो, इसका प्रयास इस बिल में हमने किया है।...(व्यवधान) यह जो सैक्शन 4 (ए) है, इसमें अगर आप बी का पार्ट 2 देखते हैं:

> "No appointment of a Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the committee."

ये जो दोनों प्रावधान किए गए हैं, ये दोनों ही प्रावधान देश हित में हैं। आगामी दो दिसंबर को सीबीआई डॉयरेक्टर का पद खाली होने वाला है, अर्जेंसी है, इसलिए हम इस बिल को लाए हैं। हम इस बिल को कोई जल्दबाजी में नहीं लाए हैं, सोच-समझकर लाये हैं, डिसकस करके लाए हैं और यह बिल देश हित में है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy Speaker, Sir, what Shri Khargeji, one of the most experienced Parliamentarians, has said is true. There is no need to rush through the Bill. What I am suggesting is that we will discuss the Bill threadbare and we will pass it tomorrow as suggested by him. I have no problem in that.… (*Interruptions*) The urgency to introduce the Bill has been explained. The Leader of the largest party in the Opposition has already said that they have no problem and they are also willing to cooperate and pass the Bill. My suggestion is that there are different sections of people in Parliament, let them express their views. I am not going to press for voting today. We will take it for tomorrow. Tomorrow also, if need arises, we will discuss it for some more time and then pass it.

Once the Bill is introduced and discussion started, we should cooperate.… (*Interruptions*) The entire country is watching as to who is obstructing the House out of 543 Members..… (*Interruptions*) Please try to understand the spirit of democracy. The democracy goes by majority and cooperation of minority also. So, I appeal to the House that let the discussion proceed. We will take the passage of the Bill tomorrow. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: It will be passed tomorrow.

… (*Interruptions*)

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Bill proposes an amendment to the Delhi Special Police Establishment Act. Our Party, Telugu Desam Party, supports this Bill without any change. …(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Parliamentary Affairs Minister has already said that this Bill would be passed tomorrow only.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Let it be discussed tomorrow. …(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He accepted and said that this Bill would be passed tomorrow and not today. He has asked the Members who want to speak on this Bill to speak today.

… (*Interruptions*)

SHRI THOTA NARASIMHAM : This Bill is very much necessary because the present CBI Director is retiring on 2nd December and we need to appoint a new Director. As of now, there is no Leader of Opposition. So, we need to bring this change in the original Act which will enable the Government to appoint a new CBI Director.

Thank you very much.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He already said that this Bill is not going to be passed today and it would be passed tomorrow. We will be allowing other Members to speak tomorrow also. We are not going to pass this Bill today. Today only those who are interested to speak will speak.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Shri Tathagata Satpathy.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kharge ji, what do you want?

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Shri Venkaiah Naidu ji has said that this Bill would be passed tomorrow. Therefore, we can have a discussion on this Bill tomorrow and not today. Sir, we can take up this Bill tomorrow. If you are going to insist, we do not want to be a party to this. Therefore, we stage a walk out now.… (*Interruptions*)

14.37 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Sudip Bandyopadhyay and some other hon. Members left the House.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.

I am surprised that the speakers from the ruling alliance have considered it of no significance to pass this Bill which is probably containing totally seven to eight lines. It seems extremely innocuous. It looks like that it is just a passing phase and one should rush through it. But there is a saying in English "Birds of the same feather flock together." So, whether it be the Congress or the BJP, in the past four Lok Sabhas, I am not seeing much of a change in character or change in behaviour. Once they are in the Opposition, they scream and shout for justice. When they go over to the Government, they are as big a bully as is possible.

Sir, CBI Director's post is at stake. The whole country knows it. Thanks to a PIL filed in the Assam High Court we came to know how the organization, Central Bureau of Investigation has had an unnatural birth and because of that, today we stand here and discuss how its Director, an organization whose birth is at question, shall be nominated. The normal procedure was that the Director shall be nominated by a Committee consisting of three members – Leader of the Opposition or now they are calling the Leader of the single largest opposition party, that is what is being cited as reason for the change, the Prime Minister and the Chief Justice of the Supreme Court. Today, there is no single Party that is capable of labeling itself as the main Opposition Party. Therefore, the Government is acting as if they have to make do with whatever is available. But, Sir, the dangerous part is in Section (2) which says: "No appointment of a Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the Committee." That means, we are always behaving in an extremely knee-jerk motion. This House may pass this Bill today or tomorrow. Let us think about 10 years later. Ten years hence when another Government would be in power and other people would be Ministers, they will take it that in the absence of a Member in the Committee, they can go ahead; may be two people, may be one person, may

be the Leader of the House alone can go ahead and say that the other two Members were absent. It is an extremely dangerous thing.

Sir, no time has been given to us to give amendments. I would suggest that the time should be allocated to give amendment; and let this be discussed threadbare because the CBI today, is an organisation that is being used by whosever happens to be in power. We had seen how the UPA had misutilised that organisation; you have yourself seen it in your State; and we are seeing, even in present days, why our colleagues from West Bengal and other parts of the country are worried. It is because the CBI is being used as an instrument of reeking vendetta on political adversaries.

Sir, I would give one example. There was an incident in Nithari, about which people were amazed and shocked across the length and breadth of this country. Young small children were taken into a palatial home of two people. One was Pandher and the other one was Koli…. (*Interruptions*) Yes, Koli was a servant. We all know how the kids were brutalized, how they were used as objects of desire, how they were butchered and how their limbs were cut off. There was blood everywhere. All circumstantial evidences were found. But unfortunately, the CBI, which was the investigating agency, let off the owner, who was rich and blamed the domestic help for all the crimes. That poor fellow is probably now waiting for the gallows.

So, the CBI – let us be very, very clear – is not a divine organisation. Lately we have seen the outgoing Director, his *kaarnaama,* his whole drama. The whole nation has seen it as to how he met people seven-eight times in a day, how he had been meeting people -- who are indicted, whom his agency was supposed to be investigating -- till late at night at his home. Interestingly, Sir, on the Coalgate scam, the Supreme Court, towards the end of its judgment, has said that they will reserve their judgment because if they give their full opinion, it will damage the premier investigating agency of this country. This is what it meant. I

am not exactly quoting the words because I do not have it noted down with me. But this is what it implied.

So, Sir, the Supreme Court has already cast an aspersion on the CBI. Then, it can fairly be assumed by the common man in this country that officials working in the CBI probably have their personal agendas and they are working with their eyes at someone else in the North Block or the South Block, who will please them, who will help them in their careers. And, to get those benefits, they will go out hunting …. they want. This is the mindset that is operating in the CBI. To counter-balance this, it is essential that we have this Committee, for sure. Let the leader of the largest Opposition party be a Member. We support that. We have no objections.

But we vehemently, from the Biju Janata Dal, want to put it on record that the CBI is a highly corrupt organisation. Its motives are suspect. Its officers are generally very corrupt. Therefore, we are not willing to accept that by reason of any vacancy or absence of a Member in the Committee that this Bill should be passed. With these two words that 'as long as there is a vacancy or an absence' the nomination to the Director of the post of CBI should not be acceptable.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You made an observation which cannot be used like that. Therefore, those words will be removed.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: To use it against the official, is not correct.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Thatagataji, please try to understand. Making a sweeping allegation against the entire organization is not advisable. I would request you to please modify your words.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : It is not my opinion. I am nobody.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: When it goes on record, it will be seen as if the entire organization is condemned. Yes, what you are saying is, there are apprehensions; there are criticisms also; and there were comments made even by the hon. Supreme Court also. So, while formulating a new law or taking steps to improve, we have to keep all these things in mind and try to make it as foolproof as possible. That is the effort. That is why, I want this discussion today and tomorrow also, if possible, so that we can get the best possible suggestions from various sections of the House and then we can move forward.… (*Interruptions*) We have no problem. The problem is, there is an urgency because we have to fill up the vacancy of the Director before 2nd December. You cannot cripple an organization, that too, an organization which is investigating into many, many sensitive cases in the country. Some of them are being monitored by the highest court of the land. That is the background. Please try to understand. I am not rushing. I have told it already.

I do not know why the leader of the largest Opposition party has not taken it positively. I wish he would have been here. He could have given his valuable advice. I hope that he will give tomorrow morning. It is not the question of *per se* we are trying to influence him by including the largest party. Today his party may be the largest party. Tomorrow, some other party or your party may become the largest party and that may become member in the Committee. But I do not want to say it. People of the country are better judges. They will decide. Sometimes, we were in the Opposition. Now they are in the Opposition. That is the position. We have to understand this. I am thankful to you for your support.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : The 2nd December date is not a power making date. You knew it in the last Session also. It could have been done. So,

pushing it through right now seems a little bit unadvisable. But please allow the amendment. My demand is, please allow the amendment.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have every right to move the amendment. You can move it. That is your right.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : The time is not there. How can I move it now?

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Yes, we know the urgency of this Bill. It is a fact that the CBI Director is going to retire next week and we have to appoint a new CBI Director.

The Statement of Objects and Reasons of this Amendment Bill says that naturally, as amended by the Lokpal and Lokayukta Act of 2013, the Delhi Special Police Establishment Act was amended and the Leader of the Opposition was a Member in the Committee which appoints the CBI Director. But in this House, in the Sixteenth Lok Sabha, we do not have an LoP because in democracy, we have seen that after 30 years a single largest party has come to power. After 1984 elections, this is the first time where the BJP Party could win and form the Government. And this Sixteenth Lok Sabha does not have the Leader of the Opposition. Yes, we have to definitely amend this Act because the earlier amended Delhi Special Police Establishment Act did not mention about the non-availability of the LoP. Hence, this amendment is necessary.

On behalf of my Party, TRS Party, we are supporting this Bill. As said by my good friend, Mr. Tathagata Satpathy no appointment of Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a member in the Committee. I would request the Government to make such an amendment so that if there is some vacancy, then in the guise of not having a member, the Government, whichever Party may be in power, should not appoint the Director at its whims and fancies. So, I feel that there is some necessity for this clause. Let this clause be there but we can make some amendment so that the spirit of this amendment will continue. Hopefully, if there is time we will suggest some amendment tomorrow.

श्री आर.के.सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज भी देश में कभी भी कोई संगीन मामला होता है, कोई करप्शन का मामला उठता है तो जनता से यही आवाज आती है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हमारे एक माननीय मित्र ने इस हाउस में पूरे आर्गनाइजेशन को जिस तरह से कंडेम किया, वह कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। न ही वह सच्चाई है और न ही वह उस आस्था को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहां की जनता की सीबीआई में है। आज भी वह आस्था उनके अंदर है। कुछ खराब लोगों के रहने के बावजूद संगठन के प्रति उनके अंदर आस्था है, जो यह दर्शाता है कि कुछ खराब लोगों के होने के बावजूद ज्यादातर लोग सीबीआई में अच्छे हैं, इसीलिए लोगों का इस संगठन पर विश्वास है।

हमारे विद्वान कुलीग ने पूरे आर्गेनाइजेशन को कंडेम किया, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं। यही एक आर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोगों का आज तक विश्वास टिका हुआ है। हम लोगों की जिम्मेदारी यह है कि हम लोग इस विश्वास को बनाये रखें और इसे मजबूत करें। इसी दृष्टिकोण से चेंजेज लाए गए। पहले एक चेंज आया, जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि डॉयरेक्टर के एप्वाइंटमेंट के लिए पैनल एक कमेटी तैयार करेगी, जिसके अध्यक्ष सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, बाकी दो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उसके मेंबर्स होंगे। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स होंगे, जो कि पैनल तैयार करेगी और उनसे सरकार एप्वाइंटमेंट करेगी। पहले यह व्यवस्था की गयी थी। इसे चेंज करके, 1946 में जो अरेंजमेंट्स थे, उसको चेंज करके यह व्यवस्था की गयी कि इसे कमेटी करेगी, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हेड करेंगे। अब यह महसूस किया गया कि इसको और बाई-पार्टिसान किया जाए, इसको और ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसको और न्यूट्रल किया जाए, इसीलिए यह व्यवस्था की गई कि जो कमेटी पैनल तैयार करेगी, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और जिसके सदस्य होंगे लीडर ऑफ अपोजीशन और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।

जिस समय यह प्रावधान किया गया, उस समय इस कंटिन्जेंसी को इमेजिन नहीं किया गया था कि कोई ऐसी भी स्थिति आएगी, जब कोई एक पार्टी के पास लीडर ऑफ अपोजीशन के रोल के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होगी। यह इमेजिन नहीं किया गया था, इसीलिए यह डिफीकल्टी अभी आ गयी है। उसी डिफीकल्टी को हम लोग ओवर कम करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सदन की पूरी सहमति है। हाउस के जितने लोग बोले, उन्होंने कहा कि इस पर हम लोगों की सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने सेकेंड अमेंडमेंट के लिए कठिनाई व्यक्त की है। उसमें यह प्रावधान है कि कोई एक मेंबर की एब्सेंस से सिलेक्शन vitiate नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसी व्यवस्था है, जो हर एक कानून में है। जहां कहीं भी कानून किसी कमेटी के द्वारा सिलेक्शन के लिए बना है, आप किसी भी कानून को उठाकर देखेंगे तो उसमें यह प्रावधान है कि उस सिलेक्शन कमेटी के किसी एक मेंबर की एब्सेंस के कारण वह सिलेक्शन vitiate नहीं होगा। यह प्रावधान अगर इस बार भी रहता तब भी एप्वाइंटमेंट में दिक्कत नहीं होती। एप्वाइंटमेंट में दिक्कत इसलिए हुयी, क्योंकि जिस समय वर्ष 2013 में लोकायुक्त कानून बना, उस समय सभी कंटिन्जेंसीज को विजुलाइज नहीं किया गया। जैसे कि इस कंटिन्जेंसी को विजुलाइज नहीं किया गया कि किसी पार्टी की इतनी संख्या नहीं होगी कि उसे लीडर ऑफ अपोजीशन की पोजीशन मिल सके। हर एक कंटिन्जेंसीज को विजुलाइज करके ही लॉ बनाना सम्यक होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीनों मेंबर्स कौन हैं? तीनों मेंबर्स में मात्र एक मेंबर सरकार के हैं, प्रधानमंत्री, दूसरे मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और तीसरे मेंबर लीडर ऑफ अपोजीशन या लीडर ऑफ दी सिंगल लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी इन दी पार्लियामेंट है। इसमें सरकार का एक ही मेंबर है। अगर बाकी दोनों जो सरकार के मेंबर नहीं हैं, उनमें से एक भी रहेंगे तब भी यह सिलेक्शन बाई-पार्टिसान होगा या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके के नॉमिनी रहें या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी रहें तब भी सिलेक्शन बाई-पार्टिसान होगा। इसलिए लोगों का जो यह संशय है, लोगों को यह शक है कि सरकार अपनी च्वाइस ही बुलडोज करेगी तो यह शक निर्मूल है, इसका कोई आधार नहीं है।

महोदय, जैसा कि हमने कहा है कि ये दोनों ही अमेंडमेंट्स बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल आवश्यक हैं। दोनों अमेंडमेंट्स की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि यह जो कंटिन्जेंसी आज अराइज किया है, उसे विजुलाइज पहले नहीं किया गया था। उस समय आपको याद होगा, जिस समय लोकायुक्त बिल पास हो रहा था, तब कितना टू एंड फ्रो हो रहा था, तब सम्भवतः यह हो सकता है कि उसमें यह कंटिन्जेंसीज मिस कर गया हो। उसी को हम लोग अभी करेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको पास करने में, इस हाउस को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अर्जेन्सी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, वह स्पष्ट है कि अर्जेन्सी क्यों है? जो भी अप्वाइंटमेंट हो, वह बिल्कुल तरीके से होना चाहिए और उसी के लिए यह सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए यह अर्जेन्सी है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, सरकार द्वारा आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संसोधन) विधेयक - 2014 लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आज संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास जो जरूरी आंकड़ा होना चाहिए, वह नहीं है। सरकार यह प्रस्ताव लायी है कि जहां लीडर ऑफ अपोजिशन न हो, वहां लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को सी.बी.आई. के डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए आधिकारिक मेम्बर बनाया जाए। हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है। दूसरी ओर सरकार द्वारा एक और प्रस्ताव लाया गया कि डायरेक्टर के अप्वाइंटमेंट के अंदर अगर कोई मेम्बर की पोस्ट वैकेन्ट हो या मेम्बर न हो तो उस पोस्ट को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, मेरे ख्याल से सरकार को इस मुद्दे को दोबारा देखना चाहिए क्योंकि जब विपक्ष का मेम्बर वहां नहीं होगा और डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, जिस तरह सत्पथी जी ने कहा था, मैं उसका स्वागत करता हूं। सरकार को इस पर विचार-विमर्श करना चाहिए और दोबारा अमैंडमेंट ला कर, अगर कोई मेम्बर नहीं आते हैं तो मेरे हिसाब से उस मेम्बर की जगह उसका कोई रिप्रजेंटेटिव वहां आ कर या उसकी जगह कोई प्रॉक्सी वोट डाल पाए, जिसके तहत डेमोक्रेसी के अंदर जो अधिकार है वह सबको मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि इस पर विचार-विमर्श कर, उस वोटिंग के अंदर, किसी रिप्रजेन्टेटिव को वहां पर आने का मौका दिया जाए, क्योंकि जो सी.बी.आई. है, मुझे लगता है कि हमारे देश की सबसे प्राइमेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मगर, पिछले अनेक वर्षों से हम पॉलिटिकल प्रेसर के अंदर ऑपोजिशन के ऊपर सी.बी.आई का दुरुपयोग देखते आए हैं। मेरे ख्याल से अप्वाइंटमेंट के अंदर ऑपोजिशन का जो रोल है, वह बड़ा अहम्म है। कहीं न कहीं ऑपोजिशन का भी बराबर हक उसके अप्वाइंटमेंट में होना चाहिए। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री हरीश मीणा(दौसा) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संशोधन पर बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह संशोधन लाना कानूनन आवश्यक था, वर्तमान में जो चुनाव हुए उसमें ऐसी स्थिति बनी कि एल.ओ.पी. की पोस्ट खाली रह गई जिसका श्रेय भारत की जनता को जाता है।

महोदय, हमारी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होती है, जब पार्टिसिपेटेड गवर्नेंस होता है। वर्तमान कानून के मुताबिक बिना संशोधन के, बिना एल.ओ.पी. को भी नियुक्ति हो सकती थी, चूंकि हमारी सरकार की इस व्यवस्था की साख बनानी है, इस संशोधन की साख बनानी है, इसके लिए आवश्यक था कि प्रजातंत्र में चाहे छोटा ही दल हो, चाहे कितनी भी छोटी आवाज हो उसको भी सुनना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी यह संशोधन लायी है। एल.ओ.पी. का पद नहीं होते हुए भी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसकी इसके डिसिजन मेकिंग में साझीदारी हो। इसका यह फायदा होगा? उस पद की गरिमा बढ़ेगी, उसकी क्रेडिब्लिटी बढ़ेगी और जनता में विश्वास की भावना बढ़ेगी।

महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि इसको जल्दी में लाया गया है। यह जल्दी में नहीं लाया गया है। परिस्थिति ऐसी बनी कि वर्तमान सी.बी.आई. डायरेक्टर 2 दिसम्बर को रिटायर हो रहे हैं, इससे पहले सरकार को नियुक्ति करनी थी। नियुक्ति करने के लिए यह संशोधन आवश्यक हो गया था। मैं मानता हूं कि सरकार के हित में, जनता के हित में और जनता का विश्वास प्राप्त करने के हित में यह महत्वपूर्ण कदम है। इसका हमें और आप सब को मिल कर समर्थन करना चाहिए।

महोदय, मैं मानता हूं कि इस कार्य से ऐसा नहीं लगे कि एक पार्टी विशेष ने, सत्ताधारी दल ने, अपने बल संख्या के दम पर इसको पास करवा लिया। हम यह चाहते हैं कि इस संशोधन के मार्फत इस डिसिजन में हर पार्टी का और खासतौर से जो सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उसका भी योगदान हो। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

15.00 hrs

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

You know pretty well, and all of us know pretty well that CBI is a very premier institute, and of-late the post of Director, CBI has become very controversial in view of the recent observation of the Supreme Court and also in view of the various acts of commissions / omissions of the present Director.

15.01 hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

This august House knows pretty well that this issue is more important for the last two Lok Sabhas, namely, 14th Lok Sabha and 15th Lok Sabha. BJP, the Party in Government now, has alleged many times that CBI has become an alliance partner of the Congress Party. I am sure that everybody remembers this. In fact, it was not named Central Bureau of Investigation, but it was nick-named as Congress Bureau of Investigation, and using the CBI, various Parties were threatened, forced and cajoled so that they support a particular Government. This is a fact. I am not talking politics. I am talking about the facts, which BJP itself has brought to the notice of this august House many times. To an extent, it is true that the CBI was manipulated by the Party in power for their political needs, and it is correct.

Now, we appreciate the BJP for bringing amendments because as per the Lokpal Act there are three Members, that is, the Leader of Opposition, PM and the Chief Justice, and all these nominees should be there. We appreciate the BJP that in spite of having majority, as there is no Leader of Opposition, they have now suggested an amendment that any Leader who is the Leader of the largest Opposition Party takes the place of the Leader of Opposition. This is well appreciated, and we definitely thank the Government for bringing this amendment.

Mr. Satpathy, a senior Member, and also my colleague Mr. Vinod has brought to our notice about the second amendment that in the absence of one

Member among the three, the CBI Director can be appointed and it shall not be questioned by anybody even by the rule of law. What is the spirit behind having these three Members? The spirit does not mean that the three Members have to have unanimous opinion. Even on earlier occasions, if I am not wrong, BJP sometimes dissented about the CBI Director, but still the UPA Government at that time appointed him. If I am not wrong, Shrimati Sushma Swaraj had then written a dissent note at that time. So, the same thing should be here also. I was not in politics at that time, but I was observing. My request is that they should be magnanimous.

If somebody does not come wilfully, then it is a different thing. Suppose, the Leader of Opposition or in his place the Leader of the single-largest Party does not come, then they should be given adequate chance say a maximum of 3 times and that amendment should be there. I do not think that any responsible Member of the Opposition will not come wilfully, but if adequate opportunity is given and if by any chance they still do not take their responsibility seriously, then the second-largest Party Leader at least should be given a chance so that it should be above suspicion. It is said that the Caesar's wife should be above suspicion. Similarly, the appointment of the CBI Director is important and significant not only function-wise, but even spirit-wise also it is important because it is a Pan-Indian organization, especially, in difficult times when issues like black money and many other issues are there. Some Party was making a different issue, but we know what exactly is behind it because there is CBI.

Suppose, the CBI Director is appointed without the consent or without the presence of the Opposition Member -- whether it is the Leader of Opposition or Leader of the single-largest Party or second-largest Party -- then it will send a very bad impression. It will send a bad signal. Therefore, I would request you to look into this suggestion. We are not against the BJP moving this Amendment Bill. We appreciate it for the same. However, this Bill requires a little amendment as it is in the interest of the nation as also in the interest of the CBI. Big lawyers are sitting

over there. Shri Ravi Shankar Prasad is an eminent lawyer and he knows pretty well that this little amendment that I am proposing is in the interest of the country as well as of the CBI. I would request the Government to take up this little amendment. After due consultations, they can incorporate the necessary changes in the amendment and then pass it as and when the Government wants it. Definitely, we have to pass it before 2nd of December as we have to have a new CBI Director by that time.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार यह अमेंडमैंट बिल लायी। यह केवल बिल की बात नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कितना विश्वास है, यह भी इंगित करता है। मुझे पिछली लोक सभा की एक घटना याद है, जब सीवीसी का चुनाव हो रहा था। उस समय एक विवादास्पद व्यक्ति को सीवीसी बनाने का प्रयास किया जा रहा था। उस समय लीडर ऑफ आपोजिशन माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने उसका विरोध किया था। वह विरोध बाकायदा दर्ज किया गया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा उस सीवीसी को निष्कासित किया गया, जो लोकतांत्रिक संस्था और लोक सभा के लिए शर्म की बात है। उसके बाद हमने सीबीआई डायरेक्टर का मामला देखा। उसमें भी हमारी माननीय एलओपी ने अपनी नाराजगी शो की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बनाया गया। जिस तरह से 2जी स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वह सभी संस्थाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने पूरी तरह से इस लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास किया है। अगर एलओपी नहीं हो सकते तो उनके बदले जो भी बड़ी विरोधी दल की पार्टी हो, उसका सदस्य लेने का उन्होंने निर्णय किया है। इसके लिए कोई बाध्य नहीं था, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि पिछली सरकार में यह परम्परा रही है कि बिना एलओपी की मर्जी के बिना किसी को भी नियुक्त कर दो। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी दलों को पूरी तरह से कांफिडेंस में लेकर बात करें, चाहे कोई भी इश्यू हो। अभी आपने खुद देखा कि यहां पर काले धन पर चर्चा हो रही थी, जिस पर हमारे मंत्री चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन विरोधी दल तैयार नहीं हुआ। जब उन्हें शामिल होने की बात है, क्योंकि इतने दिनों से स्पीकर महोदया से बोला जा रहा था कि एलओपी बनाया जाये, बाकायदा अटार्नी जनरल का मंतव्य इस पर आ गया कि वे एलओपी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। अगर जनता ने उन्हें रिजैक्ट किया, उन्हें विरोधी दल के लायक भी नहीं समझा तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। उनका दस वर्षों का जो घोटाला है, जो उनका कार्यकाल है, वह उसका जिम्मेदार है। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह एक बहुत अच्छा कदम है। अगर किसी लोकतांत्रिक संस्था के निदेशक की नियुक्त होनी है, तो सभी दलों को विश्वास में लेकर किसी गैर विवादास्पद व्यक्ति को ही बनाना उचित है। हम यह भी अनुरोध करेंगे कि आज भी विरोधी दल ने बायकाट किया और जब सत्ता में थे तब भी वे हर चीज बुलडोज करते थे। मुझे लगता है कि इनकी

मानसिकता ही ऐसी बन गयी है कि कोई भी अच्छा काम न हो, चाहे वह अच्छा काम उनके पक्ष में ही क्यों न हो। मुझे लगता है कि इसीलिए आज वे संसद से बायकाट कर गये। उसके बावजूद भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने इतना बड़ा दिल दिखाया है और कहा कि वोटिंग आज नहीं होगी। इसके लिए मैं सबके प्रति बहुत आभारी हूं। मेरा यह कहना है कि चाहे कोई भी संस्था हो, सबको साथ लेना चाहिए, लेकिन सबका विश्वास लेने के लिए उनकी भी आवश्यकता है। आज माननीय स्पीकर महोदया कह रही हैं कि आप जिस विषय पर बहस कराना चाहते हैं, उस पर हम बहस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे शोर मचा रहे हैं। इस तरह से कोई भी लोकतांत्रिक संस्था नहीं चल सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि वे आयें और संसद की कार्यवाही में भाग लें। हमारी सरकार उनकी हर बात सुनने के लिए तैयार है। वे जिस चीज पर बहस कराना चाहते हैं, उस बहस के लिए हम तैयार हैं। यह उनके लिए एक मौका है कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, सीबीआई डायरेक्टर, जिनका कार्यकाल 30 तारीख को खत्म हो रहा है और 2 तारीख को नयी नियुक्ति होनी है, उसमें उनकी भी बात रखी जाये।

एक मैसेज जाए कि कोई निर्विवाद व्यक्ति बने, सीवीसी की पिछली बार की तरह घटना न हो कि इन्होंने जबरदस्ती किसी को बना दिया, इसके बाद घोटाले में पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल बाहर कर दिया। मेरा अपोजिशन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें। हमारी सरकार उनके हर विचार सुनने और उनकी हर बात को एकोमोडेट करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी का आदर और सम्मान हो। कालेधन का इतना शोर मच रहा है, अगर सीबीआई का डायरेक्टर ही ठीक से नहीं बन पाएगा तो कालेधन की जांच कौन करेगा? मुझे लगता है कि ये डरे हुए हैं कि कहीं कालेधन की जांच में ऐसे नाम न आ जाएं जिससे इनको दिक्कत हो जाए। ये इसीलिए शोर मचाना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसी कारण से ये बायकॉट कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा हो जाए कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति न हो और सीबीआई टीम स्विट्जरलैंड न जा सके, जिससे पूर्व सरकार द्वारा और कुछ खास लोगों द्वारा किए गए काम में उनके नाम सामने न आ सकें।

मेरा सदन से अनुरोध है कि इस बिल पर सब मिलकर साथ दें ताकि देश में किसी भी उच्च्व संस्था का डायरेक्टर का पदाधिकारी सबकी मर्जी से बने, निर्विवाद बने। कांग्रेस के राज में, यूपीए के राज में जिस तरह के घोटालेबाज लोगों को इस तरह की पोस्ट दी गई, हमारी सरकार इसे नहीं दोहराने को कृतसंकल्प है, लेकिन आज भी उनकी मंशा शंका में है। जिस तरह से ये सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्टिंग रोक रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी अच्छा व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहे क्योंकि शरीफ व्यक्ति के संवैधानिक पद पर रहने से सबसे ज्यादा इन्हीं को तकलीफ होने जा रही है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, आज यहां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाबलिशमेंट बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इस देश के हर व्यक्ति को लगता है जब भी कोई बड़ा गुनाह होता है जब उसका समाधान नहीं होता है तब एक ही संस्था है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। वह है सीबीआई। सीबीआई के पास जांच के लिए जाए और सीबीआई जांच करती है। सीबीआई की जांच के निर्णय पर लोग विश्वास करते हैं। हाल ही में जो हालत सीबीआई की हुई है, everybody ridicules CBI. Not only they criticize, they ridicule CBI. To the extent, once the Supreme Court has also ridiculed CBI. यह जो बात हुई, हमारे दोस्त ने क्रिटिसाइज किया है, बुरा लगा होगा कि स्विपिंग क्रिटिक्स नहीं करना चाहिए था, ठीक है, The fact remains fact. क्यों हुआ। ऐसी स्थिति में हाल ही में सीबीआई के डायरेक्टर थोड़े समय में रिटायर होने जा रहे हैं। हम उनकी जगह किसी को नियुक्त करना चाहते हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : मैं इन्टरवीन नहीं करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को रिडिक्युल किया है, मेरा कहना है कि यह सच्चाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक डायरेक्टर के कारण सीबीआई की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, सीबीआई संस्था का हम सम्मान करते हैं इसीलिए उन्होंने रीज़न्स नहीं दिया। मेरे ख्याल से आप इसका ध्यान रखें।

SHRI ARVIND SAWANT : The reading between the two lines was that they did not even appreciate the role. For whatever has happened, the Supreme Court did not appreciate it. Let it be very clear. I do remember that what they had said. I do not know the verbatim what the hon. Supreme Court had said but I do remember that there was something which it was reading between the lines and they wanted to criticize the functioning of the CBI. But then, we too were criticizing the CBI that time. We were together while criticizing the CBI at that time.

Right now, I welcome this Bill because the new appointment has to be done in due course of time and also the clause which is saying that there should be two members from the Government and one from the Opposition. As the Opposition Leader is not there, I really welcome this idea. We have shown a big heart for that. Let the biggest party representative be there. In that case also, the second clause is little dangerous. No appointment of Director shall be invalid merely by reason of any vacancy or absence of a Member in the Committee. There lies the problem.

If that Leader from the Opposition or the Leader of the largest party remains absent or deliberately remains absent, I do agree that the Government cannot go on waiting for that. But they should be made responsible? How can they run away from this? They also cannot run away. My colleague has already said that if they do not want to come, then let the Party, which is the second largest, should come. It may look ridiculous definitely. But then what is to be done? Let them come and say that they are also committed for this Bill. We also take the onus of it. We also take the responsibility that we will be there while participating in the process of appointment of the CBI Director. They should not go on criticising this outside the House. They are being given liberty to speak in the House, be the party to this Bill. Whatever they want to say, let them say it on the floor of the House. But they are not saying. That apprehension is there in the mind. I request the Government to come clear on this as to what will be the situation in that case. I would like to know whether the Government will take a decision and the critics will be there outside the floor of the House. That much clearance I need from the hon. Minister. I would whole-heartedly support this Bill. I welcome this Bill for appointment of the CBI Director.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं बड़े ध्यान से आदरणीय सदस्यगण के विचार सुन रहा था। आदरणीय मेघवाल जी, सतपथी जी, विनोद कुमार जी, आर.के. सिंह जी, दुष्यंत जी, मीणा जी, बोरा जी, संजय जी तथा सावंत जी के विचार मैंने सुने। अच्छा लगता, यदि कांग्रेस के साथी भी यहाँ पर रहते। एक बात जो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, जो आदरणीय सदस्यगण के ध्यान में भी आ जाए, वह यह है कि वास्तव में यह कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार द्वारा ही लाया एक प्रावधान है, जिसमें थोड़ा-सा संशोधन और सुधार करने का यह प्रयास है। जैसा कि कहा जा रहा था कि बुलडोजिंग हो रही है या कुछ इस प्रकार का हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जो पत्र दिया गया है, वह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। You see the Delhi Police (Establishment) Act, 1946, as amended by the Lokpal and Lokayukta 2013 Act, (1) of 2014. पिछली सरकार द्वारा यह संशोधन लाया गया था, परंतु शायद उस समय कांग्रेस के मित्रों को यह कल्पना नहीं थी कि चुनाव के बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कोई विपक्षी दल नहीं रह पाएगा या उनका गणित उस प्रकार का नहीं रहेगा that they qualify to be recognised as an Opposition Party. उस कारण से एक तकनीकी दुविधा उत्पन्न हो गयी। जैसा कि कहा गया कि सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति भी अब शीघ्र होनी अनिवार्य है। वे 2 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए, इस विडंबना को दूर करने के लिए सब के साथ परामर्श करके और कानूनी सलाह लेकर यह निष्कर्ष निकाला गया। इसका एक विकल्प हो सकता है कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को ही लीडर ऑफ अपोजिशन स्वीकार कर लिया जाए ताकि यह तीन सदस्यों का जो प्रावधान है, उसकी पूर्ति की जा सके। कुल मिलाकर इस पर सभी सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा आभास हो रहा है। चूंकि इस पर चर्चा तो कल होगी, जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने कहा है कि जिस प्रकार से एक सदस्य के न होने पर भी बैठक हो सकती है और नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, उसमें यह कभी अनुमान न किया जाए और इस प्रकार का विचार न आए कि जानबूझकर इसलिए यह प्रावधान करने का प्रयास हो रहा है कि यदि एक सदस्य न हो तो दो सदस्यों की उपस्थिति में यह सरकार अपनी इच्छानुसार या अपनी मनमानी से इस प्रकार की नियुक्ति कर देगी। बहुत कल्पना करके यह विचार किया गया है। मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से कभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वहाँ एक सदस्य उपस्थित नहीं रह पाता है, जैसा कि प्रावधान है कि तीन सदस्यों में से प्रधानमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं। उस स्थिति में भी, चूंकि सभी ने इस बात को स्वीकारा कि सीबीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है we cannot leave it in suspension and we cannot delay it unduly the process of appointment. इसलिए इसे उस नीति से और उस विचार से किया गया।

अब चूंकि यह चर्चा कल भी जारी रहनी है, बहुत अधिक बोलना इस समय उचित नहीं होगा, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करते हुए, मैं यही अनुरोध करता हूं कि चूंकि आज विपक्ष के अधिकतर सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि that we press for the passage of this Bill. We would be ready to continue with the discussion tomorrow.

माननीय सभापति : इस विषय पर कल चर्चा करने के बाद पारित करेंगे।

15.21 hrs

INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY BILL, 2014

HON. CHAIRPERSON : Item No. 12B.

Hon. Members, before I call Shrimati Smriti Zubin Irani, hon. Minister of Human Resource Development, to move motion for consideration of the Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014, I have to inform the House that hon. Minister vide communication dated 24th November 2014 has intimated that the President having been informed of the subject matter of the Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014 recommends to the House the consideration of the Bill under article 117(3) of the Constitution.

माननीय सभापति : इस पर बहस के लिए दो घण्टे समय निर्धारित है, यदि सदन की सहमति हो, तो इसके लिए दो घण्टे समय दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

माननीय सभापति : सदन की सहमति है।

माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : सभापति महोदय, I beg to move*:

> "That the Bill to declare certain institutions of information technology to be institutions of national importance, with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto, be taken into consideration."

महोदय, राष्ट्र के नवनिर्माण में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाएगी, इस बात पर किसी को न संदेह है, न इन्कार है। आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल के

* Moved with the recommendation of the President.

माध्यम से इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में घोषित करने का हमारा प्रयास है। डिलॉयट की एक रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत इस संभावना को व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2020 तक भारत का इलेक्ट्रानिक्स इम्पोर्ट बिल भारत के ऑयल इम्पोर्ट बिल से भी ज्यादा होगा। इसलिए इस बात की दरकार है कि हम अपनी आईटी हार्डवेयर कैपेसिटी को स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स, जो बिल के तहत आते हैं, बढ़ाएं। आपके माध्यम से मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस बिल पर चर्चा कर, इस बिल को पारित कर इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी को डिग्री देने की मान्यता प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद यह सदन इन चारों संस्थानों को दे।

प्रधान मंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का एक सपना देखा था, वह सपना तभी साकार होगा जब हम नई नॉलेज के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को सशक्त करेंगे ताकि वे डोमेस्टिकली एवं इंटरनेशनली ग्लोबल स्टैंड्डर्स की नई शिक्षा का संचार कर सकें और साथ ही हम मैनपावर तैयार कर सकें। इसलिए डिजिटल इंडिया के सपने को सशक्त करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए मैं इस सदन से एक बार फिर निवेदन करती हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के इस बिल पर अपने विचारों को व्यक्त कर इसे पारित करने में अपना योगदान एवं समर्थन दें।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That the Bill to declare certain institutions of information technology to be institutions of national importance, with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक, जिसके उद्देश्य एवं कारणों को माननीय मंत्री जी ने रेखांकित किया है, पर बोलने का अवसर दिया है। आज के परिवेश में पूरे विश्व के सामने जिस तरह से इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, उस समय आवश्यकता यह है कि हम वर्ष 2020 तक इसको अग्रणी दिशा में ले जा सकें। इस संबंध में यह विधेयक लाया गया है। मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि वर्तमान समय में जो चार आईआईआईटी हैं, जिनमें से इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान और कांचीपुरम में सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान हैं। ये चारों संस्थान अभी अलग-अलग अधिनियमों एवं संस्थानों द्वारा संचालित होते हैं।

पहली बार इस सरकार का प्रयास है कि हम इन संस्थानों को एक एक्ट के अंतर्गत लाकर उनके लिए विधान बना सकें और इन संस्थानों को इतना मजबूत कर सकें कि जिस तरह से आज पूरी दुनिया में हमारे आईआईटी और आईआईएस की पहचान बन चुकी है उसी तरह से भविष्य में आईआईआईटी की भी पहचान पूरी दुनिया के फलक पर स्थापित हो सके। इस दिशा में सरकार ने पहल की है। इस पहल के पीछे उद्देश्य यह है कि जब हम आईआईआईटी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कांचीपुरम को हमने 20.6.2011 को अध्यादेश के माध्यम से बनाया लेकिन इस सदन में वह विधेयक के रूप में पारित नहीं हो सका, फिर भी संस्थान की स्थापना हो गयी। आज किसी संस्थान को अगर हम विश्वस्तरीय बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई एक्ट न हो, कोई कानून न हो, कोई विधेयक न हो, सिर्फ एक अध्यादेश आया और वह लैप्स हो गया, वह विधेयक की शक्ल नहीं ले सका तो कम से कम आज उस कांचीपुरम के संस्थान को, ग्वालियर के, जबलपुर के और इलाहाबाद सहित चारों संस्थानों को मिलाकर एक एक्ट के तहत जब इसे विश्वस्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में जब हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय कदम है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को सदन सर्व-सम्मत तरीके से पास करेगा क्योंकि आज भी हमारे पास इंफोर्मेशन टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में, आउट-सोर्सिंग के क्षेत्र में अच्छे विद्वान हैं, नौजवान हैं और जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2020 तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उस समय तक हम दुनिया के सबसे नौजवान देश होंगे और जब केवल इसमें चार आईआईआईटी हों और इन चार की आवश्यकता अगर हम पूरी दुनिया को आईटी के क्षेत्र में दे सकें, एक्सपर्ट-प्रोफेसर दे सकें जिसको बार-बार प्रधान मंत्री जी कहते दुनिया से "मेक इन इंडिया" की बात कहते हैं तो यह भी इस सरकार की

एक दृष्टि है कि हम पूरी दुनिया को आईटी के क्षेत्र में मास्टर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर्स दुनिया को क्यों नहीं दे सकते हैं। हमारे पास एक्सीलेंस है, टेलेंट है, इसलिए उस दिशा के लिए भी यह पहल की गयी है। इस विधेयक को लाने के पीछे मकसद यह है कि अभी जो ये चारों संस्थान हैं इन्हें एकीकृत करके इन्हें राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए। आखिर नेशनल महत्व के लेवल पर इसपर किसकी असहमति हो सकती है। प्रोद्योगिकी संस्थान सूचना और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आज अलग-अलग संस्थानों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उन्हें हम इस पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा वित्तीय रूप से, अकेडमिक रूप से मजबूत कर सकें, एक्सीलेंस में मजबूत कर सकें जिससे उनसे निकले हुए छात्र पूरी दुनिया में अपना एक स्थान बना सकें। इसलिए आज जो हम विश्वस्तर पर जनशक्ति भी देना चाहते हैं, उस स्तर के लोगों को तभी हम शक्ति दे सकते हैं जब हम एक इस तरह का आईआईआईटी का एक करीकुलम एक साथ करें।

अभी इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान है, दूसरा ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान है, तीसरा जबलपुर में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान है और कांचीपुरम में भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान है। स्वाभाविक है कि आज ये चारों अलग-अलग संस्थानों के द्वारा संचालित हैं और इनको एक दिशा में करने के लिए आज यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि आज इन चारों संस्थानों को हम एकीकृत करने जा रहे हैं। निश्चित तौर से इसी सदन से मांग उठेगी और आज हर राज्य के मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि हमारे राज्य में अभी आईआईटी नहीं है, तो आईआईटी दिया जाए। पिछले दिनों हमारे मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि जिन राज्यों में भी आईआईटी नहीं है, वहां भी हम आईआईटीज देंगे, आईआईएम देंगे। मैं समझता हूं कि जब हम राष्ट्रीय स्तर के प्रोद्योगिक संस्थानों को बनाने जा रहे हैं तो शायद हर राज्य से मांग उठेगी कि हमारे यहां भी आईआईआईटी खुलें। आज कंप्यूटर के क्षेत्र में, सूचना और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आप देखें कि जिस तरीके से इसका गांव तक स्तर बढ़ रहा है, छोटे-छोटे स्कूलों में भी कंप्यूटर की क्लासेज हो रही हैं। स्मार्ट क्लासिस के बिना हम आज किसी स्कूल की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब कम्प्यूटर की बात होती थी तो लगता था कि यदि कम्प्यूटर आएगा तो तमाम लोग बेरोज़ग़ार हो जाएंगे। लेकिन आज कम्प्यूटर सबसे ज्यादा रोज़ग़ार प्रदान करने वाला क्षेत्र बन गया है। आज हम चार संस्थानों को एक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इसी तरह के और आईआईआईटी की मांग करेंगे कि आज इनके लिए आप विधेयक बनाएं, लेकिन यदि हम वर्ल्ड क्लास संस्थान सभी राज्यों को देना चाहते हैं तो हमें सभी राज्यों में इसी तरह के संस्थानों की स्थापना करनी होगी।

यदि आप देखें तो संस्थान के जो उद्देश्य और कारण दिए गए हैं, वे बहुत अस्पष्ट हैं। हम इस विधेयक से जो संस्थान तैयार करेंगे वे प्रोद्योगिकी क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर के होंगे। इन संस्थानों का स्टैंडर्ड विश्व स्तर का होगा। इन आईआईआईटी संस्थानों का महत्व केवल इस देश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित होगा। इन संस्थानों से निकले हुए लोगों को पूरी दुनिया में मान्यता मिलेगी।

आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही है। आईटी के कारण पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गयी है। आप अपने कमरे में बैठकर इंटरनेट या गूगल पर दुनिया के किसी भी संस्थान के बारे में इनफोर्मेशन इकट्‌ठा कर सकते हैं। आज दुनिया में किसी देश का मूल्यांकन उसकी परिसम्पत्तियों से या उसकी गगनचुम्बी इमारतों से या अट्‌टालिकाओं से नहीं होता है, बल्कि प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में, इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वह कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, उससे निर्धारित होता है और हम भी उसी तरह से अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना सकते हैं। हमारा देश इस दिशा में जिस प्रकार से बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें यह विधेयक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि इस विधेयक से इस सदन में शायद ही किसी की असहमति होगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा एक मूल तत्व है और मानव संसाधन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना शिक्षा के हम फ्यूचर जनरेशन को तैयार नहीं कर सकते। उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड को तय करने के लिए इस विधेयक से टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव संसाधन का विकास भी होगा और समाज के उत्थान में योगदान भी होगा।

इन चार संस्थानों को शुरू करना एक छोटी सी शुरूआत रही होगी, लेकिन इसने समय के साथ उद्योग जगत में विश्वसनीयता के साथ अपनी एक जगह बनायी है। यदि हम वैश्विक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो यह उद्योगों के लिए ये संस्थान साबित होंगे। इन संस्थानों के माध्यम से हम दुनिया से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वह चीन, जापान, कोरिया, यू.एस. और यूरोप हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का पिछले पांच महीनों में जिन देशों का दौरा हुआ है, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने जो मान्यता दी है, उसने कहीं न कहीं इस देश के एक्सीलेंस को भी मान्यता दी है। वह सम्मान केवल उनका नहीं है। देश में 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान हुआ है जो भारत के बाहर प्रधान मंत्री जी ने किया। उन्होंने आस्ट्रेलिया, कैनवरा में जाकर कहा होगा कि हम भारत के लोग आज सक्षम हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया की बात कही, साथ ही यह भी कहा कि भारत इसमें भी सक्षम है कि हम पूरी दुनिया को अच्छे प्रोफेसर, वैज्ञानिक दे सकते हैं। आईटी के क्षेत्र में हम अच्छे इंजीनियर्स को दे सकते हैं। अगर प्रधान मंत्री जी ऐसा कहकर आए तो उसको कहने के बाद केवल वह कहने की बात नहीं रह गयी कि प्रधान मंत्री जी दौरे में गये और उन्होंने ऐसा कह दिया। मैं समझता हूं कि अभी वह कहकर आए हैं और आज यह सरकार

तुरंत उसको वास्तविकता के धरातल में उतारने के लिए इस विधेयक की शक्ल में लेकर आयी है। इसलिए निश्चित तौर से यह विधेयक अमल में आएगा।

जो बातें उन्होंने कही हैं, उस स्तर के हमारे नौजवान तैयार होंगे कि जो हम पूरी दुनिया को इस बात के लिए चुनौती दे सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वे दुनिया में जहां कहीं भी होंगे तो लगेगा कि भारत एक श्रृंखला में क्रांति कर रहा है। आज लगता है कि हम चार संस्थानों को एक कानून के दायरे में ला रहे हैं। लेकिन वह कानून के दायरे में नहीं है, आज इन संस्थानों में जिस तरीके से अलग अलग मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैं उस पूरे विधेयक के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें एकरूपता आएगी औऱ जिस तरीके से उन चारों संस्थानों में भारत सरकार से एक सपोर्ट मिलेगा, इस एक्ट के बनने के बाद उस संस्थान के उसी महत्व की बात कही गयी कि कहीं न कहीं जो हमारे दिमाग में है या देश की जनता के दिमाग में आईआईटी के बारे में जो रैपुटेशन है, अगर अभी पूरी दुनिया में आईआईटी, आईआईएम की पहचान है, तो अभी यह तीसरा संस्थान इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टैक्नोलॉजी है। ट्रिपल आईआईटी की भी पहचान पूरी दुनिया में बनने जा रही है। इस बात के लिए मैं अपने मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कम से कम एक अच्छा विधेयक क्योंकि अगर हमें दुनिया से मुकाबला करना है तो हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हम पूरी दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपनी शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे तो हमारे पास कितनी भी बड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उस ह्यूमन रिसोर्सेज को तराशने का काम यह संस्थान करेगा।

आज यू. एस. कोई छोटी छोटी चीजें नहीं बनाता है। वे छोटी छोटी चीजें जापान से, भारत से, कोरिया से लेते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में अगर उनकी इकोनॉमी मजबूत है तो उसके पीछे कारण केवल यह है कि रिसर्च एंड डवलपमेंट में उनका मजबूत काम है। वे नयी-नयी तकनीक को पूरी दुनिया में बेचते हैं और उस तकनीक से वे जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि वे मजबूत हैं। मैं समझता हूं कि जिस दिन हम ट्रिपल आईआईटी को इस विधेयक से मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में इसका विस्तार करेंगे तो शायद यू एस से भी ज्यादा इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित तौर से ऐसा सभी का विश्वास होगा। हम इस दिशा में एक क्रांति करने जा रहे हैं।

आज सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करेगा क्योंकि सूचना एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डालते हुए कहा है कि इस सरकार का उद्देश्य यह है कि हम सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट मानव तैयार करें। इसके पीछे क्या कल्पना है? इसके पीछे कल्पना यह है कि व्यक्ति तो है

लेकिन उस व्यक्ति को हम सबसे सर्वोच्च बना सकें, तकनीकी शिक्षा से सुसज्जित कर सकें और दुनिया के किसी भी छात्र से मुकाबला करने के लिए हम अपने किसी भी संस्थान से निकालें तो वह दुनिया को कम्पीट कर सके, वह इसका उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि इससे पवित्र उद्देश्य इस विधेयक का नहीं हो सकता जिसमें सरकार ने यह संकल्प भी लिया है और अगर आप उद्देश्य और कारणों को पढ़िए कि सूचना एवं प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोच्च उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करना इसका उद्देश्य है, तो मैं मंत्री जी को और सरकार को बधाई दूंगा कि कम से कम इस विधेयक के पास होने से हममें आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा होगा कि हम सूचना और प्रोद्योगिकी के मामले में भी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में मुकाबला कर सकते हैं।

आज इस विधेयक का केवल सारांश हम कह दें, केवल केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये चार ट्रिपल आई.टी. के संस्थान थे, अब इनका एक समान शासित ढांचा किया जाए, इसमें जो पालिसी डिसीजन की बात है, जो नीतिगत ढांचा है, उस नीतिगत ढांचे और समान शासित ढांचे को मिलाकर इन्हें एक स्वतंत्र कानूनी हैसियत भी दी जाए, यानी इन्हें आटोनोमस भी बनाया जाए, यह नहीं कि हम एक डिपार्टमैन्ट बनाकर रखना चाहते हैं या गवर्नमैन्ट के सबऑर्डिनेशन में रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारी मंशा साफ है, पवित्र है कि अगर हम इन संस्थानों को ताकत देने जा रहे हैं तो इन्हें हम एक आटोनोमी भी देने जा रहे हैं, जिससे कि वे अपने फैसले ले सके, अपनी रिसर्च कर सकें, नये-नये प्रोग्रामिंग्स कर सकें और पूरी दुनिया के साथ जो बदलते हुए परिवेश हैं, उसका मुकाबला कर सके। इस दिशा में हम इसे एक स्वतंत्र कानूनी हैसियत भी प्रदान करने जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि शिक्षा की दिशा में खुद मंत्री जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय महत्व की दिशा में हम इन संस्थानों को तैयार करेंगे और इन संस्थानों द्वारा संचालित जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम होंगे और दूसरे जो इनके अधीन और संस्थान होंगे, उन संस्थानों को भी डिग्री देने का उपबंध है तो स्वाभाविक है कि इसका विस्तार भी है।

इस विधेयक से केवल हम चार संस्थानों को मान्यता नहीं देने जा रहे हैं, हम इन विधेयकों से चार संस्थानों को जहां अधिकार, समान नीति, समान ढांचा और उन्हें लीगत ताकत, कानूनी स्वतंत्रता देने जा रहे हैं, उसी के साथ-साथ जो उनके द्वारा चलाये जा रहे कालेजेज होंगे, उन कालेजेज को भी डिग्री देने का जो उपबंध होगा, जो मान्यता होगी, वह स्वाभाविक है कि एक उत्कृष्ट स्तर का होगा। शायद आप घंटी बजाने जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेकिन मैं सदन से अपील करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मत से पारित करने की कृपा करें, जिसे माननीय मंत्री जी सदन में लेकर आए हैं।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस विषय पर बोलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यह बात सच है कि अमरीका सोचता है, चाइना बनाता है, हम खरीदते हैं, यह सिलसिला चल रहा है। अमरीका सोचता है कि आईफोन कैसे बनाना है, उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है और वह चाइना को मैन्युफैक्चर करने के लिए दे देता है तो वह आईफोन चाइना में बनता है या साउथ कोरिया में बनता है। हम पैसा लगाते हैं, वह फॉरेन एक्सचेंज देकर खरीदता है। इसलिए जैसे माननीय मंत्री जी बोले कि पैट्रोल इम्पोर्ट का जितना पैसा हम लगा रहे हैं, उतना पैसा आलमोस्ट इम्पोर्ट ऑफ हार्डवेयर के लिए हम स्पैंड कर रहे हैं। Therefore, we have to now urgently find out how to cut expenditure on foreign exchange for the purpose of imports. The main thing is petrol import and the other is hardware import.

All the Members know that there are two things in information technology – one is software and the other is hardware. We are excellent in software. That is the reason why the country and the world including the smallest island in the world today have Indian software professionals.

When our respected Pradhan Mantriji went to America and addressed people in the Madison Square, almost a crowd of 16,000 to 20,000 was there to greet him. They were not politicians who went there. Most of them are software professionals and skilled labour. They are part of human resource that we produce and because of that not only they are earning money but they are also earning respect for the country.

Recently, our Pradhan Mantriji went to Brisbane, Australia. He said that Hyderabad is emerging as one of the biggest IT hubs of the country and also world. Let it be Bengaluru or Hyderabad or any other city, we are emerging as the biggest IT professionals and experts in terms of software but we are not able to match in terms of capacity to produce hardware. Neither we have human resource nor we have research capacity nor we have manufacturing units. That is the reason why no country like the US or European countries gives us the contract to make the

hardware. That is the reason why our hon. Prime Minister has given a slogan recently, which says, Make in India. I believe that this Make in India cannot happen unless and until there are enough human resources who can make those in India. That is the reason I believe that the institutions like the IITs, the IIMs, IIITs, AIIMS, has been taken under a central scheme and we appreciate it and welcome it and fully support it. But at the same time I wish to mention that no money spent on education is expenditure, it is an investment for the growth of the country. Because we had IIMs, because we have IITs, because we have AIIMS, because we have invested in the public institutes in the various States like the medical collages, we have lakhs of software professionals and doctors who are going abroad and serving in other countries and in return getting us revenues and getting us name and fame, "we are now no more a serpent country but a software country". We whole-heartedly appreciate the Government for taking this initiative by way of this Act so that these four institutes will get the grant-in-aid from the Central Government and they would now be called the institutes of national importance. My request to the Government, particularly to the Minister, is that a mere legislation or making a statement will not be sufficient. We have to really make them institutes of national importance. That is possible only when you have a proper faculty and research facilities on par with an international institute. It is only then we can produce manpower of that quality and we can make the facilities available locally as is being made in Korea, or China. That is possible only when we have a good faculty. What is happening in many institutes, whether it is a central institute or a state institute, we have an acute problem with the faculty. The good faculty is not joining these institutes because they are getting a poor salary. They are not getting a good salary. That is reason they are not joining these institutes and instead they are going abroad where they are getting a pay of Rs. One crore per annum. After passing of this legislation, the Government should design the pay scales in such a way that we are able to attract a good faculty and also let there be research facilities which are on par with the international quality.

Secondly, the hon. Prime Minister has said that Hyderabad is the biggest happening city in terms of information technology. We have got a hardware park which is 1600 acres in area. We have got the human resource. We have got 4 IITs. These are all pan-India institutes and it does not matter to which State you belong to and it should be an all India cadre. My suggestion would be that along with these institutes you club the National Institute of Design. Today when we buy a phone of a Samsung company or any other company, we do not buy it merely for the software but also because of its design. So, in order to focus on the hardware, we should also have a National Institute of Design which can work together with these institutions so that we can get a product of good quality about which we can be proud of. It can also be used for purposes of export. The hon. Minister may kindly take note of this fact.

The other point is that when we see the history of our country, this country was a super power in the middle ages, during the time of the Guptas and others. Owing to that fact, many invaders invaded India. It is because at that time we were making great products in India. We were the manufacturing giants at that time. Unfortunately, over the centuries or decades, we have lost that edge and we forgot how to make those products.

I think it is a good beginning now. We welcome it but I would like to mention only two points. Let not the Government think that any money spent on education is expenditure. Rather, it is an investment.

Secondly, you should make a symphony of the IIITs, specially for the Make In India Programme and Institute of Design in each State. That will help us to have a good output ultimately.

Thirdly, the States which have very good potential should also be considered so that it will give us an immediate push to the products which we are thinking of.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, though I could hear him only for some time, I am really very much impressed upon his speech because Parliament and the country need such constructive, meaningful and thought-provoking debates. I would like to appreciate the hon. Member.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Mr. Chairman Sir, I must thank the Minister for HRD for bringing this Bill at a time when the nation needs it.

Let me first deal with the Jaspal Committee Report. In 2009, it has stressed the need for opening such Institutes where the quality of education will be of primary importance. We must welcome this Bill at a time when the Jaspal Committee Report has identified the need of quality education in the country. So, the Bill is absolutely timely.

Then, I will come to the need and the appetite of Indian students on the technical education. In 2006 -07, there were about 6.5 lakh students who opted for technical education. Whereas in 2013-14, the figure of 6.5 lakhs has gone up to more than 16 lakhs. That shows the kind of appetite which is increasing among the Indian students. Hence, there is a need for this Bill.

Coming specifically to the information technology sector, the IT industry, by 2015-16, is projected to touch as high as 17 billion US dollars. Out of this 17 billion US dollars, 7.8 billion US dollars contribute to the IT service sector itself. In view of all these inputs, it is a very essential and a timely effort to bring this Bill to establish IIITs and to consider such Institutes as Institutes of national importance. I must thank the Government and the hon. Minister for that.

Having said that, I must point out some facts which have not been taken into account in the Bill. The Standing Committee on HRD has recommended a number of inputs which should have been considered as a part of this Bill. Unfortunately, many of them have been lost. I would sincerely urge upon the Government to consider all such points which have not been taken care of in this Bill.

Then, there are a number of stakeholders who have unfortunately not been consulted. If people in the world community know India for certain things, IT is one among them. There are stalwarts of IT in the country. In my opinion, they

should have been taken into account while this consultation was taking place. Their inputs could have gone much well to the formation of this Bill.

Then, there is a serious shortage, as was mentioned by our learned friend, of quality faculty members who will be instrumental in making this Institute as an institute of national importance. The Bill is more or less silent on this point.

There is absence of grievance redressal mechanism both for the students and the staff, which in my opinion, should have been a part of this Bill.

Having said this, we are talking today about the four National IIITs which are there in Allahabad, Jabalpur, Gwalior and Kancheepuram. We are talking about 17 billion US dollars investment in the IT sector. Are these four Institutes enough to cater to the growing needs of our students of our country and the world at large?

So, there is a definite need to have more such institutes across the country. We must have at least one IIIT in each State. I sincerely urge upon the hon. Minister to have one IIIT in the State of Odisha from where I come, more specifically in my constituency, Balasore, because Balasore happens to be one of the most literate districts in the whole eastern India. That is my submission.

I must thank the hon. Minister of Human Resource Development for having given one KV to my district. Thank you once again.

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): सभापति जी, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी बिल 2014 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था। मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक उदाहरण उद्धृत करने में स्वाभिमान महसूस हो रहा है। उन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की कल्पना करते वक्त 1935 में कहा था कि राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों की ज़रूरत है, उसी तरह से राष्ट्र को बनाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए तकनीकियों की ज़रूरत पड़ेगी। यही कारण है कि बी.एच.यू. एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनी थी जहाँ भाषा, संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य और सबसे सर्वोपरि था बी.एच.यू. का टैक्नोलाजी डिपार्टमैंट जो आज दुर्भाग्य से आई.आई.टी. का हिस्सा बन गया है। आप जितने पुराने इंजीनियर्स का नाम लीजिए, चाहे वे दक्षिण भारत के हों, मध्य भारत के हों, पश्चिम भारत के हों, चाहे वे उत्तर भारत या पूर्वी भारत के हों, बी.एच.यू. का प्रोडक्ट कोई इंजीनियर आपको कहीं सुदूर असम में मिल जाता है, कहीं सुदूर तमिलनाडु या केरल में मिल जाता है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मिल जाता है, महाराष्ट्र में मिल जाता है और कहीं पंजाब में भी मिल जाता है, कश्मीर में मिल जाता है, जो किसी समय के बी.एच.यू. से पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, तो गौरव महसूस होता है। उस वक्त के जो हमारे पूर्व पुरुष थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का ठेका उठा रखा था, उस वक्त जो कर्णधार थे इस राष्ट्र के, उन्होंने जो इसको तैयार किया, यह उस वक्त का उनका सपना था। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने तीन चीज़ें सामने रखी हैं। उन्होंने इन तीन चीज़ों को सामने रखते हुए एक चीज़ पर ध्यान दिया है कि हम सैकेन्ड लार्जेस्ट पापुलेटेड कंट्री हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है और उसके बाद भारत की है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि ज्यादा जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक बोझ है पर हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी ने इसको बोझ नहीं समझा। इस जनसंख्या को किस तरह से जनशक्ति में बदला जा सके, उसके लिए एक रास्ता ढूँढ़ा है और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि इस ह्यूमन नंबर को हम ह्यूमन रिसोर्स में कैसे बदलें। वैसे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमैंट डिपार्टमैंट 90 के दशक में यूनाइटेड नेशन के कहने पर आया था, उससे पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाता था, पर उसका सही काम अब शुरू होने जा रहा है और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया - ये तीन तरह के कंसैप्ट सामने रखे। किन्तु इन तीनों चीज़ों के लिए जिस इनफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस इनफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ बनाना है। पर ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ में बहुत कमज़ोर हैं। हमारे दूरदर्शी प्रधान मंत्री जी को पता है कि यह आर्यभट्ट का देश है। जिस

आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को ज़ीरो का कंसैप्ट दिया, जिनको शून्य क्या होता है, उसका पता नहीं था, जिन्होंने सारी दुनिया को 13 फार्मूला ऑफ एलजैब्रा दिया, वह आर्यभट्ट इसी देश के थे, हमारे पूर्व पुरुष थे। जब सारी दुनिया में वाई टू के का प्राबलम पैदा हुआ था, उस वक्त हमारे देश के मध्य वित्त परिवार और निम्न मध्य वित्त परिवार के बच्चे, जिनके माँ-बाप ने अपने घर के गहने और घर गिरवी रखकर स्कूलों, कालेजों में उनको आईटी की शिक्षा दी थी, उन बच्चों ने जाकर पूरी दुनिया का वाईटूके का प्राबलम साल्व किया था और वे आईटी एंबैसेडर बने थे।

16.00 hrs

आज एक मौका है कि जिस वक्त हम कल्पना कर रहे थे चाहे अमरीका में इंटेल की इंडस्ट्री में चले जाइए चाहे मटरोला में चले जाइए, चाहे डेल की फैक्टरी में चले जाइए। आपको वहां हर आदमी भारतीय दिखेगा। आपको आश्चर्य होगा कि अमरीका में इंटेल की फैक्टरी में सवेरे का ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन फूड है क्योंकि वहां सारे खाने वाले साउथ इंडियन हैं। मटरोला की फैक्टरी में चले जाइए, वहां इंडियन फूड है। उनकी कैंटीन में वेस्टर्न फूड नहीं मिलता है क्योंकि वहां काम करने वाले इंडियन हैं। वहां जो बच्चे साफ्टवेयर लिख रहे हैं, वे भारतीय बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों के साफ्टवेयर के आधार पर हार्डवेयर भी बनता है। हमारे एक विद्वान मित्र कह रहे थे कि अमरीका सोचता है, मैं कहना चाहता हूं कि अमरीका हमारे दिमाग से ही सोचता है। हमारे जो कर्णधार हैं, वे ही उसका ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं और वही ब्लू प्रिंट वहां पास होता है। The idea is conceived by the Indian people. It is conceptualised by the Americans but, ultimately, converted by the Indians into reality. Ultimately, it is manufactured in China and, ultimately, you have the capacity to buy it. That is why, you are called consumers and we are always consumers.

16.02 hrs (Shri Hukum Singh *in the Chair*)

हमारा यह पैसा बाहर न जा सके, जैसा मंत्री जी ने कहा, डिलाइट की रिपोर्ट सही कहती है, कि एक दिन ऐसा आएगा जैसा कि आज सबसे ज्यादा फारेन एक्सचेंज क्रूड ऑयल के लिए जाता है, एक दिन इससे भी ज्यादा हमारा फारेन एक्सचेंज हार्डवेयर खरीदने के लिए जाएगा। मैं दो चीजें ले कर घूमता हूं। एक मेरा फोन है और दूसरा मेरा आई-पैड है। दोनों ही कम्प्यूटर हैं और मैं समझता हूं कि भारत का शिक्षित जवान अपने साथ आज एक कम्प्यूटर ले कर घूम रहा है। कम्प्यूटर की तकनीक हमें पता है। वह हमारे बच्चों द्वारा बनाई गई है। उसका साफ्टवेयर हमारे बच्चों ने बनाया है लेकिन हम जिस पैसे से खरीद रहे हैं, वह पैसा चीन में जा रहा है। यह जो कंसेप्ट है कि " मेक इन इंडिया " हम जब बनाएंगे, तो बनाने के लिए जिन चीजों

को लागू करना है, वह लागू करने का पंडित मदन मोहन मालवीया जी का सपना है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें टेक्नोलोजिकल लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे, उसकी जरूरत है और उसकी शुरूआत इन चार इंस्टीट्यूट्स से समाप्त नहीं होती है। मैं अपने पूर्ववक्ताओं से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा और मंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि वे आह्वान दें, क्योंकि विश्व के जितने भी तकनीकी विश्वविद्यालय हैं या तकनीकी डिपार्टमेंट हैं या फैकलटी हैं, वहां का जो हैड आफ दि डिपार्टमेंट है वह इंडियन है। वह इंडियन वहां पढ़ा रहा है और उसी के पढ़ाए हुए, उसी से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए छात्र दुनिया में नाम कमा रहे हैं। उन्हें भारत में आने का आह्वान देना चाहिए। एक नया सपना सेल्फ रिलायंस का हमने देखा है। सेल्फ रिलायंस के सपने में कुछ और नहीं तो कम से कम हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, क्योंकि हम राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो उस तरह की फैकलटी की जरूरत है, उस तरह की व्यवस्था की जरूरत है और उसके लिए मैं समझता हूं कि यह काम जो शुरू किया गया है, यह अंततः सही रूप तभी ले सकेगा जब हम उसकी पूरी कमांड खड़ी करेंगे। इसी आईसीटी में इन्हीं टेक्नोलोजी के माध्यम से युद्ध सेनाओं के बीच में नहीं होगा, आज मिसाइल से युद्ध नहीं होगा, आज युद्ध न्यूक्लियर से भी नहीं होगा, किंतु आपके न्यूक्लियर चलाने वाले जो कम्प्यूटर हैं, उन्हें हम हैक करके बर्बाद कर देंगे। आज युद्ध साइबर सोल्ज़र द्वारा होगा। अगर साइबर सोल्ज़र भी तैयार करने हैं तो उन्हें जो ईथीकल हैकिंग का कांसेप्ट देना है या उसकी पढ़ाई-लिखाई करनी है वह भी हमें इंफोर्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी के माध्यम से ही देनी है। उनके पास भी ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिनसे कि उन्हें यहां बैठ कर सब चीजों का पता चल सके। हमें इन चीजों का पता नहीं चलता। रोज पाकिस्तान का अटेक होता है, हमें दिखता है, बार्डर पर जब गोली चलती है, जिसकी आवाज सुनाई पड़ती है, उसकी बात सुनाई पड़ती है, किन्तु रोज जो हमारे कम्प्यूटर हेक किए जाते हैं या हमारे लोग जो उनके कम्प्यूटर हेक करते हैं, उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। यह एक ऐसी टैक्नोलॉजी है, जो भविष्य में पूरे सिस्टम को, पूरे देश को क्रिपल कर सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आपका एयरपोर्ट का जो एयर ट्रेफिक कंट्रोल है, अगर वह हेक हो गया तो आपके यहां या तो एक्सीडेंट हो जाएंगे और या कोई जहाज उतर नहीं सकेगा। उसी तरह फौज का जो टर्मिनल है, वह हेक हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इंडियन एयरफोर्स को कमांड देते रहिए, आपके जहाज उड़ेंगे ही नहीं। अब इस तरह की टैक्नोलॉजी भी सामने आ रही है। हमें सिर्फ ये कम्पीटिशन मेक-इन-इंडिया के लिए नहीं, ऐसे मेघावी बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमें फेकेल्टी की जरूरत है और फेकेल्टी के साथ-साथ रिसर्च की भी जरूरत है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी एक आह्वान करें कि विदेशों में जो भारतीय बैठे हैं, इस तकनीक को पढ़ा रहे हैं और दूसरे देशों को लाभान्वित कर रहे हैं, उनको

लाभान्वित न करके, उनको थोड़ी सी यहां पर फ्रीडम दी जाए। उनको शोध करने का अवसर दिया जाए और वे यहां पढ़ा कर ऐसे बच्चे तैयार कर सकें, ऐसा शिक्षण और प्रशिक्षण दे सकें कि हम एक स्वाभिमानी, गौरवमयी भारत का निर्माण कर सकें, यही कह कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Hon. Chairperson, Sir, this is the right time for the Bill. Being an educationist, I think, this is the right time for debate and discussion. This Bill has come to Parliament at the right time. This is the right time, I hope, for such a Bill. The prevailing scenario is correct. At present, IT education and IT establishments are in a pathetic condition. In the last few years, students have second thought about taking up technical education, particularly IT. For example, TCS, INFOSYS are in a panic condition. Introduction of this Bill has given us good hope. This is the correct time. I would like to humbly thank the HRD Minister and the Government for bringing in this Bill. I certainly extend support.

Apart from that, because of the prevailing situation, two years back, our *Amma* and State Government, distributed three lakh laptops for technical and other students. Apart from that, software training was provided by the State Government to all students, particularly those who completed engineering course, communication course and IT. My small request to the hon. Minister is that the Central Government should act as backbone of the students community and younger generation. This the the correct Bill. Through this Bill, we have to install software parks, and hardware parks.

Now a days, getting faculty is difficult. The Central Government should show interest and instigate faculty development. Our students go to the US and overseas to grow. China is leading now. We have to think over this aspect. We have to form a Special Team or Committees with academicians and educationists. This is my humble suggestion. We fully support this Bill.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अपने देश में शिक्षा के विस्तार के लिए, मानव संसाधनों के विकास के लिए और समाज के उत्थान में इस बिल के बहुत बड़े योगदान को देखते हुए मैं इनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो चार संस्थान बनेंगे, उससे जो छात्र शिक्षा ग्रहण करके निकलेंगे वे आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे।

महोदय, वह भी एक समय था जब कि हम अमेरिका के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, हमने कहा कि हमें कंप्यूटर चीप चाहिए लेकिन अमेरिका ने कम्प्यूटर चीप तो नहीं दी, बल्कि अंकल चीप हमारे हाथ में पकड़ा दी। इसी तरह से हम रूस के बहुत बड़े मित्र माने गए, हमें पूरी आशा थी कि रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक देगा। लेकिन हमारे लाख प्रयत्नों के बावजूद रूस ने हमें वह टेक्निक नहीं दी। आज हिन्दुस्तान को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी सोच सारे विश्व में निराली है। जो लोग कल तक भारत को सपेरों का देश कहा करते थे, बाजीगरों का देश कहा करते थे, आज हिन्दुस्तान की इस महान भूमि से एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने आया, जो अमेरिका कल तक हमारे ऊपर प्रतिबंध लगता था, वहीं आज माननीय बराक ओबामा खुलकर भारत का स्वागत करते हैं। क्या परिदृश्य बदला है, आज से दस साल पहले अमेरिका कहा करता था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम काम है, आज वही अमेरिका कह रहा है मोदी जी के लिए दिल की महफिल सजी है चले आइए, बस आपकी कमी है चले आइए। आज चाहे आस्ट्रेलिया हो, चाहे सार्क के देश हों, चाहे ब्रिक्स के देश हों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी सार्क सम्मेलन में गए हैं। चारों ओर भारत की पताका फहरा रही है। मैं अभी मंत्री जी की चंडीगढ़ विजिट का वर्णन करना चाहूंगा। अभी मंत्री जी चंडीगढ़ गईं थीं, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे क्रांतिकारी कदम लाने वाली हैं। मैंने वहां से उनके मन की बात को भांपा कि किस तरह से जितने भी आईआईएम हैं, आईआईटी हैं, सभी छात्रों के लिए हर तरह की टेकनीक चाहे वह इंटरनेट की टेक्निक है, चाहे डिजिटल टेक्निक है। उन्होंने घोषणा की कि देश के हर छात्र को सभी टेक्नोलॉजी प्रदान कराने के लिए इसे वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी। आज जब मैं सदन के अंदर आया तो एक क्रांतिकारी सप्लीमेंटरी बिजनेस की जो लिस्ट प्राप्त हुई, उससे हमें लगा कि भारत फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया के सामने अपना स्थान बनाएगा। इन संस्थानों के अंदर एक और अच्छी बात रखी गई है कि इसमें प्रवेश पाने के लिए न कोई नस्ल होगी, न कोई धर्म होगा, न कोई जाति होगी। बल्कि हिन्दुस्तान के करोड़ों अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो अपनी

फाइनेंशियल स्थिति के कारण पिछड़ गये हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगा। इन संस्थानों में ऐसे छात्रों को हर प्रकार की मदद देने का प्रावधान किया गया है।

मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी कोई नयी पहल होती है, जैसे कहा गया कि "हम अकेले चले थे मंजिल की ओर, लोग मिलते चले गये, कारवां बनता चला गया।" आज ये चार संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन रहे हैं। यहां से प्रतिभाशाली छात्र शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे। आने वाले समय में न जाने कितने इस प्रकार के संस्थान खड़े होंगे जो भारत को विश्व में एक महान देश बनाने में हमारी मदद करेंगे। आज भी भारत इंटरनेट के क्षेत्र में तीसरे नम्बर पर है। हम संसार में चाइना और अमेरिका के पश्चात् तीसरे नम्बर पर इंटरनेट यूजर्स के रूप में आते हैं। लेकिन हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान जिस प्रकार से दिन-रात तरक्की करते जा रहे हैं, आने वाले समय में वह समय दूर नहीं होगा, जो हमारे प्रधान मंत्री का विजन है, वे चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत चीन की अर्थव्यवस्था को पीछे पछाड़ते हुए, अमेरिका को भी पीछे पछाड़ते हुए दुनिया का नम्बर वन राष्ट्र बने, ये संस्थान इस प्रकार की प्रतिभाशाली शक्तियां पैदा करने में निर्णायक भूमिका निभायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आदरणीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you, Sir, for the opportunity to speak on this wonderful Bill. I fully support the Indian Institutes of Information Technology Bill. At the outset, I would like to bring to the notice of the House the wonderful words spoken by Gurudev Rabindranath Tagore. Gurudev says:

> "Don't limit a child to your own learning, for he was born in another time."

Institutions like these should be futuristic in approach. Institutions like these which are supposed to enhance the brand image of our country are to be reflecting the futuristic attitude. We should not only dwell in the present time but these institutions should be more futuristic in approach. When I say these should be more futuristic in approach, starting from the basic issue of training the teachers of these institutes to handpicking the students of these institutes to enhancing the research facilities of these institutes, we have to truly apply our mind and give greater impetus in every segment of these institutes. As we all know, improving or giving impetus to the technical education of our country will be a direct reflection on the GDP of our country. We will see a direct impact in the growth in the GDP of our country when we start improving the technical education.

Sir, there are four institutions today in IIT. I would say keep them only four. Somebody has suggested that we should have one in each State. Although I am from a new State, I do not mind having one prestigious institute in my State but I really do not want the quality of the institutes to go down. Let us produce only a handful of our scientists. But let us make sure that they make India's name shine outside in this world.

From whatever institutes we have had, whatever infrastructure we have had, we have had people going outside and creating Hotmail. It was a huge success. We have seen many of our scientists enriching the Silicon Valley. We have seen many of our scientists migrating from our country and going outside. Today when

we speak about institutions like these and when the Government spends so much money and puts its resource and energy into it and we create these scientists, they are all migrating away. We should stop the migration of our cream scientists from our country and make sure that we utilize their capabilities, their research into our own county, it could be the defence mechanism, it could be the ISRO's success of Mangalyaan. It was completely one-fourth of the cost of which America could go to Mars. When we can do that, I believe, you know whatever technology we produce in these institutes should be utilized.

Sir, I do not know if we can make an amendment in this Bill but let us keep the number of these institutes to four. Let us support the students who come out of these Institutes to float the medium scale industries. Let the Government fund these students and let them have industries. Let us grow more industrialists and make sure that our country shines and particularly where we lack in our institutes right now that we have. It could be IIM. It could be the already existing IITs which are considered to be very highly rated across the world. But none of the papers of our scientists appears in the scientific journals in the international academia. We, as a country with such great human resource in many technological aspects, do not run many international journals. All our institutes should be promoted. All our institutes should be supported by the Government to run these international journals which will definitely give ample opportunities to the students of the colleges in the worldwide scenario.

Sir, when we still talk about Aryabhata inventing zero or when we talk about Nalanda University or when we talk about Takshila University, they had left behind a great legacy to our country. Tomorrow, when somebody after 100 years has to talk about these IIITs, I request Madam Shrimati Smriti ji to please think out of the box. Governance is an on-going process. Today it is you, tomorrow it could be somebody else but make sure that there is a mandated financial assistance that is given every year. We have to decide on the budget that is to be given every year. Tomorrow another Government will come and their interest or their focus

on this subject will wean away and the institutions will suffer. These institutions, as my friend, Dr. Boora Narsaiah Goud was saying, have to be given impetus and any investment made in these institutes is in fact for the future of our country. If at all any changes can be made in the Bill, Madam, let the Government give a commitment on the budget that it is going to allocate.

Madam, I would like to bring to your notice that there are four Institutes and few of them have management, few of them have design, and one of the Institutes is only having Information Technology. Now, to begin with, we have to bring all these four Institutes on one level and from there build on to go forward. Now, the issues such as how to make them uniform, how much money you give to each Institute will also be a matter of discussion,

I would like to bring to the notice of the Minister about what is mentioned in Chapter 4.28. It says that you pay to each Institute in every financial year such sums of money in such manner as it may think fit. What does this mean? That is really to be examined. These Institutes need to be guaranteed of some funds so that the Deans or whoever is responsible can plan their economy properly.

Another important point which I really liked and I would like to appreciate the Government is in Chapter 3.22, which says: "Each of these Institutes will have a Research Council." It is an amazing thing to have a Research Council but how much freedom are you going to give them and how will you link the Research Council to the industry? It could be defence, it could be ISRO or it could be our very own IT industry, which is a point of concern.

Madam, I was very lucky. I had pursued my engineering here in India and also I had an opportunity to go abroad to study. The difference was amazing. I mean, we are no match when compared to the foreign institutes. But we are very lucky because we have a number of people who are intellectually bent and willing

to work very hard. Kindly give them some support and please do think about supporting the outgoing students of these Institutes and make sure that they establish industries and help our own country.

Thank you for the opportunity given to me, Sir.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति जी, द इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी बिल, 2014 माननीय मंत्री जी लाई हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। देश को इसकी बहुत जरूरत थी। आज देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, काम करने वाले नवयुवक देश के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत को सोच में लाए हैं।

भविष्य की चिन्ता करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवकों के आगे बढ़ने के लिए जिन-जिन संस्थानों के लिए, जैसे पहले इलाहाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, कांचीपुरम में जो संस्थान बने हुए हैं, इसके बच्चों को इतना दूर जाना पड़ता है और देश में जिसकी जरूरत महसूस की जाती है, हम आज देखते रहते हैं कि आज हमारे प्रतिभावान लड़के कैसे भीतर दबते जाते हैं, उनकी स्थिति आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती है, जितनी उनकी सोच है, उतना उनको नहीं मिल पाता था। आज प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॅजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से संबंधित जिस प्रकार की सोच लाये हैं, हर देश में इसकी मांग है। हमारे देश के बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ते थे और भारत के जो लोग विदेशों में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो आज कुछ देश को देकर जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। जैसे हमारे पंडित मालवीय जी, हमारे आर्यभट्ट जी का नाम आज लिया जा रहा है, यह देखने को मिलता है कि हम लोग जिस अच्छे काम के लिए आये हैं, जिस सोच के लिए आये हैं, आज वह दिन आ गया है, आज वह स्थिति आ गयी है कि हम लोग आगे बढ़कर उस काम को करने में ट्रीपल आईटी को बनाने में दुनिया को संसाधन देने के लिए जिस तरह की उत्सुकता जाहिर हो रही है और हम लोग सोचते हैं कि हम अपने काम को आगे बढ़ायें और अपने देश का नाम ऊँचा करें, इसलिए हर समय सूचना के क्षेत्र में हम देखते हैं, हम जब गूगल खोलते हैं, तो देश-विदेश की हर चीजें हमें देखने को मिलती हैं। टेलीफोन में आज जितनी चीजें हम देख पाते हैं, वे पहले नहीं थे। इसके विस्तार के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा देश सोच रहा है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आज सवा सौ करोड़ की आबादी किस प्रकार जी रही है। कैसे अपने को आगे रखने के लिए बेचैन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसी सोच है, मेक इन इंडिया और डिजीटल इंडिया की उनकी सोच है। जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, वे कहते हैं कि मैं यह डिग्री लेकर बैठा हूं, कितने इंजीनियर्स बने हुए हैं, कितने डाक्टर्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, उसका सही रूप देने के लिए आज यह बिल आया है। श्री जगदम्बिका पाल जी ने इसके संबंध में बहुत सारी बातें कही हैं, उनकी बातों का मैं समर्थन करती हूँ और इस बिल का मैं हृदय से समर्थन करती हूँ। देश-विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम हो रहा है, जब वे

विदेश जाते हैं, तो उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, वे जनता के लिए बोल रहे हैं, जनता के हक के लिए बोल रहे हैं, तो आज कथनी और करनी बराबर होनी चाहिए। पहले के लोग केवल भाषण दे देते थे। लेकिन जनता के विषय में नहीं सोचते थे, युवाओं के विषय में नहीं सोचते थे, प्रतिभा के विषय में नहीं सोचते थे। आज प्रतिभावान बच्चे बढ़-चढ़कर काम करने के लिए उत्सुक हैं, कामों के लिए यह जो बिल लाया गया है उसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और यह चाहती हूं कि इसका रूप धरातल पर उतरे।

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Thank you, Mr. Chairman, Sir. When we are talking about information technology and research in our country, it is the quality that should be the first priority. The quality of education is very important.

As Shrimati Kavitha Kalvakuntla has mentioned, the institution should be restricted and limited. I completely agree with her. But the quality of education is really very important. So, we can train the teachers, we can train the faculty and expand our institutions. If we do not have quality teachers and mentors, only expanding the institutions would not yield good results.

As we all know, nowadays, there is a huge competition among the students in our country. A number of students are appearing in the competitive exams. But hardly any student gets the opportunity for admission. Why? It is because every student wants to get himself enrolled into the best of the best universities in our country. There is a dearth of quality institutions in our country and so, every child wants to go to the US for study and gets himself equipped with more and more knowledge. Why cannot we provide that kind of education in our country? Firstly, we need to train the faculty to provide that kind of education in our country. We have to come out with faculty education where we can train them. We can have a tie-up with other countries where we can send our faculty and give training as part of exchange policies. For example, now-a-days, in all the institutions, even at school level, we have exchange programmes where we send our teachers to other countries and teachers from other countries come, learn and understand our kind of education.

So, my suggestion is that we need to have more training institutions to train our basic faculty. Apart from that, when we are talking about villages and small places to be developed, education is very important there. Why are we not able to run Government schools with that kind of quality education where children have basic understanding, and basic education? How can they compete with the IITs

and all these institutions? How can they come into all these institutions? So, I feel that the basic education has to be given to the Government teachers, and they are to be brought up to that standard of education where they can give that kind of quality education and train each and every child even in a remote place. Then we can come out with many of these institutions where we will be justifying and empowering our country with the kind of institutions with quality. Thank you so much, Sir.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, मैं एचआरडी मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत दि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। अभी पिछले चुनावों में भारत के लोगों ने बहुत ही आशाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को चुना है। इस सरकार के साथ देश के लोगों की बहुत आशाएं-आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं और सरकार ने भी पूरी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए हर उस क्षेत्र में जहां सुधार की गुंजाइश है, कैसे हम अपने देश को आगे लाएं, उसके लिए पिछले छः महीने से काम किया है। इसी का परिणाम है कि विरोधी दल चाहे कुछ भी कह रहे हों, लेकिन देश की जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनके मंत्रियों को मिल रहा है। पिछले छः माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत से सुधारों के साथ इस देश में अपार संभावनाएं पैदा की हैं और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी दुनिया की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिस तरीके से बताया कि हमारे देश के बहुत से योग्य नौजवान, जो इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, दूसरे देशों में उनकी सेवाओं को लिया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में व्यवस्था न होने के कारण इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम उनका जिस तरह से उपयोग कर सकते थे, वह नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिल आया है, यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह जो विचार आया है कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए फैकल्टीज का निर्माण करके, रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उन सबके लिए हम एक ऐसा विधेयक लाएं जिससे सारी चीजें व्यवस्थित हो सकें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है।

मेरा ऐसा विचार है कि पूरे सदन को सर्व-सम्मति से इसे पारित करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देश की मजबूती के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है और 6 महीने पहले जब चुनाव हो रहा था तो भारत में हताशा और निराशा का माहौल था, देश के लोग हताश और निराश हो चुके थे, सीमाओं पर असुरक्षा थी, महंगाई बढ़ी हुई थी, भ्रष्टाचार था, पूरी दुनिया में भारत का सम्मान घटा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है और पूरी दुनिया को भी यह विश्वास हुआ है कि मौजूदा सरकार में सोचने का एक नया तरीका है, काम करने की योग्यता और क्षमता है। इसी के कारण हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि भारत के बारे में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी जहां भी जा रहे हैं

वहां पर उनका केवल स्वागत ही नहीं हो रहा है वहां पर लोग उनके विचारों को सुनते हैं और उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि माननीय प्रधान मंत्री जी जब फिजी और आस्ट्रेलिया की यात्रा पर गये थे तो उन्होंने भी विश्वासपूर्वक इस बात को कहा है कि जो हमारे लोगों का सपना था, जो हम सोचते थे कि भारत विश्व-गुरु दुबारा बनेगा, उसी रास्ते पर हम लोग बढ़ चुके हैं और निश्चित रूप से जैसा कि हमारी सरकार सोचती है, उसमें सूचना प्रोद्योगिकी का आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। अगर हम अभी से इसके लिए तैयार नहीं होंगे, अभी से हम इसके लिए व्यवस्थाएं ठीक नहीं करेंगे, जैसे अभी हमारे अहलूवालिया जी ने कहा कि हमारे नौजवान जो बाहर चले गये हैं उन्हें हम इस तरह से आकर्षित करें कि वे अपने देश में आकर सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े-बड़े काम करें, जिससे इस देश को उनकी प्रतिभा और योग्यता का लाभ मिल सके। इसके लिए निश्चित रूप से इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत विस्तार से इस विषय में कहा है। मैं भी इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और पूरे सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग इस विधेयक का समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को आईटी इंडस्ट्रीज, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं उसके बढ़ने से भारत मजबूत होगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार ने आईटी के क्षेत्र में संगठित व्यवस्था करने की जो चिंता व्यक्त की है वह वास्तव में बहुत आवश्यक थी। आने वाले समय में हम अपनी क्षमता और योग्यता का लाभ उठा सकें, इसलिए इस विधेयक को पारित करना आवश्यक है और हमारी माननीया मंत्री ने जो इसके लिए योजना बनाई है, हम सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : आज जो इंडियन इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी बिल, 2014 आया है, मैं स्वागत करता हूं सरकार के इस प्रस्ताव का कि पहला कदम सरकार द्वारा इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी का महत्व समझकर इस संदर्भ में उठाया गया है। इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी हमारा भविष्य है और आज मोबाइल से लेकर स्पेसशिप तक हर चीज इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी से संबंधित चल रही है। हम कंपीट कर रहे हैं लेकिन हम वहां नहीं हैं आज जहां हमें होना चाहिए था। सबसे बड़ी समस्या जो इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी के संदर्भ में हमें प्राप्त होती है, जैसा अभी हमारे सीनियर सांसद अहलूवालिया जी बोल रहे थे कि आज हम किसी भी मल्टी-नेशनल कंपनी को उठाकर देखें, चाहे वह यूएस की माइक्रोसॉफ्ट हो, तो उसमें लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं। आज ऐपल में भी करीब 27 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं। आईटी हमारे यहां बहुत अच्छी है और हम लोग रिसर्च भी करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मगर जब नौकरी की बात आती है तो सारे के सारे आईटीयन्स दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं और जितना पैसा हमारी सरकार उन आईटीयन्स पर लगाती है वह सारा पैसा हमारी सरकार का नुकसान होता है। पार्लियामेंट में हर सांसद को एक ई-रीडर दिया जाता है और मैजोरिटी सांसद के पास अगर उठाकर देखेंगे तो आई-पैड होगा या सैमसंग का टैब होगा। दोनों ही इक्यूपमेंट हमारे देश से सम्बन्धित नहीं हैं। हमारे देश के बहुत से ऐसे आईआईटीएन्स हैं जो अपना प्रोडक्ट देश में लेकर आए। पिछले दिनों हमने दिल्ली में एक इक्यूपमेंट देखा, जिसका नाम आकाश था। 1200-1500 रुपये उसकी कीमत थी। सरकार की तरफ से उसके डेवलपमेंट के लिए कोई इनसेंटिव नहीं दिया गया।...(व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : सुमित सिंह तुली, एक कनैडियन सिक्ख हैं, उनकी कम्पनी इसको बनाती है।

श्री दुष्यंत चौटाला : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल में एक क्लॉज़ ज़रूर डालें, एक अमेंडमेंट आप प्रस्ताव के तौर पर लाइए कि जो इन आईआईआईटीज़ में से पढ़कर जाएंगे, कम से कम एक दशक नहीं तो पांच साल तक उनको हमारे देश में रिसर्च या नौकरी करनी होगी, उसके बाद ही वह पलायन करके जाएं। जो तकनीक और डेवलपमेंट है या जो रिसर्च हमारे देश में होती है, वह फोरन फंडिड होती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र हिसार में तीन इन्स्टीट्यूट्स हैं, जिनमें एक वेटनरी इन्स्टीट्यूट है, रिसर्च के लिए एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और एक इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का पैसा फोरन इनवेस्टर्स से आता है। जो भी हमारे देश में रिसर्च की जाती है उसका अंत में पेटेंट किसी और देश में होती है। इसलिए इन आईआईआईटीज़ में यह क्लॉज़ जोड़ा जाए

कि जो भी रिसर्च की जाएगी, उसका हमारे देश में पेटेंट होगा, ताकि जो इनवेस्टमेंट होगी, वह हमारे देश में ही रहे।

महोदय, माननीय रक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनके संदर्भ में भी बोलना चाहूंगा कि आज हमारे अधिकतम डिफेंस रिलेटिड इक्यूपमेंट्स हैं, हम दूसरे देशों के साथ टाईअप करके, जिनमें फ्रांस, जापान, कोरिया, यू.एस., इज़राइल और रूस ला सकते हैं। इन चार आईआईआईटीज़ में यदि हम टाईअप करके डिफेंस को लाते हैं तो हम देश के सैनिकों को अच्छे इक्यूपमेंट्स प्रोवाइड करने में सक्षम रहेंगे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रयास के बारे में यही कहना चाहता हूं, कविता जी चली गयी हैं, उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इन चार आईआईआईटीज़ पर इसको लिमिट करना होगा ताकि हम आने वाले समय में देश और दुनिया को दिखा सकें कि इन चार संस्थानों में से जो प्रोडक्ट निकले हैं, वह हमारे देश के लिए सुपीरियर और प्राइम हैं, जिसने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम करने का काम किया है।

महोदय, मैं मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए आभार प्रकट करता हूं। अपनी ओर से और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से आपके इस बिल का समर्थन भी करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you Chairman Sir, for giving me this opportunity to participate in the discussion related to the Indian Institutes of Technology Bill, 2014.

I rise on behalf of my party, Sikkim Democratic Front, to support this Bill and I would like to make a few statements regarding this. It says education is a key element for developing human resources and contributing to the growth of this society and we cannot agree with this more. But what is education? Education is not just about developing one facet of our faculty but it is a way in which a holistic development of the individual can actually happen. It is very sad to see that in our higher education space, less and less emphasis is now being given to the social sciences because we are on a path of focused attention to just technology.

I think I had the good fortune of studying in the Indian Institute of Technology, Kanpur where we had a large sprinkling of the arts and the social sciences. That has allowed us to understand not only technology but also we were able to understand economics, art and culture which are so very important when we lead up to the question of education, when we start defining education. Education really means much more than just understanding how perhaps one facet of say, just information technology works. Therefore, I would request that even as we redesign these IIITs, I think, it would be useful to see what kind of injection of the holistic design or the design elements are put into this.

The other point that I would like to build on this is the most significant element. I think the Government of the day under the Prime Minister Shri Narendra Modiji, is moving in the right direction in terms of giving emphasis to manufacturing. About sixty per cent of our young people are below the age of 30 or 35. This puts a huge challenge to all of us. If we look into our own constituents, we will find that there is a huge number of young people who are looking for gainful employment. I think, manufacturing is one area which has been sadly neglected. We are leading in design of software. But in the design of hardware, I

think, we are lagging behind for a variety of reasons. We hope that more emphasis would be given so that the people or the students who come out of these IITs would go, in some measure, more into these manufacturing plants so that we are able to add to the GDP of our country from manufacturing as well and not just from services.

Finally, I would like to talk about one other element which concerns my State, the State of Sikkim. We have a lot of creative talent in the mountain areas. That is basically because of perhaps the kind of environment that the young people are born and brought up in. I think, we find a lot of students from Sikkim moving into Institutes like the National Institute of Design. I would like to also bring to the notice of our hon. Minister that it would be most gracious on the part of the Minister if a National Institute of Design which is fully funded by the Government of India be set up in the State of Sikkim.

With these words, I would like to thank you for giving me this opportunity to participate. I support this Bill in its full form.

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): I thank you, Hon'ble Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on "The Indian Institutes of Information Technology Bill, 2014". It is an important bill and I support it.

Sir, indeed, the country can make progress only when more and more students gain out of information technology. This is a very good bill. However, some changes are needed to make this bill even better.

Sir, things are good at the I.I.T level. However, more students should be exposed to information technology at the matric level and beyond that. Students at this level must be trained in skill development. There are lakhs of poor students who fail to get admission in the I.I.T.s. There may be various reasons for that too. These students hail from remote or backward areas where study facilities are not available. Such students, especially of Scheduled Castes and Tribes, must be provided an opportunity to get enrolled in I.T.I.s etc. More facilities must be provided to such students. The Government must take an initiative to help such students.

Sir, there are students who are doing 'non-attending' courses in various educational institutions. Certificates are provided to such students by these institutes. However, in reality, no training or education is granted by such institutes. The students have no first-hand experience. Keeping in view such institutions, it is all the more important that the Government trains such students in skill-development. Otherwise, skill-development will take a back seat. The Government must act against such bogus institutes. Their registration and affiliation must be cancelled.

Hon'ble Chairman Sir, the students of SC & ST categories who are studying in I.I.T.s & I.T.I.s etc. have suffered in the past as timely scholarships have not been granted to them. Funds are not issued to the educational institutions for several years. As a result the students of the weaker sections suffer. Hence, the colleges must be granted timely funds so that timely scholarships are provided

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

to the students of weaker sections of society. Also, the Government must ensure that there is no problem in the admission of SC & ST students.

Sir, the policy of "Catch them young" should be adopted for young students as far as skill-development is concerned. Young students of the rural areas must be provided with such facilities. This will give an opportunity to the less-educated too, to stand on their own feet and earn a living.

Sir, 'brain-drain' is a big problem faced by India. Students who get educated here, often leave for greener pastures abroad. So, the scholarships of SC,ST, and OBC category students must be provided to them regularly. These students serve their own country. Earlier, their scholarship amount was provided directly in their bank accounts. But, nowadays, several discrepancies have crept into the system. These must be removed at the earliest. Colleges too, must be given their grants in time. The students must get timely scholarships.

In the end, I thank the Government for brining this bill in the House. It is an important bill. However, some amendments will make it ever better.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन में मंत्री जी के द्वारा जो ट्रिपल आईटी बिल, 2014 पेश किया गया है, इसके समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का एक सपना देखा था। प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे दुनिया में अपने देश का डंका बजाया और एक स्वाभिमान का भाव जो पैदा किया कि हमारे देश में किस तरीके से हम स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत गहनता से चिंतन किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश के विकास के लिए किस तरीके से हम आगे जाएं। इसी चिंतन का नतीजा यह बिल है। यह आईआईआईटी 2014 बिल देश की शिक्षा के लिए, टैक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए बहुत मज़बूत नींव साबित होगा। क्योंकि जो सिर्फ 4 ट्रिपल आईटी इस बिल में लिए गए हैं, ये चार ऐसे मज़बूत स्तंभ होंगे, जिसके आधार पर देश की शिक्षा के लिए, टैक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। जिस प्रकार देश में एम्स में क्वालिटी के दम पर, अपनी शिक्षा के दम पर और इलाज के दम पर एम्स ने एक स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है और चिकित्सा के साथ में उन्होंने सेवा कर के भी अपना नाम कमाया है। इसी प्रकार ये जो संस्थाएं हैं, जो चारों शहरों में खोली जा रही हैं, ये इस एजुकेशन को बढ़ाने कि लिए बहुत बड़ा आधार होंगी।

इस बिल में बहुत खूबसूरती यह दी गई है कि विस्तार से हर चीज़ को समझाया गया है कि किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन है, संस्थाएं कौन-कौन सी होंगी, ऑर्गनाइज़ेशन और प्राधिकरण क्या-क्या होगा। गवर्निंग बॉडी कैसे बनेगी और इसकी फाइनेंशियल कंट्रोलिंग कैसे होगी। ऐसा लगता है कि यह बिल आने वाले समय में हमारे देश के लिए, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए बहुत मज़बूत बिल साबित होगा। इस बिल के माध्यम से हम तकनीक के क्षेत्र में, ट्रिपल आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी मैन पॉवर पैदा कर पाएंगे जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रौशन करेगी। जैसा कि हम आज देखते हैं कि जो भी इलैक्ट्रॉनिक आइटम हमें खरीदना हो, चाहे वह टी.वी. हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, हर आईटम हमें विदेश से लाना पड़ता है। ऐसी मजबूरी है। वजह क्या थी कि पिछले 65 साल से, पिछले लंबे समय से कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया कि किस तरीके से हमारे देश को इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ पर बहुत अच्छी पहल की है और उम्मीद करते हैं कि ये जो चारों संस्थाएं बनने जा रही हैं और जिस तरीके से यह अच्छा बिल ड्राफ्ट किया

गया है, ये संस्थाएं हमारे देश में एक आइडल मॉडल होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि ये संस्थाएं देश के सभी राज्यों में विस्तार करेंगी और देश में एक नई क्रांति आएगी। देश आत्मनिर्भर बनेगा और देश की यह जो ताकत है, हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति दिलाएगी और हमारे देश का नाम रौशन करेगी। यह बिल मील का पत्थर है और मैं इस बिल का बहुत समर्थन करता हूँ कि यह देश के लिए बहुत वरदान साबित होगा। सभापति जी, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Chairman, Sir, first of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to speak on this very important Bill.

IT is a very important sector in today's modern India and also the modern world, which is why we have to take it very seriously. One of the reasons is that IT has moved India from the 1980s to 2000s as a very important country in the world. We see India as a superpower in the future and one of the reasons we see it so is because of the slight advantage we have in the IT sector. We hope, we could be the superpower that we want to be. For that, we have to take IT very seriously because IT is very important. From the time we get up to the time we sleep, from the time we are born till the time we lead our lives, every day, we are using IT. So, it is a very important sector. From health care to education, security, counter-terrorism, anti-corruption, and good governance, IT has played a very important role. So, IT has to be taken very seriously.

In the future, rather than concentrating on just imparting technical education to students, we have to improve the technical standards in the IT sector, which is very important today.

17.00 hrs

I welcome the Bill. This paves the way for the construction of four very good world class IT facilities in this country. These are certainly going to be the pillars for the modern technical India that we are looking at. On the basis of this, I also like to point out that rather than just imparting technical education, we have to look at improving the knowledge, the skills and the research that we offer in these technical institutes.

One of the problems that we are having is that all the students who are very talented in the IT sector move abroad. There is a strong will to go abroad and work for other countries and other institutions. So, one of the prime agenda of this Bill or these institutions should be to change the all round approach along the IT sector.

It is just not imparting technical education; we have to improve the investments in the IT sector; we have to improve the jobs in the IT sector; we have to make the students believe that if you are studying in these institutions or taking IT as a career, then there is a good opportunity to stay back in India and there is a good opportunity to serve this country. Over the years, IT has done so much for India. We have seen that in the past two decades, a student from a very poor BPL family is now living in the US and doing very good job. So, IT has given so much for India and it is time, India gives back to the IT sector. One of the ways is through the Bill and construction of the four technically advanced institutions.

As Shrimati Kavitha said, we have to really focus on the quality rather than the quantity. Over the last 2-3 years, we have been going with the idea that every State should have one individual institution of this kind. But quality should be the main focus.

Along with that, I would like to say that if there is a consideration for the fifth institute, then it has to be set up in Andhra Pradesh. IT has always been very dear to the State of Andhra Pradesh, and for our Chief Minister, Mr. Nara Chandrababu Naidu, who has been very obsessed with the IT sector, right from the 1990s to the 2000s. If it is set up in Andhra Pradesh, we would definitely contribute towards this sector.

As our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has said, we are aiming for digital India; we have to realize that when we want digital India, it is not just connecting wires together; we need institutions like this; we need to give them prime importance . We have to go with an all round approach on this.

I would like to wish all the best to these four institutions and the Ministry of Human Resources Development. I would like to thank the Chair for giving me the opportunity to speak on this issue. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Madam, do you want to say something?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : महोदय, आज वैंकैय्या नायडू जी ने डॉ. गौड के भाषण की सराहना की और उनके स्वर से स्वर मिलाते हुए मैं कविता जी, दुष्यंत चौटाला जी और अभी-अभी आन्ध्र प्रदेश से जो माननीय सांसद बोल रहे थे, जिनकी व्यक्तिगत टिप्पणी इस बिल के अन्तर्गत हुई, मैं उनकी सराहना करती हूँ। आज की यह चर्चा हमारे देश को इस बात का संकेत देती है कि जब इस संसद में शिक्षा पर चर्चा हुई तो राष्ट्र नीति के बारे में चिन्ता हुई, राजनीति के बारे में नहीं। मैं चाहती थी कि लोकतंत्र के मन्दिर में विद्या का आशीर्वाद ट्रिपल आई.टी. के छात्रों को आज मिले, किन्तु विपक्ष आज उपस्थित नहीं है, कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिए यह चर्चा कल भी हो, मैं ऐसा निवेदन आपसे करती हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं अगला विषय लेना चाहूँगी। अगला विषय सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का है।

HON. CHAIRPERSON: Just a minute.

… (*Interruptions*)

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): With your kind permission, may I intervene particularly on this Bill? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You can speak tomorrow. She is busy today and she must go to the Rajya Sabha. We can continue this tomorrow.

… (*Interruptions*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, राज्य सभा में मतदान है। इन्होंने अपना मत पेश कर दिया है। मैं यहाँ पर हूँ और मैं माननीय देवगौडा जी का विषय सुनना चाहूँगा।

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I am not going to make a lengthy speech. In just two to three minutes I would like to express as to why I particularly wish to participate in the discussion on this Bill.

Yeddyurappa Ji is here. During the period when he was the Deputy Chief Minister and his colleague Shri Kumaraswamy was the Chief Minister of Karnataka, the Government of Karnataka had recommended to provide all the facilities including the fifty per cent cost of the IIT, whatever the Government of India may fix. And 1000 acres of land has already been acquired and reserved for the purpose of starting an IIT in Hassan. All the details were sent to the Planning Commission. This is an issue which was promised by the previous UPA Government but has not been fulfilled because of various political considerations. I am sorry, I do not want to indulge in politics particularly on the issue of development of any State. I congratulate the hon. Minister who has piloted this Bill.

Our Prime Minister is not here today. I know he has gone to attend SAARC meeting. I had met the hon. Prime Minister and briefed him of the whole issue and also told him how things are pending so far as Karnataka is concerned. He made a promise to me. I am not going to discriminate it on the basis of political consideration. I would certainly see it from the point of view of the development of the State.

What the previous Minister of Education assured on the floor of the House which was also discussed with the then Hon. Prime Minister. I do not want to repeat it. Yeddyurappa Ji should not mistake it as being said by the Minister of this Government. What the earlier Minister of Education in the UPA Government spoke in the House, I do not want to make any controversial statement on that. Sir, I met the hon. Prime Minister for the first time since he took over the *gaddi* of the Prime Minister. I spent nearly 40 minutes and explained all the issues pertaining to Karnataka in general and Hassan in particular. Some of the railway projects

were pending for the last 19 years which I had cleared. I do not want to go into the details of all those things.

I do not want to repeat the recommendations made by the then Principal Secretary in a letter to the Government of Karnataka. I know, the hon. Minister has gone to Rajya Sabha. The State Government is meeting all the conditions imposed by the Government of India. A letter in this regard has been written by the State Government. Had the Prime Minister been here, I would have again reminded him of what we discussed when I met him. I would only request the Government of India to fulfil the long pending issue pertaining to sanction of an IIT in Hassan district. I hope and trust that this Government, which is going throughout the world on the mantra of development, will do the needful. I sincerely appeal for an IIT in Hassan, Karnataka. Thank you.

17.09 hrs

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

17.10 hrs

THE CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2014

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, we would take up Item No.12C of the Supplementary List of Business.

Hon. Members, before I call hon. Minister of State in the Ministry of Human Resource Development to move motion for consideration of the Central Universities (Amendment) Bill, 2014, I have to inform the House that Shrimati Smriti Zubin Irani, hon. Minister of Human Resource Development *vide* communication dated 24 November, 2014, has intimated that the President, having been informed of the subject matter of the Central Universities (Amendment) Bill, 2014, recommends to the Lok Sabha the consideration of the Bill under article 117(3) of the Constitution of India.

Hon. Members, before we take up consideration of the Central Universities (Amendment) Bill, 2014, we have to allot time for its discussion. If the House agrees, we may allot 2 hours for this.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, we discussed this in the Business Advisory Committee and one hour was allotted for its discussion.

HON. DEPUTY SPEAKER: It is all right. I have no objection. We would discuss it for one hour and afterwards we would see.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं *

> "That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."

दि सैंट्रल यूनीवर्सिटी बिल, 2014 एक्ट 2009 के तहत बारह राज्यों में सैंट्रल यूनीवर्सिटी स्थापित हुई थीं। बिहार में उच्च शिक्षा और बिहार जैसे बड़े राज्य को और उसकी आबादी को देखते हुए दो सैंट्रल यूनीवर्सिटी बनाई गई हैं। एक सैंट्रल यूनीवर्सिटी है जो साउथ बिहार में है और दूसरी महात्मा गांधी सैंट्रल यूनीवर्सिटी है। मैं सदन के समक्ष बिल चर्चा हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं और सदन का आशीर्वाद चाहता हूं कि सर्वसम्मति से बिल पास हो।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."

---

* Moved with the recommendation of the President.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आज दि सैंट्रल यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, 2014 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि यह बिल केवल चम्पारण या बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण बिल नहीं है, बल्कि यह महात्मा गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। वर्ष 1917 में जब मोहनदास कर्मचंद गांधी जी चम्पारण गए थे और वहां उन्होंने वहां जो काम किया था, उसी के बाद विश्व ने और भारत ने उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना था। वर्ष 2005 तक बहुत शर्मनाक स्थिति थी कि वहां आज भी ब्लाक में एजुकेशन लेवल बहुत कम है। चम्पारण में कम से कम एक दर्जन ऐसे ब्लाक हैं जहां परसेंटेज तीस परसेंट से भी कम है। वर्ष 2005 में हमारी सहयोगी सरकार बनी और उसके बाद शिक्षा में परिवर्तन आया। जब यहां यूनीवर्सिटी खुलने की बात हुई तो एक बहुत अजीबोगरीब किस्सा हुआ। उस समय सबसे ज्यादा योगदान माननीय राधामोहन सिंह जी का, माननीय सुशील मोदी जी का था जिन्होंने कहा कि यह यूनीवर्सिटी मोतीहारी में खुलनी चाहिए और बिहार सरकार ने इसे रिक्मेंड करके यहां भेज दिया। उस समय की सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि हम मोतीहारी में इसे खोलने के लिए तैयार नहीं हैं और इसका कारण यह बताया कि वहां कोई हवाई अड्डा नहीं है। क्या हवाई अड्डा शिक्षा का कोई आधार बनता है? माननीय राधामोहन जी के नेतृत्व में हम सभी ने बहुत लड़ाई लड़ी और चम्पारण के बहुत सारे विधायक खास कर प्रमोद कुमार जी, सचेन्द्र जी, रामचन्द्र साहनी जी, अजय सिंह जी, कृषनंदन पासवान जी और दिल्ली के पूर्वांचल समाज के लोगों ने दिल्ली में बहुत बड़ा धरना दिया। उसके बाद तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर तैयार हुए लेकिन आधे-अधूरे मन से तैयार हुए। हमारे यहां कहावत है, जिसे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन दूसरी लाइन यह है कि " हेराफेरी से कभी नहीं जाता है।" कोई चोरी से चला जाता है लेकिन हेराफेरी से नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि हम बिहार में दो केंद्रीय विद्यालय देंगे लेकिन आधा-आधा करके देंगे और वह भी इन लोगों ने पिछली सरकार में पास नहीं किया। इलेक्शन में यह हमारे यहां का सबसे बड़ा मुद्दा था और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं माननीय शिक्षा मंत्री समृति ईरानी जी का और कृषि मंत्री माननीय राधामोहन सिंह का कि जब बिहार के सांसदों की बैठक प्रधानमंत्री जी के साथ हुई तो सबसे पहले इस चर्चा को रखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बिल पास होना चाहिए और पहले सेशन में ही पास होना चाहिए। मैं माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभारी हूं कि वे तैयार हुए और पिछले सदन में बिल लाए और उसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल में गया। पिछली सरकार जो कहती थी कि हम आधे पैसे देंगे, उसके बदले दो यूनीवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया

गया है। चम्पारण की जनता के लिए जो एक बहुत बड़ा सहयोग के रूप में है, क्योंकि हमारा जिला शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी गांधी जी के एक सौ वर्षों के बाद भी हम बहुत तरक्की नहीं कर पाए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। इस बिल से हमारे जिले को न केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिल रहा है, बल्कि आज तक हमारे यहां कोई हायर एजुकेशन की संस्था नहीं थी, कॉलेज लेवल तक ही थी, उसका भी निर्माण हो रहा है। इससे पश्चिम चम्पारण और पूर्वी चम्पारण जिले बहुत आगे बढ़ेंगे।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो स्कील डेवेलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं, उनसे अनुरोध रहेगा कि महात्मा गांधी और पूजनीय बा ने हमारे यहां लगभग 56 बुनियादी विद्यालय खोले। जहां पर बच्चों को बा ने खुद पढ़ाया, कस्तूरबा जी और महात्मा गांधी जी ने खुद बच्चों को पढ़ाया। वे ऐसे विद्यालय थे, जिनमें तकनीकी शिक्षा भी साथ रखी। आज जो सोच माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की है, वह सौ वर्ष पहले मोहन दास कर्मचंद गांधी जी की सोच थी, जब वह चम्पारण गए थे। वहां पर वैसे 56 से ज्यादा बुनियादी विद्यालय हैं, जिन सब की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार के अधीन में है। वहां पर उसका डेवेलपमेंट करना और एक-एक जमीन में महात्मा गांधी के अनुरोध पर उस समय दानकर्ताओं ने 15 एकड़, 20-20 एकड़ जमीन एक-एक बुनियादी विद्यालय में दी।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी अनुरोध रहेगा कि उन सभी विद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ शामिल किया जाए और जो नरेन्द्र भाई मोदी जी का स्कील इंडिया का सपना है, उस जमाने में महात्मा गांधी जी ने लोहे, पीतल, लकड़ी आदि की कारीगरी सिखाने का काम किया, इन सब चीजों की हरेक विद्यालय में कारीगरी सिखाएं, कि बच्चे पढ़ाई भी करें और कारीगरी भी सीखें, जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। उस सोच के साथ उन्होंने विद्यालय खोला था, लेकिन आज उस विद्यालय की बहुत बड़ी जमीन तो है, परन्तु उसमें शिक्षक नहीं हैं। उनकी जो सोच थी कि इसमें कारीगरी भी सिखाई जाए, जिससे कि बच्चों को अपने कमाने का साधन भी मिल सके। वह शिक्षा धीरे-धीरे बंद हो गई। इसलिए मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी और स्कील डेवेलपमेंट मंत्री, श्री राजीव प्रताप रूडी जी से अनुरोध होगा कि बुनियादी विद्यालयों को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शामिल करें। माननीय राधा मोहन सिंह जी के प्रयास से दूसरे सेशन में यह बिल पास हो रहा है, उसके लिए चम्पारण की जनता कृषि मंत्री, माननीय राधा मोहन सिंह जी की भी ताउम्र आभारी रहेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल का पूरा समर्थन करते हुए यह अनुरोध करता हूं कि इस सेंट्रल विश्वविद्यालय को अगले सत्र से ही चालू किया जाए, जिससे कि पढ़ाई शुरू हो सके, जमीन वहां पर तैयार है। सन् 2017 में जब महात्मा गांधी जी के एक सौ वर्ष पूरे होंगे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी पूरी की पूरी व्यवस्था

के साथ उस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन करें, जिससे कि सही मायने में महात्मा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय अमेंडमेंट बिल 2014 का समर्थन करता हूं।

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I, on behalf of the Biju Janata Dal, rise to support the Central University (Amendment) Bill, 2014. We are very happy about it because Champaran is the place from where the Father of the Nation, Mahatma Gandhi had experimented with his revolution so to say. Therefore, when this proposal has come to the floor of the House, we happily support it. This is one part.

Here, the hon. Minister has expressed or said that they have already set up 12 Central Universities. One Central University is there in Koraput, Odisha which is the most backward district. The then Government has decided for the upliftment of that area. But unfortunately, when you are going to set up a Central University, you should focus your attention on some points like what is the condition of the Universities that we have established so far.

For example, consider the University at Koraput. The establishment of the University started in 2009 and was completed in 2010. The management is headed by the hon. Minister. For the past four to five years, the Managing Committee has not met even once where the hon. Minister is the Chairperson.

I would not blame the present hon. Minister. When a decision has been taken in this regard, why are these things not looked into properly?

We are establishing Universities. There is a set pattern in this regard. There is a building established for it. When we establish a University, we should see whether we have certain requisites or not. The Government of India should take care of those Universities as their children.

There is no adequate staff in that University. Out of, I think, 26 or 32 Departments, five Departments do not have a single professor in that University. I must thank our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, that Government of Odisha who has donated hundreds of acres of land and adequate donation as committed by that Government. They have fulfilled that commitment. This is the situation.

When the then Vice Chancellor of that University was in position, for how many days was she there? It should be looked into.

Secondly, I am sorry to say that the National Convocation was conducted not in Koraput but in Bhubaneswar, the State Headquarters. So, my submission to the august House and the hon. Minister is, we welcome even establishment of 20 Universities. But do not neglect the students. If you are not able to take care of them, then let us not move in that direction.

My submission is, let us pass the Bill and start two Universities in Bihar. But the Universities that have been established years before should be taken care of fully. We should give all care to them so that those Universities are run properly. If we are not able to do it, then please do not move in that direction. State Universities are there. There is a University in Berhampur, the southern part of my State. It is nearer to that. To my knowledge, around Rs. 300 crore have been spent on that University. If students and staff are not there, then what is the use of the university .

My suggestion is, when you are spending crores of rupees, and when the Universities are not going to run properly, let us merge those universities with the nearby Universities and make them functional as full-fledged Universities.

Again, with these suggestions, I support this Amendment Bill, 2014.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now intervention by hon. Minister of Agriculture, Shri Radha Mohan Singh.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से बिहार राज्य में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना आज की सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है। इसकी स्थापना मोतीहारी में होगी, महात्मा गांधी के नाम से होगी, निश्चित रूप से देश के यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और मानव संसाधन मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

चंपारन के विषय में हमारे मित्र संजय जायसवाल जी ने बताया, यहां तक कि ओडिशा के मित्र ने चंपारन और महात्मा गांधी के संबंध की चर्चा की। मै समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर जागरुक नागरिक को पता है कि देश जब गुलाम था तो महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत यहीं से ही की थी। उन्हें सत्याग्रह का औजार मोतिहारी में प्राप्त हुआ था और देश को आजादी मिली थी। मैं आपके माध्यम से देश और सदन को बताना चाहता हूं कि संशोधन बिल की जरूरत नहीं पड़ती। 2009 में मैं लोकसभा में था, उस समय की सरकार ने निर्णय लिया था कि देश के हर राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार को ऐसा प्रपत्र गया कि बिहार के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ज्यों ही वह पत्र गया उसके बाद बिहार विधान सभा ने अपनी बैठक में प्रस्ताव पास किया कि बिहार के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, चंपारन में महात्मा गांधी के नाम पर होगा। बिहार विधान सभा ने इसे पास किया और फिर विधान परिषद् ने भी इस प्रस्ताव को पास किया। इसमें सब दल के विधायक थे। इस संशोधन की आज जरूरत नहीं पड़ती। बिहार विधान मंडल का प्रस्ताव पास हुआ, भारत सरकार के तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री के पास भेजा गया। स्वयं मुख्यमंत्री आए, सदन में होने के नाते मुझे पत्र लिखना पड़ा। इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने साफ-साफ कहा कि यह न तो मोतिहारी में होगा और न ही महात्मा गांधी के नाम से होगा। मैंने उनको पत्र लिखा और चंपारन और महात्मा गांधी के महत्व को बताया। यह पता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई थी इसलिए स्वाभाविक हो कि उनको महात्मा गांधी और चंपारन का ज्ञान न हो इसलिए मैंने उनको लंबा-चौड़ा पत्र दिया। चार साल में चार बार पत्र दिया और चारों बार उत्तर था कि मोतिहारी में स्थापित नहीं होगा और महात्मा गांधी के नाम से तो दूर-दूर तक नहीं होगा। पूरे बिहार में जन आंदोलन हुआ। सब विधायक सडक पर आए। इस सदन में बिहार के सांसद, चाहे जिस भी दल के थे, सबने आवाज उठाई। जब यहां आवाज नहीं सुनी गई तब बिहार की जनता सड़क पर थी, तो दिल्ली में बिहारी जनता सड़क पर आ गई। सांसद भी सड़क पर गए। फिर मंत्री जी ने कहा कि नहीं खोलूंगा। तब बिहार की सरकार ने कहा कि बिहार में कहीं जमीन नहीं दी जाएगी। इसके बाद भारत सरकार के उस समय के मंत्री जी ने कहा कि बिहार में

जमीन न दी जाए, ठीक है लेकिन मैं महात्मा गांधी और मोतिहारी के नाम पर नहीं खोलूंगा, गया में भारत सरकार की जमीन है वहां खोल देंगे लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर मोतिहारी में नहीं खोलेंगे। ऐसा निर्णय यहां की सरकार ने कर लिया और 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बिहार के लिए सैंक्शन हुआ था, गया के अंदर स्थापित हुआ। इसके बाद सड़क और सदन में जब आंदोलन काफी तेज हुआ, तब कैबिनेट ने डिसीजन लिया किया कि एक दक्षिण बिहार में होगा जिसका नाम दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया होगा और दूसरा उत्तर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी होगा। इसके बाद फिर आंदोलन शुरु हो गया कि मोतिहारी का विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर होना चाहिए। हमने फिर से पत्र दिया और नियम 377 में कई बार उठाया लेकिन बार-बार यही उत्तर आया कि महात्मा गांधी का नाम इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जिस पर पूरा बिहार एक मत था, सभी राजनीतिक दल एक मत थे, पूरा बिहार विधान मंडल एक मत था, उसे यदि मान लिया गया होता, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती और उस विश्वविद्यालय को वहाँ स्थापित कर दिया गया। जब कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उत्तर बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में स्थापित होगा, तो इस निर्णय के बाद सारे सांसद दौड़ते रहे कि इसे सदन में लाया जाए और इस विधेयक को यहाँ पास कराया जाए। लेकिन महात्मा गांधी और मोतिहारी से पता नहीं कितनी घृणा थी कि हम लोग सदन का सत्र समाप्त होने के दो दिन पहले बहुत सारे विधेयक पास किये गये, लेकिन उसे सदन में नहीं लाया गया।

आज निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को तथा श्रीमती स्मृति ईरानी जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा, हमारे चम्पारण के सांसद श्री संजय जायसवाल , श्रीमती रमा देवी जी तथा उस समय श्री बैद्यनाथ कुशवाहा जी भी थे, उस समय इन सारे लोगों ने संघर्ष किया और सबके परिश्रम का यह परिणाम है। आदरणीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने इसके महत्व को समझा, जब सरकार बनी, तो पहले सत्र में ही कैबिनेट ने निर्णय लिया कि महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में की जाएगी। इसके मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वैसे लोगों के पास नेतृत्व न जाए, जो महात्मा गांधी के महत्व को भी नहीं समझते हैं और चम्पारण के महत्व को भी नहीं समझते हैं। ईश्वर वैसे लोगों को कभी महत्वपूर्ण स्थान पर न लाए, ऐसी कामना करते हुए और प्रधानमंत्री जी तथा मानव संसाधन मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं तथा पूरे सदन से यह उम्मीद करता हूं कि इस ऐतिहासिक काम को सर्वसम्मति से करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI BALKA SUMAN (PEDDAPALLI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

At the very outset, I would like to say that we appreciate the decision of the Government of India to start another Central University in Bihar which is one of the backward States of this country. The territorial jurisdiction of the two proposed Universities of Bihar has been clearly declared as North of the Ganges and South of the Ganges of the State of Bihar. The name of the new University which is in the name of Mahatma Gandhi is also appreciated. It would have been better had the Government of India taken a decision to start two Universities one in Telangana and the other in the State of Andhra Pradesh as promised in the Andhra Pradesh Reorganisation Act along with this Bill. We, the Members of Parliament belonging to Telangana and Andhra Pradesh, will be the happiest persons for that. Now, the Government of India should take necessary steps to establish Central Universities in each and every State of this country within the territorial jurisdiction of each State.

Sir, on behalf of my TRS Party, we also welcome and support the decision taken by the Central Government to establish a Central University in the backward State like Bihar. Thank you.

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी श्री राधामोहन सिंह जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया। चूंकि मैं उत्तर बिहार का ही रहने वाला हूं। मैं दार्जिलिंग से सांसद हूं किन्तु उत्तर बिहार में मेरा घर है। हमारी सरकार ने यह स्वागतयोग्य कदम उठाया है। हमारी मंत्री महोदया उसके लिए धन्यवाद की पात्री हैं। महोदय, मैं उत्तर बिहार का वासी होने के नाते इस बिल के संबंध में धन्यवाद करता हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं एक मांग भी रखना चाहता हूं। वर्ष 2011 में जिस वक्त गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वहां पर आंदोलनरत था, उस वक्त भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक फैसला लिया था और एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट उनके बीच साइन हुआ था, जिसके माध्यम से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट भी पास हुआ था, उसके तहत उन्होंने आश्वस्त किया था कि दार्जिलिंग में एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया और हम वंचित रह गये। पर हमारी अवस्था थोड़ी सोचनीय इसलिए भी है कि एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम विश्व भारती शांति निकेतन है, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आरंभ किया गया था, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले तीन महीनों में वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों से जो छात्राएं पढ़ने आती हैं, वे ज्यादातर सिक्कम, दार्जिलिंग, कर्शियांग, कलिमपोंग की छात्राएं पढ़ने जाती हैं, वहाँ पर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो आजकल एक फैशन-सा हो गया है, जब हम छात्र-जीवन में रहते थे, जिन शब्दों का प्रयोग करने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी और जिन शब्दों को पढ़ने में भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, आज वे अखबार की सुर्खियाँ हैं या टेलीविजन के हेडलाइंस हैं। गैंगरेप या गणधर्षण इस तरह की बातें बोलने में भी हमको शर्म आती थी परन्तु आज वह आज एक प्रचलन सा हो गया है और विश्वविद्यालय भी इनसे अछूते नहीं हैं। खासकर विश्वभारती और शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय में सिक्किम की एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ, जब न्याय की गुहार की गयी, तो वहां पर जो वाइस-चांसलर हैं, पहले जब वह कहीं और डायरेक्टर थे, उनके ऊपर सेक्सुअल ह्रासमेंट का आरोप था, उसके बावजूद तत्कालीन सरकार ने ऐसे आदमी को, जिस पर कितनी कंप्लेंट्स और इनक्वायरीज एचआरडी मिनिस्ट्री में फाइल हुई हैं, जिनके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बावजूद उनको वहां वाइस-चांसलर बनाया गया। जब इस लड़की ने उनके सामने गुहार लगाई, तो उस पर उसे और उसके मां-बाप को इतना धमकाया गया कि अपनी कंप्लेंट वापस लो। अंततः वह लड़की अपने मां-बाप के साथ विश्वविद्यालय छोड़कर चली गयी। उसके बारे में सुनकर अन्य बहुत सी लड़कियां विश्वविद्यालय छोड़ने की परिकल्पना कर रही हैं।

ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के एक अन्य विश्वविद्यालय जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी हुई। वहां भी एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने न्याय की गुहार की तो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने लोगों एवं पुलिस को भेजकर आन्दोलनरत छात्र-छात्राओं की पिटाई करके रात में जेल में बंद कर दिया। इन दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं अभी भी आंदोलनरत हैं। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि हम शिक्षा के लिए जो भी संस्थाएं बनाते हैं, वहां पर जो वाइस-चांसलर एवं अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है इथिकल वे में वहां पर काम करना, एजुकेशन देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना और उसके साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी देना। उनको वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों विश्वविद्यालयों में वे लोग अपना भरोसा खो चुके हैं और आंदोलनरत हैं और कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं है। केंद्रीय सरकार कम से कम शांतिनिकेतन के बारे में विचार करे कि उस लड़की के साथ क्यों अन्याय हुआ। वहां जो कमेटी बनाई गयी, उसमें भी वे ही लोग आए, जो वाइस-चांसलर का समर्थन करते रहे। यहां पर भी जो कमेटी बनाई गयी, उसमें वैसे ही लोग आए जिन्होंने उनका समर्थन करना था और असत्य आरोप लगाकर छात्रों पर तरह-तरह के केसेज बनाए गए। यह दुर्भाग्यजनक है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि अविलम्ब इस पर कुछ कार्रवाई भी करें। आप विश्वविद्यालय बनाइए, एक अच्छा कदम है, किन्तु विश्वविद्यालय का परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, जहां हर मां-बाप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए भेजे, न कि उनकी जिन्दगी खराब करने के लिए भेजे।

इसके साथ ही, मैं पुनः अपनी दार्जिलिंग के केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को दोहराते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मानव संसाधन मंत्री एक कल्पवृक्ष जैसे हैं, अगर कुछ कल्पना करें, तो दे देते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैंने कुछ मांग की थी, उन सभी के लिए वह राजी हो गयी हैं। मुझसे गलती हो गयी कि मैंने विश्वविद्यालय नहीं मांगा था।

महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की आबादी 20 लाख है और विकास के मामले में 543 संसदीय क्षेत्र में से हम 543वें स्थान पर आते हैं। मेरे क्षेत्र में दो जिले हैं यथा नवरंगपुर और मालकानगिरी (ओडिशा) और तीसरे जिले का एक छोटा हिस्सा है। हमारे दोनों जिले भारत के सबसे कम शिक्षित दस जिलों में शामिल हैं। अभी तक हमारे यहां लिटरेसी रेट 48 प्रतिशत है। आज के दिन वहां एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। मैडम ने दो जिलों के लिए एक-एक मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए सैंक्शन दी है, वे पहले सरकारी डिग्री कॉलेज होंगे। वहां इंस्टीट्यूशन्स की बहुत कमी है। हमने देखा है कि आल इंडिया का अगर एवरेज लें, तो मेरा क्षेत्र एक विश्वविद्यालय डिजर्व करता है। बिहार के लिए मैडम ने दूसरे विश्वविद्यालय के लिए एग्री किया है, उसी तरह से ओडिशा में मेरे क्षेत्र के लिए एक विश्वविद्यालय दें। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी बहुत से काम बाकी हैं, उनको पूरा करें। जैसे फैकल्टी में 66 पोस्ट्स हैं, उनमें से सिर्फ 18 पोस्ट्स ही फिल-अप हुई हैं और बहुत विभाग अभी खुले नहीं हैं। उसको फुल-फ्लेज बनाया जाए। मेरे क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय के बारे में विचार करें। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Central Universities (Amendment) Bill brought by the Government.

The Central Government enacted the Central Universities Act in the year 2009 to make big institutes of learning and research institutes as Central Universities. This Act is now being amended to add one more Central University in the State of Bihar.

We are all aware that Bihar is one of the most backward States in the country. In order to cater to the educational needs of the students of Bihar, the Government is now setting up one more Central University in the State of Bihar. The existing university in Bihar will cater to the needs of students of South of River Ganges. Now, this institute, which is being newly created in the name of the Father of the Nation Mahatma Gandhi, will cater to the educational needs of the students living in North of River Ganges. This is a welcome step.

Sir, knowledge is power, knowledge is required for the people to uplift their economic status and knowledge is also necessary for increasing the earning of the people. This type of institution is a necessity all over the country. Like setting up this Central University in Bihar, I would request the hon. Minister of Human Resource Development to turn her attention towards Tamil Nadu also. There is no university in our Villuppuram district in Tamil Nadu. I would request the hon. Minister to set up a Central University in our district so as to cater to the educational needs of the people of our district.

With these few words, I support this Bill.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी आदरणीय राधामोहन सिंह जी बता रहे थे, गांधी जी ने वहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आदरणीय राधामोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के सारे सांसदों एवं विधायकों ने अपने देश की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गांधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय प्राप्त करने के लिए, जो वहां की जरूरत भी थी। मैं उनको बधाई देता हूं कि अंततः जीत हुई है और केंद्र की हमारी सरकार ने वहां विश्वविद्यालय देने का निर्णय किया है, जिसको आज इस विधेयक के माध्यम से संसद स्वीकृति दे रही है।

मैं केवल दो-तीन मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय होना अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसकी आबादी 20 करोड़ के लगभग है, जहां से 80 सांसद चुनकर आते हैं वहां तीन विश्वविद्यालय हैं। एक वाराणासी में, एक अलीगढ़ में और तीसरा इलाहाबाद में है। लेकिन उच्च शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है और यदि मैं मेरठ की बात कहूं तो मेरठ विश्वविद्यालय में आज लगभग 3 लाख छात्र हैं जो उससे सम्बद्ध हैं और आप यदि उसका निरीक्षण कराएं तो वहां इतनी अव्यवस्था है और उसका कारण है कि वहां इतनी बड़ी संख्या छात्रों की है, इतना बड़ा क्षेत्र उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है कि परीक्षाओं का संचालन करना या किसी भी प्रकार की शिक्षा-विधि का नियमित करना कठिन हो गया है। माननीया मंत्री जी भी बैठी हुई हैं और राज्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि मेरठ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। वहां पर कोई और विश्वविद्यालय भी खोला जाए जिससे छात्रों को ठीक प्रकार की शिक्षा सुलभ हो सके। मुझे उम्मीद है कि गांधी जी की तरह हमें उसके लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा और हमारी यह जायज मांग स्वीकार हो जाएगी। मेरठ एक महत्वपूर्ण नगर है और वहां पर शिक्षा का केन्द्र अगर इस प्रकार का होगा तो छात्रों को उसका निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to speak on the Central Universities (Amendment) Bill. In my constituency, there is one Central University called Tezpur University. Everything is not well in that University. I will be briefing in writing to the hon. Minister in course of time in this regard. But there was a proposal taken by the Central University Tezpur for establishment of its campus at Jonai. Jonai is on the border of Arunachal Pradesh which is primarily dominated by tribals. It is educationally backward and it is a flood affected area. It should have been taken up, but till today the project has not started. The people are suffering. Educationally they are very backward. They are ravaged by floods and erosion.

So my request to the hon. Minister would be to take up the issue of establishment of the campus of Tezpur University, a Central University, at Jonai which is in Dhemaji District of Assam. That is my request. Thank you.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक हमारी सरकार और हमारी तेजस्वी माननीया मंत्री जी द्वारा लाया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2009 में जब मैं बिहार की कैबिनेट में मंत्री था तो मुझे गर्व है कि उस कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते वहां से हम लोगों ने महात्मा गांधी के नाम से इस विधेयक को पास करके सेंटर को भेजा था। यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे मोहन सिंह जी ने इसे लेकर के केन्द्र में भी आंदोलन चलाया और अंततः उस शासन में तो नहीं किंतु हमारे शासन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने महात्मा गांधी के नाम पर यह विश्वविद्यालय हमें प्रदान किया है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

आप जानते हैं कि चंपारण महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि रही है और नील का आंदोलन अंग्रेजों के वक्त में किया था तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। हमारे बिहार की आबादी करीब साढ़े दस करोड़ की है और वहां दो विश्वविद्यालय हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि बिहार ज्ञान का केन्द्र है और ज्ञान और विज्ञान की उपज उस बिहार की धरती से हुई है। उस ज़माने में भी, सात सौ ईसा पूर्व का आप उदाहरण ले लीजिए, वहां नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन आज हमें खेद है कि केवल नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। एक समय नालंदा खंडहर की स्थिति में पहुंच गया था, उस समय पाल वंश के द्वारा पोषित विक्रमशिला विश्वविद्यालय से नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विश्व से दस हजार छात्र आते थे। यहां वेद और ज्ञान का अध्ययन होता था। यह तंत्र और साधना का केन्द्र था। आज विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूं ही पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से गुज़ारिश करना चाहूंगा, इस समय हमारी सरकार है और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि भागलपुर जो कि हमारी जन्मभूमि है और बक्सर हमारी कर्मभूमि है जो कि मिनी काशी के रूप में भी जाना जाता है। मेरा आग्रह है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखा हमारे बक्सर में, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ऋषि विश्वामित्र ने शिक्षा देने का काम किया था तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने ताड़का का वध किया था और अहिल्या का यहां उद्धार किया था। मैं चाहूंगा कि बक्सर में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखा खोली जाए और जैसा कि मैंने पहले कहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर विकसित करने का काम किया जाए। पूरे विश्व में तीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा, विक्रमशिला और तीसरा तक्षिशिला जो कि पाकिस्तान में चला गया है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये दोनों प्राचीन

विश्वविद्यालय भारत की संस्कृति और सभ्यता है और आज जो ज्ञान और विज्ञान पूरे विश्व में छाया हुआ है, ये उसकी जननी है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत बधाई देते हुए, खास कर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके माध्यम से यह विधेयक केबिनेट में पास किया गया, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं भाई सिंह जी को बधाई देता हूं और विशेष कर हमारी शिक्षा मंत्री जी इस बिल को लेकर आयी हैं, इसके लिए मैं उनको कोटिशः बधाई देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं इस विषय पर सत्याग्रह न हो जाए, चूंकि वहां वर्षों से लगातार इसकी मांग की जा रही है, क्योंकि नालंदा को विश्वविद्यालय बनाया गया और विक्रमशिला को छोड़ दिया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में सुविख्यात किया जाए। यदि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की ब्रांच बिहार में खुल सकती है तो काशी विश्व हिन्दू विश्वविद्यालय की ब्रांच मिनी काशी कहलाने वाले बक्सर में क्यों नहीं खुल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पहली केबिनेट में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि महात्मा गांधी के देश में, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनकी कर्मभूमि पर कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान स्थापित हो और उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाए, इसके लिए भी वहां के लोगों को आंदोलन करना पड़े, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा था। लेकिन मुझे खुशी है और मैं अपनी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, जिसने इतना अच्छा निर्णय लिया। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय जहां स्थापित है, वह मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद बिहार में है। मेरे संसदीय क्षेत्र के गया जिले में टिकारी प्रखंड में वह स्थल है जहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मैं सुझाव के साथ कहना चाहता हूं कि अभी उस स्थल पर कोई शैक्षणिक या दूसरी कोई गतिविधि नहीं चल रही है। गया जिले में और पटना में इसका कार्यालय जरूर है, लेकिन अभी उस स्थल पर कोई कार्य शुरु नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके, उस स्थल पर जो मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद में गया जिले में स्थित है, जितनी जल्दी उस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण आदि जो भी कार्य हैं, उनको पूरा किया जाए ताकि वहां पठन-पाठन का कार्य शुरु हो जाए। यही मांग रखते हुए मैं एक बार अपने नेता और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी तथा साथ ही शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और साथ ही यह भी कहूंगा कि महात्मा गांधी जी के नामकरण के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहां तक कि आंदोलन भी हमारे माननीय मंत्री राधा मोहन बाबू जिनके इलाके में यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, उन सभी को बधाई देना चाहूंगा। इन्ही शब्दों के साथ मुझे आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): महोदय, मैं भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री की तरफ से लाये गये इस बिल का स्वागत इसलिए करता हूं कि महात्मा गांधी के नाम पर जिस विश्वविद्यालय की स्थापना चम्पारण में हो रही है, उसका एक महत्वपूर्ण इतिहास है। नीलका आंदोलन उसी चम्पारण से शुरु हुआ था जहां अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए तिनकठिया कानून बनाया था औऱ तिनकठिया कानून लोगों को, किसानों को पीड़ित करने का एक सबसे बड़ा हथियार होता था। मैं भारत सरकार के दोनों मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी के नाम पर चलने वाला वह स्वदेशी आंदोलन जिसके आधार पर देश को आज़ाद करने का रास्ता दिखाया था, भितिरवा गांव उसका केन्द्र था। राधा मोहन सिंह जी जानते होंगे और भितिरवा में आज भी बापू का आश्रम है। मैं वहां पहले दो तीन साल से नहीं गया हूं। उस विश्वविद्यालय के अंदर भितिरवा को केन्द्र में सम्मिलित रखा जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। मैं एक निवेदन और करूंगा कि महात्मा गांधी के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो उस विश्वविद्यालय के अंदर तिनकठिया कानून के विरोध में चलने वाले आंदोलन का एक सत्याग्रह भवन भी बनेगा तो भारत के उस आंदोलन के इतिहास में जरूर रहेगा। मैं भारत सरकार के प्रधान मंत्री और दोनों मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भविष्य के भी स्वदेशी आंदोलन की एक रेखा खींच दी है कि अगर भारत के भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो भारत का संसदीय इतिहास हमें मार्गदर्शन करेगा और उसके विरोध में भी खड़ा करने की ताकत मिलेगी। महात्मा गांधी के नाम पर जो लोग विश्वविद्यालय का प्रतिवाद कर रहे थे, कृषि मंत्री जी उनको श्राप दे रहे थे। कृषि मंत्री जी, भारत की संसद के इस प्रांगण में किसी भी राजनैतिक दल के पास इतनी ताकत नहीं है जो महात्मा गांधी जी को भुला दे या महात्मा गांधी को भुलाने की ताकत महसूस करे। दुनिया के लोग महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। जिस बात को रखने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी दुनिया के देशों में जा रहे हैं और गांधी के अनुसरण के रास्ते की चर्चा कर रहे हैं तो दुनिया उसकी वाहवाही करती है। यहां बैठे हुए लोगों की और चाहे वहां बैठे हुए लोगों की कितनी ताकत होती है जो गांधी के नाम पर प्रतिवाद कर दें और उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की नाकारी कर दे। वही कारण है औऱ उसी का आज दुष्परिणाम है कि वे वहां बैठे हैं जहां विपक्ष के नेता के लिए संख्या पूरी नहीं हो रही है।

18.00 hrs

क्षमा करिये, आप श्राप मत दीजिए, आप सरकार में हैं, श्राप देने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार इन्हीं जैसे काम करने के लिए होती है, आप सरकार के मंत्री हैं। आपसे यही निवेदन है कि आप श्राप मत दीजिए, सरकार का काम निर्देश देना है, जिसका निर्देश आप दोनों मंत्री दे रहे हैं, वही काफी है। श्राप देना

इधर के लोगों का काम है, उधर के लोगों को श्राप देने दीजिए। महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो भूलेगा, वह भारत को नहीं जानता है। इसलिए मैं पुनः इस सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 26th November, 2014 at 11 a.m.

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 26, 2014/Agrahayana 5, 1936 (Saka).